



भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 275

**विधिक अवसंरचना : सूचना का अधिकार अधिनियम,
2005 के संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड**

अप्रैल, 2018

डा.न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान

पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय

अधिकारी

भारत का विधि आयोग

विधि एवं न्याय मंत्रालय

भारत सरकार



Dr. Justice B. S. Chauhan

Former judge, Supreme Court of India

Chairman

Law Commission of India

Ministry of Law and Justice

Government of India

अ.शा. सं. 6(3)306/2016-एल.सी.(एल.एस.)

तारीख : 18 अप्रैल, 2018

प्रिय श्री रविशंकर प्रसाद जी,

मुझे सरकार के समक्ष विचारार्थ 'विधिक अदसंरचना : सूचना का अधिकार अधिनियम' के संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड' शीर्षक की भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट सं. 275 अप्रेषित करते हुए प्रस्तुत हो रही है। यह रिपोर्ट क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनान विहार क्रिकेट एसोसिएशन और अन्य (2015) 3 एस. सी. सी. 251 वाले मानसे में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निदेशों के अनुरक्षण में तैयार की गई है। आयोग ये इस गुंडे पर परीक्षा करने के लिए कहा गया कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की परिधि के भीतर आएगा और यदि उत्तर सकारात्मक है तो भारत सरकार को उचित सिफारिश करें।

यह उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बी.सी.सी.आई. केंद्रीय और राज्य सरकारों की मौन अनुमोदन से एकाधिकारवादी प्रकृति के लोक वृत्तों का निर्वहन करता है। इस प्रकार इस रिपोर्ट के अध्ययन की परिधि में घोटे तौर पर निमालिखित प्रश्नों को रास्तिलित किया गया है :-

1. क्या बी.सी.सी.आई. 'लोक प्राधिकारी' होने के लिए आह होगा जिससे कि यह आरटीआई अधिनियम की परिधि के भीतर आ सके?
2. आरटीआई अधिनियम की धारा 2(ज)(घ)(ii) में वर्णित 'सारभूत रूप से वित्त-पोषित' और 'प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः' वित्त-पोषित/निधि-पोषित पदों की परिधि क्या होगी?
3. क्या क्रिकेट स्टेडियमों के निर्माण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा हजारों करोड़ रुपए तक की कर छूट और अधिक छूट दर परगाम गांव मूल्य पर भूमि का उपबंध सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष 'सारभूत वित्त-पोषण' की कोटि में आएगा?

फ्लॉर. No. 405, चतुर्थ फ्लॉर, 'B' बिंग, क्रौन नायक भवन, धान नार्मदा, नई दिल्ली - 110009/ Room No. 405, 4th Floor, 'B' Wing, Khan Market, New Delhi - 110015 यूनियन/ Tel.: 011-24654951 फैक्स/ Fax: 24554950 ई-मेल/ e-mail: justicechauhan@gmail.com

इन प्रश्नों के उत्तर संसदीय बहरा, निर्णयज नज़ीरों, प्रख्यात न्यायविदों की रामीकाओं और निर्वचन और अर्थान्वयन के अन्य गाध्यमों का परिशीलन करते हुए कृदेंगे। बाहर को रही परिवेष्य ने रखने के लिए, आयोग ने क्रिकेट खेल के संक्षिप्त इतिहास, बी.सी.सी.आई. और आरटी.आई. अधिनियम की आवश्यकता और परिणामी विकास पर विचार किया। सूचना के अधिकार के संदर्भ में विदेशी अधिकारिताओं का भी अध्ययन किया गया।

आयोग ने विषय पर केंद्रीय सूचना आयोग सहित विभिन्न विशेषज्ञों और पण्डारियों से विचार विमर्श किया। तथापि, बी.सी.सी.आई. ने विभिन्न नोटिसों और अनुस्यारकों के बावजूद उत्तर नहीं दिया/भाग नहीं लिया।

आयोग, इस रिपोर्ट की सैयारी में श्री सेतु गुप्ता, डा. सौम्या लक्ष्मणा और सुश्री ओसीन बेलोवे द्वारा दी गई उत्कृष्ट सहायता की अभिर्वदीकृति करता है।

सावर,

भवदीय

₹0/-

(डा. न्यायगृहि बी. एस. चौहान)

श्री रविशंकर प्रसाद
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
गई दिल्ली - 110 001

विषय-सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1. पृष्ठभूमि		7
क. भारत में क्रिकेट का संक्षिप्त इतिहास		7
ख. बी.री.सी.आई. का इतिहास		8
ग. भारत में सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) का विलास		9
(क) राज्यों में सूचना के अधिकार की विधियाँ		12
(1) तमिलनाडु		12
(2) गोदा		13
(3) मध्य प्रदेश		13
(4) राजस्थान		14
(5) कर्नाटक		15
(6) महाराष्ट्र		15
(7) दिल्ली		16
(8) उत्तर प्रदेश		17
(9) जन्मू और कश्मीर		17
(10) असन		17
(ख) आर.टी.आई. आंदोलन - सामाजिक और राष्ट्रीय बातावरण		18
2. आयोग को प्रतिनिर्देश और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट		21
क. एन.री.आर.डब्ल्यू. सी. रिपोर्ट 2002		21
ख. भारत के विधि आयोग की 179वीं रिपोर्ट, 2001		22
ग. प्रणव मुख्यों समिति 2001 की रिपोर्ट		22
घ. राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2013 के प्रारूपण के लिए		23

कार्यकारी समूह की रिपोर्ट	
ड. लोधा कमेटी रिपोर्ट, 2016	23
3. संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य की अवधारणा - अन्य प्राधिकारी पद का विश्लेषण	25
4. आर.टी.आई. विधियां और खेल निकाय : मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य	29
क. मानव अधिकार के रूप में सूचना का अधिकार	29
- संवैधानिक स्थिति	30
ख. प्राइवेट सत्ता को लागू होना	33
(i) राज्य दायित्व	33
(ii) प्राइवेट निकाय के कर्तव्य	34
ग. गानव अधिकार और खेल	36
5. 'लोक प्राधिकारी', 'लोककृत्य' और 'सारभूत रूप से वित्त पोषित' पदों का परिशीलन	41
1. लोक प्राधिकारी	41
क. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य	41
ख. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य	42
ग. 'अंतर्गत' शब्द का निर्वचन	44
घ. 'नियंत्रण' शब्द का निर्वचन	47
2. लोककृत्य	49
क. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य	49
ख. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य	50
3. सारभूत रूप से वित्तपोषित	51
6. बी.सी.सी.आई. की विधिक प्रास्थिति का विश्लेषण	58
- क्या बी.सी.सी.आई. को अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत 'राज्य' होना चाहिए ।	59
- जी टेलीफिल्म वाले मानले का अत्यमत	60
- बी.सी.सी.आई. - 'लोककृत्य' का पालन ?	63
- बी.सी.सी.आई. - राष्ट्रीय खेल फेडरेशन	65

- श्री.रसी.रसी.आई.	- सरकार द्वारा ‘सारभूत रूप से विज्ञपोषित’	65
7 निष्कर्ष और सिफारिशें		67
गांगलों की रुची		70-75
रांकेपाशरों की रुची		76-78
उपांधं I -	वी.रसी.रसी.आई. का संगम ज्ञापन	79-82
उपांधं II -	लोकसभा में अतारांकित प्रश्न सं. 2097 का माननीय युवा और खेल मंत्री का उत्तर	83-84
उपांधं III -	युवा और खेल गंत्रालय, खेल विभाग का पत्र रा. फा. सं. 36-2/2010-एस.पी.2 तारीख 30 मार्च, 2010 ‘राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों को लोक प्राधिकारी के रूप में घोषित किया जाना’	85

अध्याय १

पृष्ठगूणि

क. भारत में क्रिकेट का संबिप्त इतिहास

1.1 अग्निलेखों के अनुसार, क्रिकेट का खेल पहली बार वर्ष 1721 में खेला गया था। यहला बलव अर्थात् कलकत्ता क्रिकेट बलव वर्ष 1792 में उस रथान पर रखा गया था जहां इस रथान ईडेन गार्डन है, यद्यपि, इसकी सदरचत्ता कोवल यूरोपियनों तक सीमित थी। यांच वर्ष पश्चात् बाघे ने पहले मैच की गेजबानी की जिसमें भारतीयों ने खेल खेलना आरंभ किया। 18वीं शताब्दी की रथानि पर पारसियों ने ईडेन गैमलर क्रिकेट बलव की जिमेदारी रंगाली और बाद में वर्ष 1848 में उन्होंने ओरिएंट क्लब¹ गठित किया।

1.2 वर्ष 1889 में, एक शैक्षीन अंग्रेजी टीम भारत आई। उन लोगों ने लगातार अनन्यतः यूरोपियन टीम के खल में खेला और पारसियों के विरुद्ध वे एक बार हार गए। वर्ष 1892 में वे बापल आए और पुनः पारसियों के हाथों बीस खेलों में दो बार पराजित हुए। जनवरी, 1893 में लार्ड हॉक के नेतृत्व में दीरा टीम ने अखिल भारतीय टीम के विरुद्ध क्रिकेट खेला, किंतु दारत्विकता वह थी कि वह विलक्षुल पूर्णतः यूरोपियनों² की टीम थी।

1.3 महाराजा जान साहेब (रणजी) के नाम से विख्यात महाराजा रंजीत सिंह ने कच्छ खाड़ी के दक्षिणी विनारे पर स्थित हल्लार दोत्र के नवानगर सज्जा (वर्तमान गुजरात) के भारतीय रियासत राज्य पर वर्ष 1907 से 1933 तक शासन किया। इंग्लैंड में खेल में उनकी राफलता ने भारत के अन्य साथी जाजकुमारों को प्रोत्ताहित किया और परिणामतः उन्होंने इंग्लैंड से प्रशिक्षक भेजे और वह सुनिश्चित करने के लिए काफी रक्त खर्च की कि वे सर्वोपर्याप्त शुद्धिकारी की डिंग हाँक सके। वर्ष 1907 में हिंदुओं ने यूरोपियनों और पारसियों के साथ निकोणीय प्रतिरक्षणीय बनाने के लिए भाग लिया और 1912 में मुस्लिमों ने भी भाग लेना आरंभ किया। वर्ष 1911 में पटियाला के महाराजा की कफ्तानी के अधीन अखिल भारतीय पक्ष ने इंग्लैंड का दीरा किया; और वर्ष 1920 के अंत में, आर्थर गिलियन के नेतृत्व में एग.सी.सी. XI (ऐरेलियन क्रिकेट बलव) के विरुद्ध इस पक्ष के कार्यपालन ने आई.सी.सी. (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) गह विश्वास दिलाया कि अखिल भारतीय पक्ष पहली बार टेरेट मैच करने के लिए तैयार हो राकहा है³।

1.4 इस संबंध में एक मुख्य बाधा भारत में खेल को विनियमित करने वाली केंद्रीय शासी निकाय वा अभाव था। इसके कारण वर्ष 1988 में दी.सी.सी.आई., का सूजन हुआ। इसके पश्चात् भारत ने सी. के. नायडु की कम्जानी में लाल्सर्स में वर्ष 1932 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला। रणजी भारत की ओर से नहीं खेल सके क्योंकि उनके रथान पर भारत में टेस्ट टीम नहीं थी। उन्होंने भारत की ओर से दोलने के लिए अपने भतीजे दुलीप को भना किया। उनेक भारतीयों ने भारत में इंग्लैंड की ओर से दुलीप के अधिमान पर तीखी टिप्पणी की। नवाब पट्टैदी सीनियर उस

¹ यहां उपलब्ध है: <http://www.cspncriinfo.com/india/content/story/261616.html> (उपलब्ध वर्ष 01-12-2017 को देखा गया)

² यहां उपलब्ध है: <https://www.britannica.com/sports/cricket-sport> (मिस्री वर्ष 01-12-2017 को देखा गया)

³ -पृष्ठ-

रामय इंग्लैण्ड की ओर से खेल रहे थे और आस्ट्रेलिया के विरुद्ध शतक बनाया। उन्होंने भारत की ओर से खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की जिसको भरपूर समर्थन मिला। नवाब पटोडी को 29 अक्टूबर 1934 को वर्ष 1936 में इंग्लैण्ड के दौरे के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया।⁴

1.5 भारत ने मद्रास में, वर्ष 1951-52 में इंग्लैण्ड के विरुद्ध अपनी पहली टेस्ट विजय प्राप्त की। इसके पश्चात्, वर्ष 1983 में लाइस के खेल मैदान में भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप (सीमित ओवर) जीता और मुंबई के यानखेड स्टेडियम में काफी वर्ष बाद, वर्ष 2011 में दूसरी बार विश्व कप विजेता बना। 20-20 के प्रारूप में, भारत ने 2007 में आरंभिक 20-20 क्रिकेट विश्व चैम्पियनशिप और इसके पश्चात् 2013 में आई. सी.सी. चैम्पियन ट्राफी जीता। 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत विश्व के सर्वोपरि क्रिकेट खेलने वाले राष्ट्रों में मिला जाने लगा और अपना रथान बनाए हुए हैं।

ख. वी.सी.सी.आई. का इतिहास

1.6 बी.सी.सी.आई. के सृजन की प्रक्रिया एम्प्रियल क्रिकेट सम्मेलन में 31 मई और 28 जुलाई, 1926 को लाइस की आई.सी.री. बैठक में भाग लेने के लिए अनुज्ञात करते हुए, कलकत्ता क्रिकेट बलब के दो सदस्यों से आरंभ हुई। अनुज्ञा आरंभ में इस शर्त पर दी गई थी कि भारत में क्रिकेट के नियंत्रण के लिए प्रशासनिक निकाय का शीघ्र गठन किया जाएगा।⁵

1.7 आई.सी.सी. द्वारा जारी निदेश के पश्चात्, भारत के कई क्रिकेट निकायों ने भारत में केंद्रीय क्रिकेट निकाय के गठन के बारे में परस्पर विचार और चर्चा करना आरंभ किया। भारत के सभी क्रिकेट संघ देश में खेल के सुधार के लिए भारत में क्रिकेट के नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रशासनिक संगठन के विचार से सहमत थे।⁶

1.8 27 नवंबर 1927 को भारत के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न क्रिकेट संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे 45 लोगों का समूह ऐसे एक संगम की विरचना के लिए ठोस पहल करने हेतु दिल्ली के रीशन आरा कलब में एकत्र हुए। निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए एक क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड आवश्यक समझा गया।⁷

- अंतर-क्षेत्रीय, विदेशी और अन्य क्रिकेट मैचों का आयोजन और नियंत्रण।
- भारत के दौरे पर आने वाली टीमों की व्यवस्था करना और भारत के भीतर और बाहर खेलने वाले अखिल भारतीय प्रतेनियों का प्रबंध और नियंत्रण करना।
- यदि आवश्यक हो तो सभी या किसी अंतर-क्षेत्रीय विदादों को नियंत्रित करना और सुख्खास्थित करना।
- दोर्ड रो सहवद्ध संगठनों के बीच विदादों या मतभेदों और किसी ऐसे रांगमों द्वारा उसको की गई अपीलों को सुलझाना।
- यदि घाँटनीय हो तो मैरिलीबॉन क्रिकेट बलब द्वारा पारित सभी नियनों या संशोधनों को

⁴ निहिर दोज, भारतीय क्रिकेट ला नाम 149, 152 (ल्टलेव - टेलर और प्रारिषद लॉब, न्यूयॉर्क, 2006)।

⁵ यह उल्लेख है: http://www.cci.gov.in/sites/default/files/612010_0.pdf (अंतिम तार 06-01-2018 को देखा गया)।

⁶-दही-

⁷-दही-

अंगीकृत करना।

1.9 तत्पश्चात्, दिसंवर, 1927 में बाग्ये जिमखाना की बैठक में एकमत से भारत में क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए 'आपबंधिक' कंट्रोल बोर्ड गठित करने का विनिश्चय किया गया। इस आपबंधिक बोर्ड को समाप्त करने की योजना थी, जैसे ही आठ क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का सृजन हो जाए; और यह कि आठ संगमों के प्रतिनिधि तब एक साथ मिलकर बोर्ड गठित करेंगे।

1.10 तथापि, 1928 के अंत तक केवल छह संगम- दक्षिणी पंजाब क्रिकेट संगम, बंगाल क्रिकेट संगम, असम क्रिकेट संगम, मद्रास क्रिकेट संगम और उत्तरी भारत क्रिकेट संगम गठित हुए थे¹।

1.11 तब आपबंधिक बोर्ड की बैठक दिसंवर, 1928 में, मुंबई में अगली कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए चतुष्कोणीय टूर्नामेंट के दौरान हुई। इस बैठक में ही भारत में क्रिकेट के नियंत्रण के लिए एक उचित बोर्ड के गठन का विनिश्चय किया गया और तत्पश्चात् वी.सी.सी.आई. की स्थापना हुई। इसके स्थापन के पांच माह पश्चात् वी.सी.सी.आई. को आई.सी.सी.आई. द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया²।

1.12 वी.सी.सी.आई. तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1975 के अधीन एक सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए राष्ट्रीय टीम का चयन करते हुए, जैसा अपने संबद्ध खेलों के लिए अन्य राष्ट्रीय खेल फैंडरेशन द्वारा किया जाता है, भारत में क्रिकेट के खेल को विनियमित करने वाली केंद्रीय शारी निकाय है।

ग. भारत में सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) का विकास

1.13 जैम्स मेडिशन भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार यह टिप्पणी की,

एक लोकप्रिय सरकार लोकप्रिय जानकारी या उसे अभिप्राप्त करने के साधनों के दिना और कुछ नहीं बल्कि उपहास का आमुख या त्रासदी या संभवतः दोनों हैं। जानकारी हमेशा अज्ञानता को शारित करती है और ऐसे लोग जो अपने निजी शाराकों के बारे में जानना चाहते हैं, स्वयं को उस शक्ति से सज्जित समझते हैं जो जानकारी उन्हें प्रदान करता है।

1.14 यह उद्धरण, हूबहू यह प्रदर्शित करता है कि यह ऐसे जनता के लिए महत्वपूर्ण है जो जानकारी के औजार से सज्जित होना चाहते हैं, यदि वे स्वशारित होने की वांछा करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के नागरिकों के अधिकार को भारत के संविधान को अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करती है। इसका यह अभिप्राय है कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित युक्तियुक्त निवेदनों अर्थात् भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, न्यायालय का अवमान, मानहानि या अपराध

¹-उही-

² यह उपलब्ध है: <http://www.bcci.tv/about/2017/history> (विज्ञात दिन 05-12-2017 को देखा गया); महानिदेशक के निष्कर्ष, जी मैं सूचना की। नुरेंद सिंह बनारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया (वी.सी.सी.आई.), फैस नंबर 6/2010, भारत के प्रतिस्तान आयोग द्वारा 08-02-2013 को लघु किया गया, यह उपलब्ध है: पूर्वीत टिप्पण 6.

उद्दीपन के अधीन था। ऐसा संवैधानिक विधिशासक जिसके परिणामस्वरूप इस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई, को निम्नलिखित मामलों में ढूँढा जा सकता है।

1.15 बैनेट कालमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ¹⁰ वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की :

यह निर्विवादित है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिप्राय सभी नागरिकों को बोलने, अपने विचार को प्रकाशित करने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है और वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत उसकी परिधि के भीतर सभी नागरिकों के पढ़ने और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

1.16 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण और अन्य¹¹ वाले मामले में प्रत्यर्थी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री की सुख्ता व्यवस्था और उत्तर पर उपगत व्ययों से रांबंधित दरतावेजों की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय ने लोक सुख्ता और लोकहित के बीच उचित संतुलन बनाए रखते हुए यह मत व्यक्त किया कि 'जहां पूर्व के लिए ठोस तर्फ हैं, वहां कार्यपालिका को यह अवधारित करने के लिए अनन्य शक्ति नहीं दी जा सकती कि कौन सी बातें बाद बाले के लिए पश्चात्पूर्ण हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुख्ता पर विचार करने के पश्चात् कुछ ऐसे निष्पत्ति हैं जिन्हें निरापद रूप से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति के, ले, मैथ्यू ने यह मत व्यक्त किया :-

हमारे जैसे उत्तरदायी सरकार में, जहां जनता के सभी अभिकर्ताओं को अपने आवरण के लिए सत्तरदायी होना चाहिए, वहां ऐसा हो सकता है किंतु कुछ गोपनीय बातें भी हो सकती हैं। इस देश के लोगों के पास प्रत्येक लोक कार्य को जानने का अधिकार है, ऐसी प्रत्येक बात जो सार्वजनिक माध्यम से उनके लोक कृत्यकारियों द्वारा की जाती है

1.17 एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ¹² वाले मामले में, न्यायनूर्ति भगवती ने यह मत व्यक्त किया कि एक खुली सरकार प्रत्यक्षतः जानने के अधिकार से उद्भूत होती है, जो स्वतंत्र वाक् और अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है। अतः, सरकार के कार्यकरण से संबंधित सूचना का प्रकटन एक नियम होना चाहिए और गोपनीयता एक अपवाद।

1.18 सचिव, सूचना और प्रराखण मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य बनाम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन और अन्य¹³ वाले मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अग्रिमिधारित किया कि -

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सूचना के अर्जन और इसे प्रसारित करने का अधिकार है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आत्म परिपूर्णन के लिए आवश्यक है। यह लोगों को सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर बहस में भाग लेने के लिए समर्थ बनाता है। यह इसी बात पर उत्कृष्ट मौर्छा करने का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि यह एक भान्न ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा विवारों के व्यापक संभव प्रिस्तार का परिवालन हो सकता है। यह राजनीतिक विचार विग्रह का एकगत्र यान है जो लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा देने, सूचना देने और उहग

¹⁰ एआईआर 1973 एसली 106.

¹¹ एआईआर 1975 एसली 865.

¹² एआईआर 1982 एसली 149.

¹³ एआईआर 1995 एसली 1236.

करने का अधिकार तथा इसके अंतर्गत शिक्षा पाने, सूचना पाने और मुहरण किए जाने का अधिकार भी समिलित है। लोकतंत्र तब तक पिंडामान नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रीय नागरिकों के पास देश के साजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार न हो। देश के क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार तब तक निर्णयक है जब तक नागरिक मुद्दों के सभी पहलुओं पर ठीक तरह से शिक्षित न हों एकपक्षीय जानकारी, गलत सूचना, दोषपूर्ण सूचना और सूचना से वंचित रहना सभी सामानतः गैर-सूचित ऐसे नागरिक वर्ग का सृजन करते हैं जो लोकतंत्र को उपहारापूर्ण बनाता है जब रूचना का माध्यम या तो पदापातपूर्ण कंद्रीय प्राधिकरण या प्राइवेट व्यक्ति या अल्पतंत्रीय रांगठनों द्वारा एकत्रिकृत किया गया हो।

1.19 दिनेश त्रिवेदी सांसद और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य¹⁴ वाले मामले में भारत में, राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों, राजनीतिज्ञों और नीकनशाह अधिकारियों के बीच रांबंध पर बोहरा रामिति रिपोर्ट पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया -

आधुनिक संवैधानिक लोकतांत्रिक देशों में, यह स्वयं सिद्ध है कि नागरिकों को सरकार के क्रियाकलाप के बारे में जानने का अधिकार है, जो उनके द्वारा चुनी गई है और जो उनके कल्याण हेतु सुशासन की सुदृढ़ रीतियां विरचित करना चाहती है। तथापि, सभी अन्य अधिकारों की तरह, इस अधिकार की मान्यता प्राप्त रीमाएं हैं और यह किसी भी तरह से आत्मतिक नहीं है।

1.20 न्यायालय ने आगे यह कहा कि यद्यपि, उस आधार को आम जानकारी में लाना उपरित नहीं है जिस पर उस रिपोर्ट में कतिपय निष्कर्ष निकाले गए हैं और इस प्रकार निकाले गए निष्कर्ष कि नये रांस्था द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए। न्यायालय ने आगे यह कहा कि यह मान्यता प्राप्त है कि जहां एक लोक रोकक गोपनीयता के कर्तव्य के अधीन हो सकता है वहीं यह कर्तव्य अन्य लोक सेवकों के ग्रष्टाचार के रांबंध में मौन रहने तक विरतारित नहीं किया जाता। समाज को जानने का हक है और लोकहित का बेहतर पालन तभी हो सकता है, यदि ग्रष्टाचार या गलत प्रशासन को उद्घाटित किया जाए।¹⁵

1.21 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिवर्टीज (पी.यू.सी.एल.) और एक अन्य बनाम भारत संघ¹⁶ वाले मामले में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 33-के अधीन उपर्युक्त सूचना के अधिकार को प्रचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और यह कि मतदाता/नागरिक में निहित इस अधिकार को उक्त अधिनियम के पूर्वोक्त उपर्युक्त के अधीन पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है।

1.22 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिवर्टीज (पी.यू.सी.एल.) और एक अन्य बनाम भारत संघ¹⁷ वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि सारणीगिक मानव अधिकार घोषणा, 1948 (यू.डी.एच.आर.) की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान की उत्तेजिका अपने लोगों को गुरुका प्रदान करने के साथ-साथ अपने नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की रवतंत्रता

¹⁴ (1997) 4 एसटी 306.

¹⁵ -परी-

¹⁶ एजाइंसर 2003 एसटी 2363.

¹⁷ एजाइंसर 2004 एसटी 1442.

रामाविष्ट करती है। न्यायालय ने आगे यह गत वास्तविकता किया कि -

इस परम उद्देश्य के अनुसारण में अनुच्छेद 19(1)(क) अपने नामिकरणों को वाक् और अभिव्यक्ति की रखतंत्रता का अधिकार रायितान के भाग 3 में रूचीबद्ध एक मूल अधिकार के रूप में गारंटीकृत करता है। इन अधिकारों को सुस्पष्ट बापक निर्वाचनों उपर्युक्त किया गया है जिसकी निर्वाचन के माध्यम से रखतंत्र समाज की बदलती आवश्यकताओं और विकसित धारणाओं के साथ-साथ विस्तार और अनुकूलन की काफी गुणावश्वता है।

1.23 न्यायालय ने आगे यह जोड़ा कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) में यथा अंतर्विष्ट 'वाक् और अभिव्यक्ति की रखतंत्रता' का एक पहलू है और इस प्रकार निर्विवादतः एक मूल अधिकार है।

1.24 अन्य के साथ-साथ इन मामलों के पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि सूचना का अधिकार निर्विवादतः वाक् और अभिव्यक्ति की रखतंत्रता की समनुषंगी है और तदद्वारा भारत के रायितान के भाग 3 के अधीन गारंटीकृत एक मूल अधिकार है। फिर, भी यह स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में अनिवार्य हो गया है।

(क) राज्यों में सूचना के अधिकार की विधियां

1.25 राष्ट्रीय स्तर पर 'सूचना के अधिकार' पर बहस के पूर्व, ऐसे अनेक राज्य थे, जिन्होंने अपने संबद्ध सूचना के अधिकार की विधियां पूरी रक्खिता से अधिनियमित की थी। इनमें से कुछ राज्य विधियों को केंद्रीय अधिनियम के पक्ष में, राज्य सरकारों द्वारा निरसित की गई हैं, जबकि अन्य फीस, अपील और अन्य प्रक्रियागत अपेक्षाओं से संबंधित पूरक नियमों के साथ केंद्रीय आरटीआई अधिनियम के साथ सह-अस्तित्व में हैं। आरटीआई विधियां बनाने वाले कुछ प्रमुख राज्यों में से कुछ राज्यों की चर्चा नीचे की जा रही है :-

1. तमिलनाडु

1.26 तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम, 1997 के रूप में, अपने नियी सूचना का अधिकार विधियां अधिनियमित करने वाला पहला भारतीय राज्य था। अधिनियम वी धारा 2(3) सूचना को इस प्रकार परिभाषित करती है :-

"सूचना" के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन गठित राज्य या किसी राज्यानीय अन्य प्राधिकारी या कानूनी प्राधिकारी या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कंपनी, निगम या सहकारी सोसाइटी या किसी संगठन के क्रियाकलाप से संबंधित किसी दरतावेज की प्रति है।"

1.27 यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह एक समावेशी परिभाषा है। परिभाषा में सरकार द्वारा सारखान या अन्यथा दिए जाने वाले वित्त घोषणा का कोई उल्लेख नहीं है। अधिनियम में अपील की सुनवाई के लिए किसी न्यायिक मंच का उपबंध नहीं है और अधिनियम में यह अधिकारित है कि अपील सरकार या ऐसी अन्य प्राधिकारी जो सरकार द्वारा विहित किया जाए, को की जा सकती है।¹⁰ इसमें इकलीस प्रबन्ध की सूचनाएं हैं जो अधिनियम की परिधि से अपर्याप्त हैं जो गंभीरता से

¹⁰ धारा 4.

इसके प्रभाव को कम करती है। अपराध या शास्ति का कोई उपबंध नहीं है। राज्य अधिनियम केंद्रीय अधिनियम के साथ-साथ चलते हैं। राज्य सरकार ने राज्य सूचना आयोग का गठन किया है और 2005 के आरटीआई अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए नियम घोषित किए।

2. गोवा

1.28 गोवा अपना निजी सूचना के अधिकार का विधान रखने वाला दूसरा राज्य था। गोवा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 1997 अपने वृहत् शीर्षक में सरकारी कार्रवाई में पारदर्शिता लाने और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सरकार से सूचना पाने के परिणामी समर्थता की आवश्यकता पर बल देता है।

1.29 इस अधिनियम की धारा 2(ग) के अधीन, 'सूचना' के अभिप्राय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

गोवा विधान सभा द्वारा तत्समय पारित किसी अधिनियमिति के अधीन गठित राज्य या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या सरकार द्वारा वित पोषित या नियंत्रित या सरकार की ओर से या उसके द्वारा प्राधिकृत निष्पादित किए जाने वाले किसी सार्वजनिक कार्य या सेवा या किसी कंपनी, निगम, न्यास, फर्म, सोसाइटी या सड़कारी सोसाइटी या किसी संगठन के क्रियाकलाप से संबंधित कोई सामग्री या जानकारी। (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

1.30 यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम में वित पोषित शब्द के पूर्व 'सार्वान रूप से' शब्द का प्रयोग नहीं करता। इसके अतिरिक्त, सरकार की ओर से या उसके प्राधिकार से सार्वजनिक कार्य या सेवा को निष्पादित करने वाली कोई सत्ता अधिनियम के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए दायी होगी। 'सार्वजनिक कार्य या सेवा' और 'सरकार द्वारा प्राधिकृत' शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है और परिणामतः उनका निर्वचन किया जा सकता है।

1.31 धारा 2(घ) 'सूचना का अधिकार' परिभाषित करती है जबकि धारा 3 इस अधिकार की गारंटी प्रदान करती है।¹⁹ इस अधिनियम की धारा 5 में सूचना के अधिकार की परिधि से अपनर्जित सूचना के कुछ प्रवर्गों का अर्थात् भारत की संप्रगुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यक्तिगत जानकारी आदि से संबंधित विषयों का उपबंध है। सूचना से इनकार के कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएं। अधिनियम की धारा 6 आगे यह उपबंध है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सूचना के इनकारी के संबंध में सकाम प्राधिकारी के आदेश से व्यक्ति है तो वे गोवा प्रशासनिक अधिकारण अधिनियम के अधीन गठित प्रशासनिक अधिकारण में आपौल कर सकते हैं।

1.32 यह अधिनियम, केंद्रीय आरटीआई अधिनियम के साथ-साथ लानू होता है।

3. मध्य प्रदेश

¹⁹ धारा 2 (घ) - 'सूचना का अधिकार सूचना तक पहुंच का अधिकार है और इसमें कायो, दस्तावेजों, अभिलेखों, नंदूत्त और निष्पादित निकालने और उल्लेखनीय या अभिलेखों की प्राप्ति प्रतिवाद करने, या सामग्री के नमूने लेने का अधिकार शामिल है। धारा 3 - "सूचना का अधिकार- इस अधिनियम के प्राप्तिवादों के अधीन, प्रत्येक नागरिक को सहाय प्राधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।"

1.33 राज्य ने मार्च, 1998 में सूचना का अधिकार विधियेक पारित किया किंतु राष्ट्रपति सहमति से अरवीकार किया गया और इस प्रकार विधियेक प्रवृत्त नहीं हुआ। तथापि, सूचना का अधिकार विधेयक पर कार्यपालिक आदेश लगभग 50 विभागों में प्रक्रियागत है²⁹

1.34 जहां कार्यपालिक आदेश प्रक्रियागत हैं, वही राज्य विधानसभा ने 24 जनवरी, 2003 को मध्य प्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 (मध्य प्रदेश अधिनियम) अधिनियमित किया जिसे राज्यपाल सहमति प्राप्त हुई और 31 जनवरी, 2003 को यह राजमत्र में ब्रकाशित किया गया। केंद्रीय अधिनियम के पारित होने पर धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और अपील) नियम, 2005 जारी किया।

1.35 मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 2(ख) 'लोक निकाय' को परिभ्राषित करती है, जिसका अभिप्राय ऐसे *(i) राज्य सरकार के सभी कार्यालय, (ii) तत्समय प्रवृत्त राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित सभी स्थानीय प्राधिकारी और कानूनी प्राधिकारी तथा सभी कांपनी, निगम और सहकारी सोसाइटी से है जिनमें संदर्भ शेषर पूँजी का 51% से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित किया गया हो। परिभ्राषा में आठ आपवर्जनों का भी उपर्याख है³⁰ यह रामझा जा सकता है कि परिभ्राषा विस्तृती है।

1.36 मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 4 में रूचना के सात प्रवर्गों की सूची है जो इसकी परिषिके वाहर हैं। धारा 6 में यह उपबंध है कि अभिहित अधिकारी सात अतिरिक्त आधारों (इन्सित सूचना साधारण प्रकृति की है, पहले से ही सार्वजनिक उपलब्ध है, गुप्त या गोपनीय विषयों से रांचित है, अस्पष्ट है, आदि) पर सूचना की आपूर्ति के अनुरोध को भी अस्वीकर कर सकेगा।

1.37 धारा 7 में राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी को अपील करने की प्रक्रिया का उपबंध है। धारा 8 में यह उपबंध है कि यदि अभिहित अधिकारी वांछित सूचना की आपूर्ति में असफल रहता है जब अपील प्राधिकारी ऐसा करने के लिए उसे निदेश दे तो उस पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

4. राजस्थान

1.38 विधान सभा ने राजस्थान सूचना प्राधिकार अधिनियम, 2000 पारित किया। अधिनियम की धारा 2 (iv) में 'लोक निकाय' को इस प्रकार परिभ्राषित किया गया है।

(क) तत्समय प्रवृत्त राजस्थान राज्य विधान सभा के किसी अधिनियमित के अधीन गठित सभी स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकरण के कार्यालय ; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित कोई अन्य कानूनी प्राधिकरण ; या

²⁹ यहां उल्लेख है: <http://www.humanrightsinitiative.org/content/state-level-rti-madhya-pradesh> (अंतिम जार 21-12-2017 को देखा गया)

³⁰ *(i) नाय प्रदेश में विभिन्न केंद्रीय राज्यपाल अस्त्रभाईशी - सरकार के कार्यालय, (ii) नाय प्रदेश राज्य में शासक बलों या बेंडीप द्वारा रोने वाली सूचना, (iii) देश सरकार के त्वागित बाले निगम, (iv) भारतीय संघटन, (v) मध्य प्रदेश विधान सभा, (vi) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और न्यायालयी शास्ति कानून के अन्य न्यायालय, और अन्य रागड़न विनाये पास न्यायालयी की स्थिति है और विनायी कार्यालयी न्यायिक गानी जाती है कार्यालयी, (vii) मध्य प्रदेश के राज्यसभा के संविधानसभा, (viii) लोकसभा का कार्यालय।

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन गठित सरकारी कंपनी/निगम जिसमें संदत्त शेयर पूँजी का 51% से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धरित है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित या उसके द्वारा नियंत्रित न्याया ; या

(घ) राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित और उसके द्वारा प्रत्यक्षतः नियंत्रित या वित्त पोषित सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य संगठन (बल दिया गया) ; या

(ड) कोई अन्य निकाय जिसे राज्य सरकार से सारबान वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है जैसा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । (बल दिया गया)

1.39 यहां यह उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम यद्यपि, केंद्रीय अधिनियम से पांच वर्ष पूर्व की तारीख का है, सरकार से निकाय या जल्ता के वित्तीय संबंध के बारे में कहता है जिसका यह अर्थ है कि यदि निकाय या जल्ता ऐसी रीति से संबद्ध है तो वह लोक निकाय समझी जाएगी ।

1.40 अधिनियम की धारा 5 में रूचना के 10 प्रवर्गों का उपबंध है, जो अधिनियम की धारा 3 में गारंटीकृत सूचना के अधिकार के अधीन नहीं आते हैं । धारा 6 और 7 अपील के बारे में है । इन धाराओं के अधीन एक आंतरिक अपील और एक रवतंत्र निकाय को अपील का उपबंध है ।

1.41 अधिनियम की धारा 12(क) राज्य सरकार और लोक निकाय द्वारा सूचना के रूप्रेणा से प्रकटन के बारे में है, जैसा वह लोकहित में समुचित समझे ।

1.42 यहां भी राज्य अधिनियम, केंद्रीय अधिनियम के साथ-साथ लागू है ।

5. कर्नाटक

1.43 कर्नाटक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000 (अब निरसित) को 10 दिसंबर, 2000 को राज्यपाल ली राहगति प्राप्त हुई । इस अधिनियम की धारा 2(ख) ने 'सूचना' को परिणायित किया, जिसका अभिप्राय प्रशासन के क्रियाकलाप या लोक प्राधिकरण के विनियश्वयों की बाबत किसी विषय से संबंधित सूचना से है । अधिनियम की धारा 4(2) में सूचना के अप्रकटयोग्य प्रवर्ग से छूट से संबंधित आठ उपखंड हैं । इस अधिनियम में शास्ति खंड भी है और रवतंत्र अधिकरण को अपील का उपबंध है ।

1.44 इस अधिनियम को आध्यादेश द्वारा 17 अक्टूबर, 2005 को निरसित किया गया । राज्य सरकार आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 का विद्यान्वयन कर रही है । सरकार ने भी केंद्रीय सरकार के नियमों के आधार पर कर्नाटक सूचना का अधिकार नियम, 2005 जारी किया है ।

6. महाराष्ट्र

1.45 महाराष्ट्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000 (सूचना का अधिकार आध्यादेश 2002 द्वारा निरसित) में केवल 9 धाराएँ थीं । उक्त अधिनियम की धारा 3(2) में तमिलनाडु अधिनियम की तरह प्रकटित न किए जाने की अपेक्षा वाले सूचना के 22 प्रवर्गों का उपबंध है ।²² अधिनियम की

²² धारा 3 (2).

धारा 2(3) में ‘सूचना’ को ‘राज्य या तत्समग्र प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित किसी कंपनी, निगम या लहकारी सोसाइटी या किसी संगठन के क्रियाकलापों से संबंधित किसी दरतावेज की प्रति’ सम्मिलित करते हुए परिभाषित किया गया है।

1.46 यह उल्लेखनीय है कि पूर्वोक्त परिमाण में राज्य या प्राइवेट सत्ता के बीच संबंध का अवधारण करते हुए, किसी वित्तीय संबंध के किसी मापमान का उल्लेख नहीं किया। (बल दिया गया) इस अधिनियम में सूचना सक्रियतापूर्वक सूचना देने के लिए और न ही विवारित करने के लिए किसी शारिस का कोई उपबंध किया गया है।

1.47 वर्ष 2002 में सामाजिक कार्यकर्ता श्री अन्ना हजारे की अगुवाई में अभियान के सतत प्रयासों के पश्चात् राज्य सरकार हारा महाराष्ट्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2002 पारित किया गया। लक्ष्यपि, केंद्रीय आरटीआई, अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सरकार ने महाराष्ट्र सूचना का अधिकार (निरसन) अधिनियम, 2005 द्वारा महाराष्ट्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2002 निरसित किया।

1.48 सरकार ने आरटीआई, अधिनियम, 2005 की धारा 27(2) के अधीन राज्य सरकारों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य प्रक्रियागत व्यौरों के साथ अपील प्रक्रिया, फीस का संदाय का उपबंध करते हुए, सूचना अधिकार नियम, 2005 जारी किया।

7. दिल्ली

1.49 वर्ष 1999-2000 में कार्यकरी रामूँ में गोवा अधिनियम की तरह विधान बनाने का सुझाव दिया⁷⁷। इसके पश्चात् दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के विधान सभा ने दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 पारित किया। इस अधिनियम की धारा 2(4) में ‘सूचना’ को प्रभावित किया गया है, जिसका अभिप्राय :-

“संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 और उस सूची की प्रविष्टि 64, 65 और 66 का जहां तक उक्त प्रविष्टि 1, 2 और 18 से संबंध है, की बाबत नामलों के सिवाय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित कोई सामग्री या सूचना।”

1.50 धारा 2(7) ‘लोक प्राधिकारी’ को इस प्रकार परिभाषित करती है :-

“(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन, (ख) सरकार द्वारा बनाई किसी विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय और जिसके अंतर्गत सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः की गई निधियों द्वारा सारचान रूप से पित्त पोषित। (बल दिया गया)।”

1.51 अधिनियम की धारा 6 में सूचना के अप्रकल्पयोग्य प्रवर्ग से मानक अपर्जन अंतर्विष्ट हैं और धारा 7 के अधीन अपील फाइल करने की प्रक्रिया का उपबंध है।

⁷⁷ यह उल्लेख है: <http://www.humanrightsinitiative.org/content/state-level-rti-delhi> (अंतिम दिन 06-01-2018 को देखा गया)।

1.52 अधिनियम केंद्रीय आरटीआई, अधिनियम के साथ-साथ लागू है।

8. उत्तर प्रदेश

1.53 उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अप्रैल, 2000 को 'सूचना के पहुंच की आवश्यकता' चनाहे हुए कार्यपालिक आदेश जारी किया। तथापि, केंद्रीय आरटीआई, अधिनियम के पासित होने के पश्चात् राज्य सरकार ने केंद्रीय अधिनियम को लागू करना शुरू किया। राज्य सरकार ने तब उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत नियमन) नियम, 2006 और उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2006 जारी किया; किंतु 2016 में इन दोनों नियमों का अधिकरण किया गया और इसके रथान पर उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2015 रखा गया।

9. जम्मू और कश्मीर

1.54 जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2003 (7 जनवरी, 2004 को राजपत्र में अधिसूचित) का प्रतिरक्षण जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा किया गया जिसे राज्यपाल की सहमति 20 मार्च, 2009 को प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने 20 जुलाई, 2009 को जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार नियम, 2009 भी प्रकाशित किया।

1.55 राज्य की विशेष रांपैदानिक प्रास्तिकों के कारण केंद्रीय अधिनियम यहां लागू नहीं है। तथापि, 'सूचना'²⁴ और 'लोक प्राधिकारी'²⁵ पदों की परिभाषाएं केंद्रीय अधिनियम के सदृश हैं।

10. असम

1.56 असम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 को 1 मई, 2002 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई और 7 मई, 2002 के अधिसूचित किया गया। 'सूचना' पद को अधिनियम की धारा 2(ग) के अधीन परिभाषित किया गया है जिसका अभिप्राय 'राज्य सरकार या लोक प्राधिकारी के प्रशासन या विनियशयों के क्रियाकलापों की वावह किसी विषय से संबंधित सूचना' है और सम्मिलित है। तथापि, परिभाषा 'ऐसे किसी सूचना के प्रकाशन जिसका इस अधिनियम के अधीन समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विवरी अधिसूचना द्वारा या तत्त्वमय प्रवृत्त किसी विविध द्वारा प्रतिषेध किया गया है,' अपवर्जित करती है।

1.57 अधिनियम की धारा 2(ड) 'लोक प्राधिकारी' की विरकृत परिभाषा करती है। यह उपबंध करती है कि :-

लोक प्राधिकारी से निम्नलिखित अभिप्रेत है और इसने निम्नलिखित सम्मिलित है -

- (i) तत्त्वमय प्रवृत्त किसी विविध के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित सभी स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकरण ; या
- (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन नियमित ऐसी सरकारी कंपनी या निगम

²⁴ धारा 2 (ज)

²⁵ धारा 2 (ब)

जिसमें संदर्भ शेगर पूँजी का 51% रो अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित किया जाता है या राज्य सरकार द्वारा भागतः या पूर्णतः वित्त पोषित और स्वामित्वाधीन या नियंत्रित अन्य राज्य सरकारी उपक्रम, संगठन या संस्था या ऐसी संस्था जिसमें राज्य सरकार ऐसी यथास्थिति, कंपनी, निगम संस्था, संगठन या उपक्रम द्वारा उपलब्ध की किए गए किसी चरण या वित्तीय अडिग की बाबत जमानती है ; या

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त तत्त्वागत फिरी निधि के अधीन या इसके द्वारा वित्त पोषित या प्रलादातः नियंत्रित सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य सोसाइटी, न्यास या कोई अन्य संगठन या संस्था ; या

(iv) राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सहित कोई निकाय, प्राधिकरण, संस्था, संगठन, अभिकरण या परिकरण ; और

(v) इस अधिनियम के प्रयोगान के लिए समय-समय पर राज्य सरकार यथा अधिसूचित राज्य सरकार से सारबान दितीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी अन्य निकाय, प्राधिकारी, संस्था या संगठन, के अधिकारी सम्मिलित हैं ।

1.58 पूर्वोक्त परिभाषा में लोक प्राधिकारी के कठिपय अपवादों का भी उपबंध किया गया है²⁶ राज्य अधिनियम केंद्रीय अधिनियम के साथ-साथ लागू है और केंद्रीय अधिनियम के पारित होने के दीक पश्चात् राज्य सरकार ने बाद वाले को भी लागू करना आरंभ कर दिया । राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम सूचना का अधिकार कीस नियम, 2005 जारी किया ।

(x) आर.टी.आई. आंदोलन - सामाजिक और राष्ट्रीय वातावरण

1.59 नियते रत्तर पर भारत में आर.टी.आई. आंदोलन के आरंभ को नजदूर किसान शक्ति संगठन (एम.के.एस.एस.) जैसे संगठनों का सत्तत प्रयास के पश्चात् हुआ नहीं समझा जा सकता । दर्श 1990 में गठित एम.के.एस.एस. के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हुए न्यूनतम वेतन के क्षेत्र के कठोर प्रयास, ग्रामीण राजस्थान में सूचना के अधिकार और मानव अधिकार संबंधी क्रियाकलायों के अन्य रूपों ने राजस्थान सरकार को अंततः राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 1999 को अधिनियमित करने के लिए प्रेरित किया जो जून, 2000 में प्रदृढ़ हुआ ।

1.60 शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 के निरसन की मांग के साथ-साथ रिहिल सोसाइटी संगठनों द्वारा सूचना के अधिकार की प्रकृति नांग को नीति निर्धारकों द्वारा उपेक्षित नहीं किया गया । परिणामतः, प्रधन मुख्य प्रारूप विधान को 1996 में भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा प्रचालित किया गया । इस प्रारूप विधान में, जिसी लोक निकाय से प्रत्येक नागरिक को सूचना के अधिकार की पुष्टि की और यह कि लोक निकाय में संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन यथा परिभाषित राज्य को ही शामिल नहीं किया गया बल्कि ऐसे प्राइवेट व्याप्ति और संस्थाओं के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित

²⁶ "(i) केंद्र सरकार के कार्यालय; (ii) लक्ष्य वस्तु या केंद्रीय पर-हेत्य वस्तु की व्यापना; (iii) केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व द्वारा नियंत्रित हिस्से भी निकाय या नियम; (iv) असम के लक्ष्य न्यायालय और अन्य दिव्यगत और अन्य लगातार राहित वगनून के द्वारा कानून जिनमें न्यायालय ली रखिये हैं, जिनकी कार्यवाही न्यायिक नामांगाड़ी गानी जाती है; (v) असम सरकार के राजिवालय; (vi) असम विधानसभा के राजिवालय और (vii) जिसी भी कार्यालय, निकाय या प्राधिकरण को जय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है ।"

रामी उपक्रमों, गैर सरकारी प्राधिकारियों, कंपनियों, निगमों, सोसाइटियों, न्यारा, फर्म या सहकारी सोसाइटी जिसके क्रियाकलाप लोकहित को प्रभावित करते हैं, प्रभावी रूप से कारपोरेट सेक्टर और गैर सरकारी संगठन दोनों को प्रस्तावित विधान की परिधि के भीतर लाया गया ।²⁷

1.61 तत्पश्चात् भारत सरकार ने श्री एच. डी. सूरी की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार और खुली और पारदर्शी सरकार के संवर्धन पर कार्यकारी समूह गठित की। कार्यकारी समूह से पूर्णतः सूचना का अधिकार अधिनियम बनाने की संभावता और आवश्यकता की परीक्षा करने और खुली तथा उत्तरदायी शासन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चरणबद्ध रूप में इसे लागू करने की परीक्षा करने और सिविल सेवा (आचरण) नियम और कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल के प्रतिनिर्देश से नियमों की विरचना करने की परीक्षा करने के लिए भी कहा गया। कार्यकारी समूह ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक के प्रारूप के साथ-साथ मई, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रारूप विधेयक ने प्राधिकारियों को ऐसी सूचना विधारित करने के लिए समर्थ बनाया जिसका प्रकटन कोई लोकहित पूरा नहीं करता। इसमें आगे प्राइवेट सेक्टर और गैर सरकारी संगठनों को अपवर्जित कर लोक प्राधिकारी की परिमाण को संकीर्ण किया गया है जो सरकार द्वारा सारखान रूप से वित्त पोषित या नियंत्रित नहीं थे और भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा परिचालित प्रारूप के कुछ सरकारात्मक पहलुओं को कम कर दिया गया है ।²⁸ चर्चा के पश्चात् सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 संसद् द्वारा पारित किया गया जिसे वर्ष 2003 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। तथापि, चूंकि, इस अधिनियम को राजपत्र में कभी अधिसूचित नहीं किया गया, इसलिए यह प्रवृत्त नहीं किया जा सका। अनुदर्शन से, यह महसूस किया गया कि यह अधिनियम जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका था।

1.62 भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति एम. एन. वैकटचलेया की अध्यक्षता के अधीन राष्ट्रीय संविधान के कार्यकरण के पुनर्विलोकन आयोग (एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी.) ने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 2002 को प्रस्तुत की। उसने सूचना के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में पहचान की और यह भी कहा कि शासन की नई शैली के पीछे मुख्य धारणा नागरिकों का सूचना तक पहुंच है। रिपोर्ट में आगे यह कहा गया है कि आम आदमियों के अधिक दुख और लाचारी का पता सूचना के उसकी पहुंच और विनिश्चय करने की प्रक्रिया की जानकारी की कभी के कारण नहीं लग पाता। इसमें आगे यह कहा गया कि सरकार मुख्य दायित्व उठाए और नागरिकों को सूचना प्रदान करना सुनिश्चित करने के कौशल को उभारे। गोपनीयता के पारंपरिक प्रभाव को अर्चीकार किया जाना चाहिए। प्रशासन को पारदर्शी और भागीदारी, न्यूनतम दमनकारी और बाबूगीरी की बिलंबकारी युक्ति से युक्त होना चाहिए और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि रिश्वत और भ्रष्टाचार पर पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए ।²⁹

1.63 यू. पी. ए. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम ने सूचना के अधिकार पर विधि बनाने का वादा किया जो अधिक प्रगतिशाली, सहभागी और सार्थक हो। सरकार ने एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन किया जिसमें सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम में ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन के सुझाव दिए जिससे इस अधिनियम का निरसन किया गया और सूचना के अधिकार विधेयक को नये सिरे

²⁷ चुंबीर नाइब, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - एक हैंडबुक 24-26 (भीमलकोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2011).

²⁸ -वही- 26 पर.

²⁹ एनसीआरहब्यूली की रिपोर्ट, जैएन में निर्णित बोर्डलिका, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर टिप्पणी (४ सार्वजनिक कलनून प्रकाशन क, नई दिल्ली, दृष्टिय संस्करण, 2012).

रो प्रारूपित किया गया। आरटीआई, विदेशक को 23 दिसंबर, 2004 को लोकसभा के पटल पर रखा गया किंतु बाद में संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया। स्थायी समिति की अंतिम रिपोर्ट को 21 मार्च, 2005 को लोकसभा के पटल पर रखा गया³⁰ मई, 2005 को संसद की दोनों सदनों द्वारा विदेशक परित विषया गया और 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। आरटीआई, अधिनियम, राजपत्र में अधिसूचना के जारी किए जाने और 12 अक्टूबर, 2015 को इसके प्रकाशन से प्रवृत्त हुआ।

1.64 ठीक ही यह टिप्पण किया गया है कि विधि मानव आचरण का नियामक है³¹ तथापि, कोई विधि प्रभावी रूप से तब तक अपना प्रयोजन पूरा नहीं कर सकती जब तक यह समाज द्वारा स्वीकार न की जाए और इसके पीछे समानतः प्रभावी प्रवर्तन तंत्र न हो। समाज द्वारा स्वतः स्वीकृति हो जाती है जब स्वयं विनिश्चय करने वाले लोगों के आचरण से लोकाहित को प्रभावित करने वाले कार्यों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जपावदेही प्रतिबिम्बित होती है।

1.65 इस हित को संरक्षित करने का भार अंततः उस सरकार के कंधों पर रहता है जिसका कर्तव्य लोगों के कल्याण की देखभाल करना है। जहां रामाज में शारान के अन्य किसी प्ररूप को छोड़कर लोकतंत्र को चुना है वहां यह रपट है कि नागरिक उनलोगों के आचरण में पारदर्शिता चाहते हैं जो उनके हितों को प्रभावित करने की स्थिति में है। ऐसे नागरिक किसी समय पर उनके कार्यों के लिए जबाबदेह होने वाले मण्डारियों को भुला राकते हैं और उस परिदृश्य में स्वयं नागरिकों में से उन चुनी गई सरकार उस मांग को रामायोजित करने के तंत्र को बनाए रखने के सिवाय कोई पिकल्प नहीं रह जाता। उच्चतम न्यायालय के कर्तिपय विनिश्चयों के परिशीलन और आरटीआई, अधिनियम, 2005 के आधार और दिकास से रपटतः यह मत व्यक्त किया जा सकता है कि जनता के जानने और सूचना प्राप्त करने के अधिकार को भारत में लोकतंत्र के साफ-सुधरे कार्यक्रम के लिए पवित्रतम अधिकार के रूप में समझा गया है।

³⁰ श्री सुरेश पर्वती, जारीक मंत्रालय, जोक शिक्षात्तर्त्त्व और ऐसन मंत्रालय और संसदीय ग्राम्यों के मंत्रालय में राज्य नंगो; सूचना का अधिकार विदेशक पर लोकसभा में बहता, 10 मई 2005 को 351 पर

³¹ ये एन वरोलालिया, मूटोक्स टिप्पण 5 पा 30

आध्याय 2

आयोग को प्रतिनिर्देश और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट

2.1 उच्चतम न्यायालय ने विहार क्रिकेट एसोसिएशन वाले मामले में, भारत के बिधि आयोग को आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की परिधि के भीतर बी.सी.सी.आई. को लाने के मुद्दे की परीक्षा करने और सरकार को उपरित सिफारिशों करने का प्रतिनिर्देश किया।

2.2 यह धिसा-पिटा कथन है कि सूचना के अधिकार के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन प्रत्याभूत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए अनिवार्य माना जाता है। कुछ आयोग और समितियाँ हैं, जिन्होंने स्वयं संविधान और स्वतंत्र कानूनों की अवरांगना के भीतर इस अधिकार के बेहतर रूपांतरण के बारे में मूल्यावान सुझाव दिए।

2.3 इस बावत, संविधान के कार्यक्रम के पुनर्विलोकन के राष्ट्रीय आयोग, 2002 की रिपोर्ट (एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी.) पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

क. एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी. रिपोर्ट 2002³²

2.4 इस रिपोर्ट के अध्याय 3 के अधीन मूल अधिकारों में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया गया है।

2.5 'राज्य' की परिभाषा के संबंध में यह प्रकथन किया गया कि -

संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकार विनिर्दिष्ट संवैधानिक उपबंधों के अभाव में मुख्यतः 'राज्य' के विरुद्ध प्रवर्तनीय है। अनुच्छेद 12 में 'राज्य' की परिभाषा 'समावेशी' होने के कारण न्यायालयों ने यह निर्देश दिया कि जहाँ इसके क्रियाकलापों में सरकार का व्यापक या प्रभावी नियंत्रण या महत्वपूर्ण अंतर्वलन हो वहाँ ऐसे निकाय, सत्ता और संगठन 'राज्य' की परिभाषा के भीतर आते हैं।

यह सिफारिश की जाती है कि संविधान के अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए :-

स्पष्टीकरण - इस अनुच्छेद में, 'अन्य प्राधिकरी' पद में ऐसा व्यक्ति अपने ऐसे कृत्यों के संबंध में जो लोक प्रकृति के हैं, सम्मिलित होगा।

2.6 आगे यह सिफारिश की गई कि अनुच्छेद 19(1)(क) को व्यक्ततः प्रेस और अन्य मीडिया की स्वतंत्रता, राय लेने की स्वतंत्रता और सूचना और विचार की ईप्शा करने, प्राप्त करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को सम्मिलित करते हुए संशोधन किया जाए। विश्वारा में प्राप्त सूचना, उसके सिवाय यदि लोकहित में अपेक्षित है, के प्रकटन पर आगे निर्बंधन लगाते हुए अनुच्छेद 19(2) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया।

2.7 एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी. ने यह सिफारिश की कि अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(2) को इस प्रकार संशोधित किया जाए :

³² न्यायालय एनएन वेक्टरलिया की अधिकता में एनसीआरडब्ल्यूसी की रिपोर्ट देखें। 31-03-2002.

अनुच्छेद 19(1) रामी नागरिकों को अधिकार होगा -

(क) बाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें प्रस और अन्य मीडिया की स्वतंत्रता, राच बनाने और सूचना और विचार की ईज्ञा करने, प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता समिलित होगी ।

19(2) चंड (1) के उपर्युक्त (क) की कोई बात उपर्युक्त हासा विए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, दिवेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवगान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन या विश्वास में प्राप्त सूचना, उसके सिवाय जब लोकहित गें अपेक्षित के प्रवर्तन को निवारित करने के संबंध में युक्तियुक्त निर्वधन जहाँ तक कोई विद्यानान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं आलेगी या वैसे निर्वधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।

2.8 यह मत व्यक्त किया जा सकता है कि एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी. ने अन्य प्राधिकारी की व्याप्ति के भीतर - अपने ऐसे कृत्यों जो लोक प्रकृति के हैं, के संबंध में किसी व्यवित, को समिलित करने का सुझाव दिया है और इस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(क) की उपयोजन की पारेंटि का विस्तार किया है और साथ ही साथ सूचना के अधिकार को ऐसे निकायों के विरुद्ध प्रवर्तनीय बनाया है जिनके कृत्य लोक कृत्य प्रकृति के हैं ।

स. भारत के विधि आयोग की 179वीं रिपोर्ट, 2001³³

2.9 इस रिपोर्ट के अध्याय 4 में सूचना के अधिकार से संबंधित पहलुओं पर विचार किया गया जैसा यह दाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याप्ति के भीतर समिलित किया गया। रिपोर्ट में ऐसे कई मामलों पर चर्चा की जिनमें यह पुनः पुष्ट की गई है कि सूचना का अधिकार संविधान के अधीन एक नूल अधिकार है ।

2.10 यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि संयोगवश यह रिपोर्ट उस समय प्रत्युत की गई जब सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, 2002 से संबंधित विचार और संसाधनों को जुटाया जा रहा था ।

ग. प्रणव मुखर्जी समिति 2001 की रिपोर्ट

2.11 गृह गंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति जो प्रणव मुखर्जी समिति, 2001 के नाम से जानी जाती है, की नियुक्ति सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, 2000 का पुनर्विलोकन और परीक्षा करने के लिए की गई ।

2.12 समिति ने कॉमनवेल्थ मानव अधिकार पहल (सी.एच.आर.आई.) के प्रतिनिधियों, डा. माधव गोडबोले, भूतपूर्व केंद्रीय गृह सचिव, श्री ए. जी. नूरानी, वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रोफेरार ननू भाई साह, प्रबंध न्यारी, उपमोक्ता शिंका और अनुरांधान सोसाइटी (सी.ई.आर.एस.) को 14 जनवरी, 2001 को हुई थैठक में सुना । 8 फरवरी, 2001 को उसने मजदूर किसान शक्ति संगठन के प्रतिनिधियों और न्यायगृहि फी. वी. सावंत, अध्यादा भारतीय प्रेस परिषद् को सुना । इसके अलावा

³³ नामनुस्ति दी पी. बीपन रेही की अवधान में 14-12-2001 को प्रस्तुत किया गया।

रामिति ने श्री मी. जी. देशमुख, भूतपूर्व कौविनेट रामिति के लिखित सुझाव प्राप्त किए। इन अक्षियों और रामउनों ने कई सुझाव और संशोधन प्रस्तुत किए। रामिति ने कार्यक्रम, लोक विकास और पैशान नंत्रालय को इन विशेषज्ञों/रामउनों के महाउसाको टिप्पणी के लिए अंगठित किए। रखयं समिति का यह मत या ये इन भूतपूर्व सुझावों में से कई सुझाव विवेयक में नहीं लिए गए थे और सरकार को विवेयक को और व्यापक बनाने को लिए उन पर विचार करना चाहिए।¹⁴

घ. राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2013 के प्रारूपण के लिए कार्यकारी समूह की रिपोर्ट

2.13 राष्ट्रीय खेल फेडरेशन (एन.एस.एफ.) ने पारदर्शिता और सुशासन के मुद्दे पर विचार करने के लिए खेल नंत्रालय ने न्यायमूर्ति (रोगनिवृत्त) मुकुल मुद्राल की अव्याहता में कार्यकारी समूह स्थापित किया। रामूह विभिन्न खेल प्रशासकों, विधिक विशेषज्ञों और अधिनियम विन्द्रा और भूतपूर्व भारतीय हाकी रक्षीपर, विशेषज्ञ जैसे प्रख्यात खिलाड़ियों से गिलकर बना। रामूह ने जुलाई, 2013 में नंत्रालय को ‘राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2013’ शीर्षक का प्रारूप विवेयक तैयार किया और प्रस्तुत किया।

2.14 इस प्रारूप विवेयक ने अपील खेल अधिकरण और खेल निर्बाचन आयोग के गठन सहित कई सुझाव दिए, तथापि, इस रिपोर्ट के संदर्भ में उल्लेखनीय प्रस्ताव अध्याय IX ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ की उपयोज्यता था, जिसमें अन्य वातों के साथ-साथ आरटीआई अधिनियम, 2005 की पारा 2(ज) के अधीन राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों को लोक प्राविकारी समझे जाने और उनसे उनके अधिनियम के निवेदनानुसार अपने कर्तव्य पालन और कृत्य के निर्वहन की अपेक्षा करने का उपनिधि है।

ड. लोधा कमेटी रिपोर्ट, 2016

2.15 वह साही है कि भारत में सोसाइटियों के कार्यकरण में कर्तिपय स्तर तक पारदर्शिता और जावाबदेही चुनिशित करने के उपाय विद्यमान हैं जिन्हें ये उपाय ऐसे प्रस्तावार और अन्य अनियमितताएं जो इन सोसाइटियों के प्रचालन के तरीकों में आ गई हैं, से प्रभावी रूप से निपटने के लिए अपर्याप्त सावित हुए हैं। इस पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति आर.एम. लोधा, भारत के भूतपूर्व गुरु न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति अशोक भान, न्यायमूर्ति आर. वी. रवीन्द्रन, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की एक रामिति गठित की। इस रामिति को अन्य वातों के साथ-साथ नी.सी.सी.आई. की पद्धतियों और प्रक्रियाओं की वरीष्ठा करने और सुधार के लिए संगम ज्ञापन और नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन करने की उपयुक्त सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया।¹⁵

2.16 रामिति ने रांगठन, अवसंरचना, नेतृत्व, संपरीक्षा, लेखा और वित्त, निरीक्षण और पारदर्शिता आदि जैसे आठ विन्द्र-विन्द्र शीर्षों के अधीन एक रही पैतीस प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार

¹⁴ यह मामलों पर विभाग से संबंधित नियमों की रिपोर्ट, सूचना स्थानिका रिपोर्ट, 2000 की संस्करण द्वितीय, 25 जुलाई, 2001 को चलाया के रास्ते पैस की पैक, 25 जुलाई, 2001 की संस्करण की पैक पर रही गई, यहां संपलब्द है। <http://161.100.47.5/rschool2/reports/home.asp?P78threport.htm> (वित्त तार 04-01-2018 को देखा गया)।

¹⁵ रिपोर्ट में सुधार पर उपीय कमेटी की रिपोर्ट (वित्त लोधा कमेटी रिपोर्ट में उठा जाता है), यहां संपलब्द है http://www.gujaratcricketassociation.com/file-manager/Iodha/Lodha_Committee_Report.pdf (वित्त तार 08-12-2017 को देखा गया)।

किया और गितरित किया। समिति ने भूतपूर्व कलानों, अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम वर्ग खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, प्रबंधकों, प्रशासकों, पत्रकारों, अचैर खिलाड़ियों, लेखकों, अधिकार्ताओं, बलव मालिकों, चबनकर्ताओं और उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायमूर्ति सहित लगभग 74 व्यक्तियों के साथ मुंबई, दैग्नुर, घेनै, कोलकाता, हैदराबाद और नई दिल्ली में 75 दिनों की दैरें के भी आयोजित की। इसके अतिरिक्त, समिति ने देश के राज्यी भागों में कैसे कुप्रशासन फैल रहा है, के बारे में क्रिकेट प्रेमियों, रथानीय विशेषज्ञों और प्रशासकों से कई अध्यापित (किंतु हमेशा स्वागतयोग्य) पत्रों के साथ-साथ भीड़िया रिपोर्टों, वृत्त चित्रों, अन्य प्रकाशित सामग्री, प्रारूप विधान, पुरतकों और लेखों की गहनता से परीक्षा की।

2.17 समिति ने निमालिखित महत्वपूर्ण सिफारिशों की -

- विधायिका बी.सी.सी.आई. को आरटी.आई. अधिनियम की परिधि के भीतर लाने के लिए 'राष्ट्रीयतापूर्वक विचार करें'।
- भूतपूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी गोहिन्द्र अमरनाथ, दियाना इदुलजेन्द अनिल कुमले, सदस्य के साथ भूतपूर्व गृह सचिव, जी. के. पिल्लैय की अध्यक्षता में स्थायी समिति बनाई जाए।
- बी.सी.सी.आई. के पदधारकों की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- किसी पदधारक की अधिकतम तीन बार नियुक्ति हो सकती है।
- किसी पदधारक की अवधि लगातार नहीं होगी। प्रत्येक अवधि के अंत में थोड़ी प्रशीतन अवधि (अंतराल) होगा।
- आई.पी.एल. के लिए पृथक शासी निकाय होना चाहिए।
- खिलाड़ियों और बी.सी.सी.आई. कर्मचारियों को बोर्ड को अपनी आस्तियां यह सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में कि वे बोली न लगाए, प्रलट करनी चाहिए।
- राज्यों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए, 'एक राज्य - एक सदस्य - एक न्यूनता' प्रस्तावित किया जाए। व्यक्तियों के परोक्ष गतदान की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए।
- कोई बी.सी.सी.आई. पदधारी को मंत्री या सरकारी रोपक नहीं होना चाहिए।

2.18 लोधा समिति को यह जानकारी थी कि उसकी शिफारिशों से संभवत: गिन मिन उत्तर प्राप्त होंगे, किंतु उसने यह विश्वास किया कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत में क्रिकेट के खेल को उसके पुराने गौरव की पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता को महरूस करते हुए, समिति द्वारा शिफारिश किए गए कठोर उपाय अनिवार्य थे।

2.19 इस प्रकार, यह ध्यातव्य है कि सूचना के अधिकार, लोक महत्व के विभिन्न घटकों के भीतर पारदर्शिता और जगावदेही की कमी के परिवर्ती मुद्दों पर बार-बार धर्चा की गई। इन घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाली निकायों की विधिक प्रारिथति एक गहन प्रश्न रहा है। परिणमतः, इन निकायों की सक्रियता और उनकी निकियता से संबंधित विषय के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों वीरि अधिकारिता का अवलंब लेना अब आवश्यक हो गया है।

अध्याय 3

संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य की अवधारणा

3.1 वर्षों से भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 राष्ट्रियक निर्वनात्मक प्रयोग का विषय रहा है। इस अनुच्छेद में परिभाषित 'राज्य' पद की व्याप्ति और विस्तार पर अनेक विवार-विग्रह किए गए।

3.2 अनुच्छेद इस प्रकार है:-

इस गान में जब लक कि गुंदमी से अन्यथा अपेक्षित न थे, 'राज्य' के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा सज्जों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और संविधान मंडल तथा भारत के राज्य द्वेष के भीतर या भारत सरकार के विवरण के अधीन रानी रक्षानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

3.3 इस परिभाषा को आरंभतः व्यापक समझा गया और इस अनुच्छेद के अधीन नियत प्राधिकारियों और उन तक जिन्हें सजातीय पदों जा राकता है, तक सीमित किया गया। वर्ष 1967 तक न्यायालयों का यह गत था कि कानूनी निकाय, विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालयों में प्रवेश की चयन समिति इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए 'अन्य प्राधिकारी' नहीं थे।

3.4 तथापि, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर बनाम गोहन लाल²⁶ (राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड वाला गामला) वाले मामले में रिहिति परिवर्तित हो गई जब सच्चतम न्यायालय के संविधान न्यायालय ने अन्य प्राधिकारी पद का निर्वचन ऐसे रानी संवैधानिक और कानूनी निकायों को समिलित करने के लिए किया जिन पर विधि द्वारा शक्तियां प्रदत्त की गई थी और यह अधिनिर्धारित किया गया कि हमेशा यह तात्परिक नहीं है कि प्रदत्त शक्तियों में से कुछ ऐसे क्रियाकलापों के क्रियानामन के प्रयोजन के लिए थी जो वाणिज्यिक प्रकृति के थे।

3.5 इस नयेपन के पश्चात् भी, वर्ष 1969 में 'अन्य प्राधिकारी' पद की व्याप्ति का विस्तार किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने उबल पद की एक बार धूनः परीक्षा करते हुए, यह उद्घोषित किया कि कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित कंपनी 'राज्य' की परिभि के बाहर है, क्योंकि इसका गठन कानूनी रूप से नहीं किया गया और यह किसी कानूनी कर्तव्य के निर्वहन के अधीन नहीं है।²⁷

3.6 किंतु वर्ष 1975 में उच्चतम न्यायालय की एक अन्य संवैधानिक न्यायालय ने सुखदेव सिंह बनाम भगत राम सरदार सिंह रघुवंशी²⁸ (सुखदेव सिंह वाला गामला) के रामका जब तेल और प्राकृतिक गैरा आयोग (ओ.एन.जी.सी.), ओटोग्रिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.) और भारतीय जीवन दीपा निगम (एल.आई.सी.) जैसे सार्वजनिक नियमों की प्रास्थिति के प्रश्न पर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कानूनी द्वारा गठित प्रास्थिति पर विवार किया कि क्या इन्हें अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत 'अन्य प्राधिकारी' पद में समिलित किया जा राकता है, तो न्यायालय ने इसका सकारात्मक उत्तर

²⁶ एआईआर 1967 एसटी 1057.

²⁷ प्रगत दृष्टि कोरियन बनाम सी.जी. इमानुअल एआईआर 1969 एसटी 1306.

²⁸ एआईआर 1975 एसटी 1331.

दिया और निनलिखित गत व्यक्त किए :-

हाल के वर्षों में राज्य की अवधारणा में काफी परिवर्तन हुए। आजकल राज्य को नात्र प्राधिकार के दमनाल्पक तंत्र के रूप में नहीं रामझा जा सकता। इसे गुरुत्वः रोवा निगम के रूप में देखा जा सकता राज्य एक निरपेक्ष इकाई है। यह प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति के परिकरण या अधिकरण के माध्यम से कार्य कर सकता है। अतः, निगम के नाथ्यम से कार्य करने और इसे राज्य का अभिकरण या परिकरण बनाने की राज्य की धारणा में कोई अद्भुत परिवर्तन नहीं है। शासी शक्ति जहाँ कहीं भी है, गूलभूत संवैधानिक सीमाओं के अधीन होनी चाहिए। संविधान के नियंत्रण के अधीन शक्ति केंद्रों के अधीन राज्य कार्रवाई की अवधारणा के विस्तार की अपेक्षा करती है। हमारे प्रयोगन के लिए यह सुसंगत परम प्रश्न है कि क्या ऐसा निगम आम जनता के फायदे के लिए कारबाह बलाने के लिए राज्य का अभिकरण या परिकरण है। दूसरे शब्दों में प्रश्न यह है कि किसके फायदे के लिए निगम कारबाह बला रहा है ?

3.7 सभाजीत तिवारी दनाम भारत संघ³⁹ (सभाजीत तिवारी वाला मामला) वाले मामले का पिशेष उल्लेख किए जाने की अपेक्षा है क्योंकि यह उसी दिन निश्चय किया गया, जिस दिन सुखदेव सिंह वाले मामले का विनिश्चय किया गया था, जहाँ रावीच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए प्रतिकूल मत व्यक्त किया कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुरांधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) निनलिखित कारणों से 'अन्द प्राधिकारी' नहीं है - (क) यह कि इसका ओ.एन.जी.सी., एल.आई.सी. और आई.एफ.सी. जैसा कानूनी चरित्र नहीं है, किंतु रोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नात्र निगमित रोसाइटी है; और (ख) यह कि सी.एस.आई.आर. के कर्मचारी सरकारी सेवकों को उपलब्ध संरक्षण का उपयोग नहीं करते जैसा संविधान के अधीन अनुद्यात है।

3.8 बाद में वर्ष 1978 में बंगलोर वाटर सप्लाई और सिवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा⁴⁰ वाले मामले में 'राजोचित' और 'संत्रमु' कृत्य पदों पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त पदों का प्रयोग इस तथ्य के बावजूद सरकारी कृत्यों को परिनापित करने के लिए किया जाता है कि ऐसी कठिनाइयां हैं जो उक्त पदों का ऐसा अर्थ प्रदान करते रामय उद्भुत होती हैं, इस कारण कि सरकार ने अपना दायरा उद्योग के क्षेत्र में बढ़ा लिया है। इस प्रकार, आवश्यक विषया द्वारा केवल ऐसी रोवाओं को उद्योग के क्षेत्र से अपवर्जित किया जाना चाहिए जो पृथक नियमों और अनुच्छेद 310 और 311 जैसे संवैधानिक उपबंधों द्वारा शासित हैं।

3.9 इसके पश्चात् रमण दया राम रोटी बनाम भारतीय अंतरराष्ट्रीय चायु पत्तन प्राधिकरण⁴¹ (अंतरराष्ट्रीय चायु पत्तन प्राधिकरण वाला मामला) के महत्वपूर्ण विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :

निगम की रचना दो तरीकों में से किसी एक के अनुसार की जा सकती है। इसे या तो कानून द्वारा स्थापित किया जा सकता है या किसी विधि के अधीन जैसे कंपनी अधिनियम,

³⁹ एआईआर 1975 एससी 1329.

⁴⁰ एआईआर 1978 एससी 548.

⁴¹ एआईआर 1979 एससी 1626. यह गी. देश, डॉ. रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 1985 एससी 660.

1956 या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन निगमित किया जा सकता है। जहां निगम पर सरकार का नियंत्रण उसके नीति निर्धारण में ही नहीं अपेक्षा उसकी स्थापना करने वाली विधि द्वारा अथवा उसके निगमन के चार्टर द्वारा उसे राखे गए कार्यों को पूरा करने में भी होता है वहां इसने कोई संदेह नहीं हो सकता कि वह सरकार का तंत्र या अधिकरण होगा। किंतु आगे तीर पर जहां निगम की स्थापना कानून द्वारा ली जाती है वहां अपने कारीकरण में वह कर्मी-कर्मी, किए गए उपबंध के अधीन रहते हुए स्थायत्त होता है, कि वह ऐसे निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा जो नीति विषयक बातों में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं। इसी प्रकार विधि के अधीन निगमित निगम का प्रबंध भी उस कानून के उपबंधों के अनुसार निदेशक बोर्ड या प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है जिसके अधीन वह निगमित किया जाया है। ऐसा निगम कब सरकार का तंत्र या अधिकरण हो जाता है।

3.10 अजय हाशिया बनाने खालिद मुजीब सेहरावर्दी⁴² (अजय हाशिया वाला मामला) वाले मामले में जहां देवीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जिसका प्रशासन सोसाइटी अधिनियम, 1898 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा था, यह प्रश्न उठा कि क्या यह 'राज्य' की परिमाणा के अधीन आ सकता है और इस प्रकार अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता के अधीन है। न्यायालय द्वारा यह अधिनिर्धारित किया गया सोसाइटी का वही आधार नहीं है जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार का है, इसलिए, यह देखा जाना है कि क्या यह 'अन्य प्राधिकारी' की परिधि के भीतर आएगा। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि सरकार के अधिकरण या परिकरण की अवधारणा कानून द्वारा सूचित निगम तक सीमित नहीं है बल्कि समानता: फँपनी या सोसाइटी को लागू है और प्रत्येक नामले गें इसका विनियोग सुसंगत कारखों के पर विचार करने के पश्चात् किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय बायु पत्तन प्राधिकरण वाले मामले का अवलंब लेते हुए, राज्य अभिकरण या परिकरण के अस्तित्व को अवधारित करने की सुसंगत कसीटियों को संकेत में इस प्रकार अधिकथित किया :-

1. यदि निगम की संपूर्ण शेयर पूँजी सरकार द्वारा धारित है तो इससे काफी हद तक यह उपदर्शित होगा कि निगम सरकार का परिकरण या अधिकरण है।
2. जहां राज्य की वित्तीय सहायता इतनी अधिक है जो निगम के लगभग संपूर्ण ज्यव को पूरा करती है, वहां निगम का सरकारी परिस्थिति रो संसद्वत होने का संकेत प्राप्त होगा।
3. जहां निगम एकाधिकर प्रास्थिति का उपभोग करता है, जो राज्य प्रदत्त या राज्य संरक्षित है।
4. क्या राज्य का इस पर 'गहन और व्यापक' नियंत्रण है।
5. यदि एकक के कृत्य लोक महत्व के हैं और सरकारी कृत्यों से गहरे संबंधित हैं।
6. यदि स्वयं सरकार का विभाग निगम गें अंतरित हो जाता है।

3.11 न्यायालय ने आगे यह कहा कि ये कसीटियां अंतिम या निश्चायक नहीं हैं बल्कि ये मात्र दिम्दर्शी प्रकृति के हैं जिनका उपयोग 'अन्य प्राधिकारी' पद के व्यापक अर्थ निकालने की

⁴² एजांडावार 1981 एसली 487.

आवश्यकता पर बल देते समय, सतर्कता और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

3.12 प्रदीप कुमार विश्वास बनाम भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान⁴³ (प्रदीप कुमार विश्वास वाला मामला) वाले मामले में बहुमत का यह मंहत्व था कि अजय हाशिया वाले मामले में अधिकथित करतीटियां ऐसे नियम निष्ठ लिखांत नहीं थे जिससे कि उनमें से एक के गीतार आने वाले निकाय को 'राज्य' समझा जाए। प्रत्येक मामले में प्रेस यह होगा कि वया तथ्यों के आधार पर निकाय दितीय, कृत्य और प्रशासनिक रूप से सरकार द्वारा या उसके नियंत्रण के अधीन है। इसके अतिरिक्त, ऐसा नियंत्रण व्यापक होना चाहिए। मात्र नियामक नियंत्रण चाहे कानूनी या अन्यथा हो, पर्याप्त नहीं है। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तो निकाय को राज्य कहा जा सकता है। इस मामले में सगाजीत तिवारी वाले मामले में दिए गए विनिश्चय को उल्ट दिया गया था और बहुमत द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सी.एस.आई.आर. संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थात् 'राज्य' है।

⁴³ (2002) 5 एसलीली 115, 48 मी देव, नहायबद्धक, फिलाल राहकारी दिनी गिर्ला लिमिटेड सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश चनाम राहकारी नियाम (2003) 8 एसलीली 639, फेडल ईंक लिमिटेड बनाम सागर ओनल, एजाईआर 2003 एसली 4325; जी. बाला रेडी बनाम अंतर्राष्ट्रीय फारल अनुसंधान संस्थान, एजाईआर 2003 एसली 1764.

अध्याय 4

आर.टी.आई. विधियां और खेल निकाय : मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य

4.1 वैशिकता: खेल ने शारीरिक और मानसिक रवरथता, गृहितक नियोजन, पारस्परिक संबंध विकास, विभिन्न जातियों और रामुदागों के बीच सामाजिक संबंध के रूप में राज्य कला के तरक्स में एक तीर के रूप में कार्य करते हुए, विभिन्न प्रकार के मानव जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। मानव अस्तित्व और खेल के बीच संबंध विशिष्ट रूप से जटिल है, और इस प्रकार आवश्यक रूप से खेल और मानव अधिकारों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का उद्भव होता है।

4.2 सार्वभौमिक रूप से मानव अधिकार लागू होने के कारण खेल संगठनों द्वारा इसे नगम्य नहीं समझा जा सकता। सूचना के स्वतंत्र बहाव पर निर्देशन भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित मूलमूल लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंचाता है। सूचना का इनकार अधिकारों लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अपवर्जित कर समाज के चयनित भागों द्वारा सत्य के दुरुपयोग को सहायता प्रदान करता है। मानव विकास की अवधारणा प्रत्यक्षतः मानव अधिकारों से जुड़ी है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण शासन और विकास में भागीदारी की मांग करती है जिसे प्रत्याभूत सूचना की पहुंच उपलब्ध करा सकती है।¹⁴

4.3 खेल निकाय, यद्यपि पारंपरिकतः स्वायत्त है, किंतु इन निकायों की एकाधिकारवादी प्रास्तिति, उनके परिणाम और उनके कृत्यों की अंतर्भूत लोक प्रकृति के कारण इन्हें धीरे-धीरे विनियम की परिधि के भीतर लाया जा रहा है। इन एकलों में व्याक्त दुर्घटनाओं और संबंधित मुद्दे व्यापकतः इन निकायों में गानव अधिकार विधियों को लागू करने की आवश्यकता को द्योतित करते हैं। तथापि, इस संबंध में आने वाली अङ्गचन यह है कि कैसे खेल फैलरेशन सहित प्राइवेट निकायों के द्वितीय मानव अधिकारों को प्रदृढ़ बनाया जाए।

4.4 इस अध्याय में, प्रथमतः मानव अधिकार के रूप में सूचना के अधिकार का उपर्यन्त, द्वितीयतः प्राइवेट निकायों को मानव अधिकार विधियों के लागू किए जाने के सिद्धांतों की परीक्षा और तृतीयतः खेल के संदर्भ में मानव अधिकारों की परोक्षा का प्रतिबिम्बन किया जाएगा।

क. मानव अधिकार के रूप में सूचना का अधिकार

4.5 सरकारी सूचना तक पहुंच के अधिकार का अस्तित्व धीरे-धीरे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों रत्तों पर चारों ओर रटीकार किया जा रहा है। मैट्रिसको और पैरागुवे जैसे देशों ने सूचना के अधिकार को 'सूचना के पहुंच के मानव अधिकार' के रूप में अभिहित किया है। राष्ट्रीय रत्त पर, सूचना के अधिकार को कई राष्ट्रों के संविधान विधि में इसको स्थान पाते हुए देखा गया है और 1990 से, सूचना विधियों की स्वतंत्रता को अपनाने वाले राज्यों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।¹⁵

¹⁴ यह उल्लेख के <http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/articles/RTI%20as%20a%20Human%20Right%20and%20Developments%20in%20India.pdf> (पिछली दिन 02-01-2018 को देख गया)।

¹⁵ रोजर व्हेल्गेल, "ली एकओआई कानूनों का अपलोड, मिज स्टेट्स (2011), यह उपलब्ध है http://www.right2info.org/resources/publications/laws-faci-laws-fringe-special_roger-vleugels_2011-oct (पिछली दिन देखी गई 02-01-2018 को)। ५४ ये देश, एकसैन और सेटीवल-एक्सेस, 'सूचना कानूनों की स्थापना का ऐक्सप्लोट' ५८ विज्ञान एन. रो. ८५ (2008)

4.6 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आवश्यक भाग के रूप में सूचना के अधिकार की व्यापक स्वीकृति नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय रिविल और राजनीतिक प्रसंविदा अधिकार (आई.सी.सी.पी.आर.) के अनुच्छेद 19 और अफ्रीका और अमेरिका के क्षेत्री मानव अधिकार संधियों में पाया जाता है ।⁴⁶

4.7 सूचना के अधिकार को प्रायः अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों द्वारा अभिव्यक्ति के अधिकार की व्याप्ति के भीतर पाया गया, पृष्ठान्तिक रिविल किया जाता है । तथापि, ऐसे निकायों ने सूचना के अधिकार की उनकी मान्यता को अन्य अधिकारों के उपरोग अर्थात् निजी जीवन के सम्मान का अधिकार ; निष्पक्ष विचारण का अधिकार ; प्राण का अधिकार ; सामाजिक और आर्थिक अधिकार ; और सार्वजनिक क्रियाकलापों में भाग लेने को जाहार बनाया है ।⁴⁷

4.8 अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को सूचना के अधिकार के आवरण अधिकार के रूप में अदलंबित किया है और लगभग सभी अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों ने इस अधिकार के संरक्षण पर बल दिया है ।⁴⁸

4.9 सूचना का अधिकार एक आधारभूत अधिकार है जो सुशासन, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के व्यावहारिक साधन को पक्ष खोजित करता है । सुशासन, दब्लू सरकार द्वारा या लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता । सूचना की स्वतंत्रता और सार्वजनिक क्रियाकलापों में व्यापक नागरिक भागीदारी का आश्वासन और सक्रिय रिविल रामाज लोकतंत्र के पूर्ण एहसास और मानव अधिकारों की संरक्षित और जवाबदेही विकसित करने के लिए आवश्यक है ।⁴⁹ सूचना के अधिकार की मान्यता इन प्रयोजनों के प्राप्त करने के लिए निर्णायक है अतः, प्रत्यागृह और विधायीकृत्य सूचना के अधिकार की आवश्यकता है । अंतरराष्ट्रीय रूप से, सूचना तक पहुंच के विधानों को 'सूचना विधि की स्वतंत्रता' के रूप में जाना जाता है ।

4.10 तथापि, यह विशेष शास्त्रिक प्रतीत होता है, किंतु यह निर्णायक है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । यह व्यात्या है कि सामान्य तौर पर 'अधिकार' पद की विकास तत्त्वमान कर्तव्य के रूप में होती है । सूचना के नागरिक का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर कर्तव्य निहित करता है कि मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई गई है । दूसरी ओर, 'स्वतंत्रता' पद जनता को सूचना उपलब्ध कराने की सरकार के कर्तव्य की रूपरूप भावना को दोषित नहीं करता ।

संवैधानिक स्थिति

4.11 जहां कुछ देशों ने अपने संविधान में सुरक्षित सूचना के अधिकार को मान्यता प्रदान की है वहीं अन्य देशों में न्यायपालिका ने वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सूचना के अधिकार को रामिलित करने के संदर्भ में निर्विवित किया है । यद्यपि, सूचना के आधिकार को सुरक्षित सार्वतोर्ता के संदर्भ में मान्यता प्रदान नहीं की गई है किंतु रार्वोच्च न्यायालय ने कई विनिश्चयों के माध्यम से यह निर्विवित किया है कि यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन

⁴⁶ एन.सी. पैक और अन्य, 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में सूचना का अधिकार' 13 (1) एवं अर एल रेन (2013), 47 - नहीं-

⁴⁸ अनुच्छेद 19, आईसीसीपीआर 1966, अनुच्छेद 13, नानवाधिकार पर जमेली समेलन 1969, अनुच्छेद 10, मानव अधिकारों और गौतिक स्वतंत्रता पर गुरुणीय समेलन 1950, और अनुच्छेद 9, मानव और रीपुल्स बड़दूऱ 1981.

⁴⁹ डीएसआर के अंतर्राष्ट्रीय साजाहकार आयोग द्वारा रिपोर्ट एन रेनल्डन की अध्यकाता में, मानवाधिकार और गैरिजी उन्नति चार्टर डाक्ट फैल के लिए एक रालिज़ द्वारा उपलब्ध है: <https://goo.gl/IRSGWg> (गेट्सी बार 08 01 2018 को देखा गया).

‘वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार’ का भाग है। इसके अलावा भारत के उच्चतम न्यायालय ने आगे यह कहा है कि जानने का अधिकार प्राण के अधिकार का अभिन्न भाग है और जब तक किसी व्यक्ति को सूचना का अधिकार नहीं है, प्राण के अधिकार का सार्थक उपभोग नहीं किया जा सकता। (बल दिया गया)⁵⁰

4.12 अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन सूचना के अधिकार की जड़ें सार्वजनिक मानव अधिकार घोषणा (यू.डी.एच.आर.) के अनुच्छेद 19 और आई.सी.सी.पी.आर. के अनुच्छेद 19 में निहित हैं, जहां यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति ‘गौखिक, लिखित या मुद्रित या अपने विकल्प के किसी अन्य भी डिया के माध्यम से सभी प्रकार की सूचना और विचार मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता’ का उपयोग करता है। यू.एन. मानव अधिकार समिति (यू.एन.एच.आर.सी.) ने इस पर बल देते हुए कि अधिकार के अंतर्गत क्या आते हैं, यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि अनुच्छेद 19 ‘सावेजनिक निकायों द्वारा धारित सूचना के पहुंच के अधिकार को समिलित करता है’। समिति ने यह उल्लेख किया कि ‘ऐसी सूचना’ के अंतर्गत ‘सावेजनिक निकाय द्वारा धारित अभिलेख चाहे वे किसी भी रूप में भंडारित किए गए हैं, इसका स्रोत और उत्पादन की तारीख समिलित है’⁵¹

4.13 अपने अधिदेश के प्रारंभिक दिनों से आर्थिक और सामाजिक परिषद् (इको सोस) द्वारा नियुक्त विशेष संवाददाताओं ने सूचना के अधिकार को स्पष्ट किया है। अधिदेश के दूसरी रिपोर्ट में विशेष संवाददाताओं ने सूचना के अधिकार द्वारा निभायी जाने वाली ‘सार्वाधिक नहत्वपूर्ण’ भूमिकाओं को उजागर किया है⁵²

4.14 वर्ष 1998 में यू.एन. मानव अधिकार शायोग को प्रस्तुत विशेष संवाददाता की रिपोर्ट में सूचना के अधिकार के महत्व को इस प्रकार कग आंका :⁵³

सूचना ढाहने और प्राप्त करने का अधिकार रागान्यतः राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संगत नहीं है, किंतु सूचना की मांग करने, प्राप्त करने और प्रदान करने के अधिकार की अपनी तरह की स्वतंत्रता..... राज्यों पर सूचना तक पहुंच बनाने को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ भंडार और पुनर्प्राप्ति प्रणाली के सभी तरह के सारकार द्वारा धारित सूचना के संबंध में सकारात्मक वाध्यता अधिरोपित करता है.....।

4.15 वर्ष 2013 में विशेष संवाददाता की रिपोर्ट में सूचना के संतुलित अधिकार के लिए पूर्ण तर्क प्रस्तुत किए :-

लोक ब्राह्मिकारी जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, लोक सद्भाव को पूरा करते हैं, इसलिए सिद्धांततः उनके विनिश्चय और कार्रवाई को पारदर्शी होना चाहिए।

⁵⁰ रिपोर्ट मेट्रोकेनिकल विपिटेड बनान भारतीय एन्सेप्रेस के भावित, एसाईआर 1989 एसी 190 पैरें.

⁵¹ यू.एन.एस.एस.ली के सामाजिक टिक्की संघ 34, शीरीनीअर / शी / बीशी / 34, पैरा 16, एस. एन.एस.ली 8: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf> (अंतिम बार 21-12-2017 को देखा गया)

⁵² विशेष अधिकारियों का रिपोर्ट भी अंदें हुईन नामवाचिकार प्रस्ताव पर अंदें के अनुसार 1893/45 है / शीएन 4/1 99 6/32, पैरा 135, यह उपलब्ध है: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G94/750/76/PDF/G9475076.pdf?OpenElement> (अंतिम बार 21-12-2017 को देखा गया)

⁵³ इस एक्स्ट्राक्ट की छुन्न साइट बीबी.पी.एन. काइन. चाहजीरिया में स्थानीय सरकार अधिकार और प्रबंधन में मानवाधिकार व्यावर: <https://gon.g/4W4mny> (अंतिम बार 01-04-2018 को देखा गया)

गोपनीयता की प्रवृत्ति बहुत आपवादिक मामलों में ही स्वीकार्य है जब गोपनीयता उनके कार्य के प्रभाविकता के लिए आवश्यक हो। परिणामतः उस तरह के सूचना का प्रकटन ठोस लोकहित में है। तथापि, कलिपय प्रकार की सूचना की पहुंच व्यक्तियों द्वारा उनके अन्य अधिकारों के उपयोग को प्रभावित कर सकता है। ऐसे मामलों में, बहुत आपवादिक परिस्थितियों में ही सूचना को विधारित किया जा सकता है⁵⁴

4.16 सूचना की पहुंच कई मानव अधिकार समितियों का मानक तत्व हो गया है⁵⁵ और अन्य सार्वान द्वेषों में संघार्य विकास, पर्यावरण, खाद्य और कृषि और भूष्टाचार से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय करारों में काफी स्वीकार किया गया है⁵⁶ गत की स्वतंत्रता और अधिकारित की स्वतंत्रता को व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अपरिहार्य शर्त के रूप में माना गया है। ये किसी समाज के लिए आवश्यक हैं⁵⁷ आई.सी.पी.आर. ने अधिकारित की स्वतंत्रता को पारदर्शिता और जबाबदेही के सिद्धांतों को प्राप्त करने के आवश्यक इत्त के रूप में अधिहित करता है और इस प्रकार मानव अधिकारों के संवर्धन आर संरक्षण के लिए आवश्यक हैं⁵⁸

4.17 ‘शांति न्याय और ठोस रास्ता’ के धारणीय विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.), सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, सूचना की पहुंच को सुशासन, मानव अधिकार और जबाबदेही से जोड़ता है; और सभी सदस्य राज्यों से जनता को सूचना विधियों और नीतियों तक पहुंच को स्वीकार करने और लागू करने की गांग करता है⁵⁹

4.18 मानव अधिकार विधियां आई.सी.पी.आर. के अनुच्छेद 19 में यथा अंतर्विष्ट अधिकारित की स्वतंत्रता के अधिकार और अन्य अधिकारों के बीच संबंध को भी मान्यता प्रदान करती है। सूचना का अधिकार का भी आई.सी.पी.आर. के अनुच्छेद 25(1) से गहरा संबंध है जो सभी नागरिकों को ‘सार्वजनिक क्रियाकलाप के संचालन में भाग लेने’ का अधिकार और अवसर प्रदान करता है। मानव अधिकार समिति ने ‘रौसरशिष्ट के बिना’ सार्वजनिक भागीदारी में सूचना की रक्तंत्रता के महत्व पर बल देती है⁶⁰ नानव अधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय (ओ.ए.सी.एच.आर.)

⁵⁴ यह और उपर्योगित गी साक्षाता के अधिकार के प्रत्यार और संरक्षण पर विशेष संबंधिता का शिरोदर्शक ए / 68/362, वर 20, यहां उपलब्ध है: <https://undocs.org/A/68/362> (पिछली बार 1 डिसेम्बर 2017 को देखा गया)

⁵⁵ यह और उपर्योगित गी साक्षाता के अधिकार के प्रत्यार और संरक्षण पर विशेष स्वाक्षरता का शिरोदर्शक ए / 70/261, वर 6, यहां उपलब्ध है: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/273/11/PDF/N1527311.pdf?OpenElement> (अंतिम बार 20-12-2017 को देखा गया)

⁵⁶ देखें अनुच्छेद 1.9 (एक विशेष मानवाधिकार रास्ता) वाले तेबार शिरोदर्शक, शीर्षक सूचना तक पहुंच और स्वतंत्रता का लक्ष्य, यहां उपलब्ध है: <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017/07/Open-Visions-and-the-SDGs-2017.pdf> 6-9 पर (अंतिम बार 21-12-2017 को देखा गया -2017)

⁵⁷ देखें, यूएन यस्तापेन, सीसीपीआर/सी/80/वी/1173/2003, जनार रास्ता 1173/2003, अल्टेलग्यट बेनहादजिद अली बेनहाद बनाम अल्जीरिया, यहां उपलब्ध है: http://www.worldcourts.com/farc/eng/decisions/2007-07-20_Benhadj_v_Algeria.htm (पिछली बार 02-01-2019 को देखा गया); वह नी देखें, यूएन यस्तापेन, सीसीपीआर/सी/84/वी/628/1995, राष्ट्र रास्ता 628/1995, टीए हून मार्क बनाम योरिया गणराज्य, यहां उपलब्ध है: <http://hlir.library.unm.edu/undocs/sessions64/view628.htm> (पिछली 02-01-2018 को देखा गया).

⁵⁸ यामाच टिक्की रास्ता 34, आई.सी.पी.आर. यूरोपियन टिक्की 52.

⁵⁹ आन असेक्ली संकल्प ए / आरसीएस / 70/1, वर 16.6-16.10, यहां उपलब्ध है: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/does/globalscompact/A_RES_70_1_E.pdf (अंतिम बार 21-12-2017 को देखा गया)। आई.सी.पी.आर. सीसीपीआर/सी/21/वी. 1/एड 7, वेर 7 के अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 4 के तहत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनाए गए

⁶⁰ यामाच टिक्की रास्ता 25, यहां उपलब्ध है: <https://goo.gl/2myYmt> (पिछली बार 02-01-2018 को देखा गया)

ने विद्यमान मानव अधिकार विधियों ; सर्वोत्तम आचरणों, अनुभव, चुनौती और उन पर विजय प्राप्त करने के मार्ग के संदर्भ में सार्वजनिक क्रियाकलाप में भाग लेने के अधिकार के संरक्षण, संवर्धन और क्रियान्वयन पर अपनी 215वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ इस विद्वु को दोहराया और विस्तारित किया ।⁶¹ इसके अतिरिक्त, राजी देशों द्वारा अधिक देशों में सार्वजनिक उपबंध रखने के रूप में पहचान की गई है जो या तो विनिर्दिष्ट सूचना के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं या अभिव्यक्ति की रूपांतरता के आधारभूत पहलू के रूप में निर्णयज विधि के माध्यम से इसे सम्मिलित करते हैं ।⁶²

4.19 इस जटिल सूचना भू-परिधि में, कि संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2015 में नये व्यापक अवसंरचना : 2030 में गरीबी उन्मूलन के लिए धारणीय विकास एजेंडा, नक्षत्र के संरक्षण, रावके लिए संपन्नता सुनिश्चित करने पर सहमत हुआ । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक लक्ष्य के विनिर्दिष्ट अभिधारण के साथ एजेंडे में गरीबी, स्वास्थ्य, कृषि, लिंग समता, नगरपान और युवक नियोजन कुल 169 लक्ष्यों सहित क्षेत्रों में 17 एस.डी.जी. की रूपरेखा तैयार की गई है । एस.डी.जी. अवसंरचना के भीतर सूचना तक पहुंच और संसूचना तकनीक विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार प्रदान करती है । 11 लक्ष्य सूचना तक पहुंच के लिए उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य तत्व के रूप में कार्य करते हैं । एजेंडा अपने पूर्ववर्ती, मिलेनियम विकास लक्ष्य से नाटकीय रूप से विभेद करता है और उस लिए वह धारणीय विकास के अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाता है । यह अभिरक्षीकृत करता है कि धारणीय विकास बहुफलकीय है और इसके सभी संविधायी संघटक परस्पर संबंधित हैं । अतः, विकास चुनौतियों को पूरा करने के लिए यह सभी प्रकार के अधिकारों अर्थात् सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सिविल और सूचनात्मक को पूरा करने की अपेक्षा करता है ।⁶³

ख. प्राइवेट सत्ता को लागू होना

4.20 पारंपरिकतः, मानव अधिकार न्यायशास्त्र व्यक्तियों और समूहों को अधिकार प्रदान करने तथा राज्यों पर बाध्यता अधिरोपित करने की दृष्टि से विकसित हुआ । मानव अधिकार विधियों का यह अनुमान था कि व्यक्ति और सत्ता का अपनी परिधि के भीतर न केवल अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी हैं । ऐसा मार्ग जिसमें प्राइवेट व्यक्ति और सत्ता द्वारा कर्तव्य किया गया समझा जाता है और उत्तरवायी ठहराया जा सकता है, मानव अधिकार विधियों के अधीन अधिकारों के उनके उपभोग के संबंध में नियमनिष्ठ अग्रगामी के रूप में या उचित रूप से सुगठित नहीं है ।

(i) राज्य दायित्व

4.21 मानव अधिकार विधियों का लक्ष्य प्राइवेट व्यक्तियों और सत्ताओं के व्यवहार के संबंध में

⁶¹ एएचआरसी/30/26.

⁶² देखें, संयुक्त राज्य संघ राजिन, 'सार्वजनिक अधिकार सूचना' 42 कोलंबिया एव्हार एज. रेप. (2011).

⁶³ वी निगलर, 'सूचनात्मक क्षमताओं: विकास पर आईसीटी के प्रभाव के लिए आवाजा लिक' (2011), वी रॉटर, 'आईसीटी, एसडीटी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार (2016); एस्टरहुरोन, 'आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित क्यों करें? इटनेट पर मानवाधिकारों के लिए काम कर लें वैधिक आंदोलन के निर्णय में रुकान, उपलब्धिया और चुनौतियों पर प्रतिवेदित' (2011), मारिला नारिडो और गिरील फेलोस, 'सूचना जल पहुंच और टिकाऊ विकास लक्ष्य' (2017) में उन्हें, यहाँ उपलब्ध है: <https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-introduction.pdf> (पिछली मार 03-01-2018 को देखा गया)।

राज्यों की बाध्यताओं को मजबूत बनाना है। इसे यू.एन. मानव अधिकार समिति⁶⁴ (यू.एन.एच.आर.सी.) और मानव अधिकार यूरोपीयन न्यायालय (ई.सी.एच.आर.) के विधिशास्त्र के माध्यम से उजागर किया जा सकता है। मानव अधिकार संरक्षण के प्रभाव को आगे बढ़ाने में, राज्यों को ई.सी.एच.आर. द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों द्वारा हरतक्षेप के विरुद्ध संरक्षण करने में असफलता द्वारा साकारात्मक बाध्यता के भंग के रूप में उत्तरदायी ठहराया गया है।⁶⁵

4.22 यू.एन.एच.आर.सी., द्वारा प्रकाशित आई.सी.सी.पी.आर. पर सामान्य टिप्पणी सं. 31 इस राज्य दायित्व पर बल देता है :

.....तथापि, प्रसंविदा अधिकार सुनिश्चित करने के राज्य पक्षकारों की सकारात्मक बाध्यता तभी पूर्णतः उन्मोचित होगी यदि व्यक्तियों को राज्य द्वारा न केवल उसके अधिकर्ताओं द्वारा प्रसंविदा अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों या सत्ताओं द्वारा किए गए कार्यों के विरुद्ध संरक्षित किया जाता है जो प्रसंविदा अधिकारों के उपभोग में बाधा पहुंचाते हैं, जहाँ तक वे प्राइवेट व्यक्तियों या सत्ताओं के बीच लागू होने के अधीन हैं...⁶⁶

4.23 राज्यों के सकारात्मक बाध्यताओं की व्याप्ति के विस्तार में मानीटरिंग निकायों और न्यायालयों को यह मांग करने की महत्वपूर्ण शक्तियों से सुसज्जित किया है कि राज्यों द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों और सत्ताओं के कार्रवाई की स्वतंत्रता को निर्बंधित करते हुए, कतिपय कार्रवाइयां की जा सकती हैं, जहाँ अन्य व्यक्तियों के अधिकार या महत्वपूर्ण लोकहित या यहाँ तक कि मूलभूत मूल्य का संबंध है।⁶⁷

4.24 इसे खेल फेडरेशनों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता के संदर्भ में भी समझा जा सकता है, जबकि ये निकाय स्वायत्ता का दावा करते हैं, सामान्य, किर भी इस महत्वपूर्ण तर्क के आधार पर कि धारणीय लोकहित दाव पर लगा है।

(ii) प्राइवेट निकाय के कर्तव्य

4.25 मानव अधिकार मात्र मानव होने के आधार पर ही धारित अधिकार है। वे जन्मजात, अंतर्भूत, असंक्राम्य और मानव व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा के लिए अनिवार्य हैं। यद्यपि, उन्हें राष्ट्रीय विधि प्रणाली के माध्यम से अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है, किन्तु प्रणाली को इन अधिकारों का स्रोत नहीं कहा जा सकता।⁶⁸ इस प्रकार मानव अधिकार सृजित करने में मात्र राज्य दायित्व मानव अधिकार की अपूर्ण अवधारणा है। इन अधिकारों के मूल प्रकृति का सार

⁶⁴ विलियम एड्हुआर्डी डेलगार्डी वे विद्या, संघार सं. 18/1985, यूएन डॉक्यूमेंट सीसीपीआर/सी/39/डी/1985/19 85 (1990); प्रांत नहसिक बनाम ऑस्ट्रिया, संघार संख्या 608/1995, यूएन डॉक्यूमेंट सीसीपीआर/सी/57/डी/ 608/1995 (1996).

⁶⁵ कोरटेली-रोबर्ट्स बनाम यूनाइटेड किंगडम, 247-सी यू.सी.टी. एचआर (सेर ए) (1993); ओज बनाम पोलैंड, 2005-4 यू.सी.टी. एचआर; स्टोर्क बनाम जर्मनी, 2005-दी यू.सी.टी. एचआर, लिंगेव बनाम यूक्रेन, ऐपा. हाई 473/02 (2005) (अप्रतिविधित) यह उपलब्ध है: <http://www.echr.coe.int/echr/> (अंतिम बार 21-12-2017 को देखा गया), एस पायर में उद्धृत, 'सार्वजनिक कानून और निजी शीकायत' मानवाधिकार संलग्न में एक अंतर्कानूनल लों 585-604 (2008) का इंटर्न जेमारलनएल, यहाँ उपलब्ध है: <https://academic.oup.com/icon/article/6/3-4/585/654442> (अंतिम बार देखा गया 2018/03/01)

⁶⁶ सामान्य टिप्पणी संख्या 31, पृष्ठ. 8, यहाँ उपलब्ध है: <https://bit.ly/ZsYVic> (प्रिव्यू कार 03-01-2018 को देखा गया).

⁶⁷ इनेट जेमेन, 'निजी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन: अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालयों और निवारणी निकायों का मायता कानून' ईयुआई कार्य पत्र (2009) यहाँ उपलब्ध है: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/11409/AEL_2009_08.pdf?sequence=1&isAllowed=y (last 03-01-2018 को देखा गया).

⁶⁸ वैसालाइन हिंगिस, समस्तान और प्रक्रिया। इटरनेशनल ली एड हाउस वी यू.पी. 9-6 (अंतर्राष्ट्रीय कलेजेन ब्रेस, 1994).

निकालने के लिए, प्राइवेट सत्ताओं को उनका लागू किया जाना भी आवश्यक है।

4.26 मानव अधिकार और पीपुल्स अधिकार पर अफ्रीकन चार्टर में यह उल्लेख है कि ‘प्रत्येक व्यक्ति का अपने कुटुम्ब और समाज, राज्य और अन्य ऐंथ मानवताप्राप्त समुदायों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति कर्तव्य होगा’⁶⁹

4.27 कारबार और मानव अधिकार पर यू.एन. मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह उल्लेख है कि कारबार को मानव अधिकारों का ‘सम्मान’ करना चाहिए, ‘अन्य लोगों के मानव अधिकार के अतिक्रमण से बचना चाहिए’ और प्रतिकूल मानव अधिकार प्रभावों पर ध्यान देना चाहिए जिनसे वे अंतर्वलित हैं। यह दायित्व ‘मानव अधिकार संखाण करने वाली राष्ट्रीय विधियों और विनियमों के अनुपालन के अतिरिक्त विद्यमान है।’⁷⁰

4.28 यू.एन. मार्गदर्शी सिद्धांत 15 में यह उल्लेख है कि कंपनी का मानव अधिकारों का सम्मान करने का दायित्व - चाहे प्रभाव से कारित होने, अभिदाय करने या प्रत्यक्षतः जुड़ने के माध्यम से अंतर्वलित हो, निम्नलिखित सहित नीतियों और प्रक्रियाओं को रथान देते हुए, पूरा करना चाहिए :⁷¹

1. मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए उनके दायित्व को पूरा करने की नीतिगत वचनबद्धता ;

2. वे कैसे मानव अधिकारों पर उनके प्रभावों को पूरा करते हैं, की पहचान करने, रोकने, उपशमित करने और हिसाब में लेने की मानव अधिकार सम्यक् सतर्कता प्रक्रिया ;

3. किसी प्रतिकूल मानव अधिकार प्रभाव के उपचार को समर्थ बनाने की प्रक्रिया, जिन्हें वे कारित करते हैं या जिनका वे अभिदाय करते हैं।

4.29 यूनाइटेड किंगडम के मानव अधिकार अधिनियम के संसदीय बहस के अनुक्रम में, यह स्पष्ट था कि प्राइवेट या उप संविदागत लोक सेवा प्रदान करने वाले प्राइवेट निकायों को ‘लोककृत्य’ अवधारणा के माध्यम से अधिनियम की व्याप्ति के भीतर सम्मिलित किए जाने का अभिप्राय था।⁷² ये प्राइवेट व्यक्ति या निकाय मानव अधिकार प्रत्याभूतियों को भंग करने की स्थिति में हैं। अतः, उसी विधिक अवरोधों के अधीन होनी चाहिए, मानो वे शक्ति का प्रयोग करने वाली लोक सत्ता हों।⁷³

4.30 उच्चतम न्यायालय ने जीजा घोष और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य⁷⁴ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया :

जहाँ तक इन अधिकारों को पूरा करने की बाध्यता का संबंध है, वह सरकार या राजकारी

⁶⁹ अनुच्छेद 27, मानवाधिकार चार्टर और पीपुल्स अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर

⁷⁰ संयुक्त राष्ट्र माइडिंग रिप्पोर्ट 11, यहा उपलब्ध है: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (अंतिम बार 03-01-2018 को पेखा गया)

⁷¹ -बटी- 15, 16 पर

⁷² 314. पाले, लेब, एच सी. (6 वा सीर) (1998) 409-410। इस पामर में उद्धृत बहरा, टिप्पण 65.

⁷³ कैबिनेट डोकेली, निजी वाटियों को सरकारी शक्ति का प्रतिनिधि: एक तुलनात्मक विशेष्य, 228 (ऑफिशियल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007) इस पामर सुजा शोट 65 में उद्धृत किया गया।

⁷⁴ एआईआर 2016 एसी 2393.

अभिकरणों/राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि प्राइवेट सत्ता (जिनमें प्राइवेट याहकों को भी सम्मिलित किया जाएगा) को भी ऐसी बाध्यता से जकड़ा गया है जिनका पालन किया जाना उनसे अपेक्षित है। हमने यह भी उल्लेख किया है कि वर्ष 2000 में प्रत्यार्थी सं. 2 अर्थात् डी.जी.सी.ए. (नागर विमानन महानिदेशक) ने निश्चक्तता युक्त व्यक्तियों और/या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों द्वारा 'वहन' के संबंध में शी.ए.आर. (नागर विमानन अपेक्षा) जारी की थी।

4.31 सरकारी एजेंसियां ही नहीं, जो इन अधिकारों का रामान करने के बाध्यताधीन हैं, बल्कि सरकारी अधिकार्ताओं के रूप में कार्य कर रहे प्राइवेट निकायों या जिन्हें लोककृत्य प्रत्यायोजित किया गया है या उप संविदागत किया गया है, को समान रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।⁷⁵

ग. मानव अधिकार और खेल

4.32 खेल आयोजनों के संदर्भ में निम्नलिखित मानव अधिकार अतिक्रमण के मुख्य जोखिमों की पहचान की गई है।⁷⁶

- हिंसा और विभेद,
- मानव व्यापार,
- बलात् श्रम,
- बाल श्रम,
- भूष्टाचार।

4.33 मानव अधिकारों का अनुपालन लोकतांत्रिक समाज पर निर्भर है। मानव अधिकार अंतर्निहित हो सकते हैं किंतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए लोगों को सूचना और जानकारी से सशक्त किया जाना चाहिए, जिससे वे मानव अधिकार अतिक्रमणों को रोकने के लिए प्राधिकारियों के कार्यकरण की संवीक्षा कर सकें। लोगों को अपने समुदाय के शासन में भागीदारी के लिए समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। इसे तब तक सार्थक रीति से पूरा नहीं किया जा सकता, जब तक औजार के रूप में आर.टी.आई. विधि सूचना अभिप्राप्त करने के लिए हक और तंत्र प्रदान नहीं करता।

4.34 'उत्कृष्टता के लिए प्रयास : बड़ा खेल आयोजन और मानव अधिकार' शीर्षक के मानव अधिकार और कारबार संस्था (आई.एच.आर.बी.) में बड़े खेल आयोजन की तैयारी करने और आयोजित करने में जुटे खेल शासी निकायों और अन्य प्रमुख पण्डारियों के लिए कई सिफारिशें सम्मिलित हैं। ये सिफारिशें खेल शासी निकायों द्वारा किए गए प्रयत्नों के समर्थन में यह सुनिश्चित करने के लिए आशयित हैं कि मानव अधिकार, उस मार्ग में अधिक केंद्रित हैं जिसमें वे आने वाले

⁷⁵ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरबी), गणिक रिपोर्ट 2003-2004, 9 बजे।

⁷⁶ मैग्न-स्पोर्टिंग इंवेट्स प्लेटफॉर्म द्वारा सहित्य 'स्पोर्ट्स कॉन्टेक्टर में मानवाधिकार जोखिम कमी' (स्पोर्टिंग मौका ब्लाउट पेपर 2.3 संस्करण 1, 2017), यह उपलब्ध है https://www.ihrb.org/uploads/reports/MSE_Platform%2C_Human_Rights_Risk_Mitigation_in_the_Sports_Context%2C_Jan_2017.pdf (पेपरली जार 1-9-12-2017 को देखा गया)

वर्षों में कारबाह करेंगे ?⁷⁷

4.35 रिपोर्ट में खेल शारी निकाय के गठन या आघार सहित में मानव अधिकार (यू.डी.एच.आर. में यथा प्रतिष्ठापित) के पालन के लिए सुरक्षा सार्वजनिक वचनबद्धता का सुझाव दिया गया। इसमें आगे खेल शारी निकाय के सुरांगत प्रचालन प्रक्रिया उत्तराधिकारी : अधिकारी, शहर/देश, नीलामी आपेक्षा आदि, में कारबाह और मानव अधिकार पर यू.एन. मार्गदर्शी रिहंत (मार्गदर्शी रिहंत) के अनुरूप मानव अधिकार दृष्टिकोण समेकित करने की रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

भ्रष्टाचार

4.36 'भ्रष्टाचार' शब्द को 'नीतिक विप्रतीपता' से लेकर 'लोक शक्ति का दुरुपयोग' तक असंख्य रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिकांश मामलों में 'भ्रष्टाचार' का अभिप्राय अभिव्यक्ति की उसकी रीति से लिया जाता है और इसके प्रयोग के संदर्भ पर निर्भर है।

4.37 लैक ला डिक्सनरी (आठवां संस्करण) 'भ्रष्टाचार' को 'विप्रतीपता, विकृति, कलंक ; प्रतिष्ठा, मूल्य या नीतिक रिहंत की हानि, विशेषकर रिश्यत द्वारा लोक पर्दीय कर्तव्यों की हानि' के लग में परिभाषित किया गया है। उसमें उपलब्ध शब्द की दूसरी परिभाषा 'पर्दीय कर्तव्य और दूसरों के अधिकारों से असंगत कुछ फायदा देने के आशय से किया गया कुछ कार्य ; अन्य लोगों के अधिकारों के प्रतिकूल वैयक्तिकतः या किसी दूसरे के लिए कुछ फायदा उपाप्त करने के लिए स्थान या पद का संवंधालनक या पर्दीय उपयोग' इस प्रकार है। एक अन्य परिभाषा में यह दिया गया है कि 'भ्रष्टाचार' शब्द अशुद्धता या अपदृष्टण को उपवर्णित करता है और जब यह दंड विधि में उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ विप्रतीपता या धोर अनौधित्य है।⁷⁸

4.38 वर्तमान संदर्भ में, 'भ्रष्टाचार' को कर्तव्य के सामान्य अनुक्रम से असंगत होते हुए, धन, पक्षपात, प्रवीड़न, असम्यक असर आदि जैसे वात्य कारकों के प्रभाव के अधीन किया गया कार्य या लोप के रूप में देखे जाने की आपेक्षा है। एक साथ रागाज में भ्रष्टाचार एक बीमारी है, जो कईसर का एक अहिताकर रूप है, जिसे गदि अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो अन्य वातों के साथ-साथ राष्ट्र के नीतिक और आर्थिक ढांचे को नष्ट करता है। भ्रष्टाचार के मानव अधिकार पर कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण घातक परिणाम भी हैं।

4.39 विनीत नारायण बनाम भारत संघ⁷⁹ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पारदर्शिता वढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए, यह गत व्यक्ति किया :

सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की कमी के प्रतिकूल प्रभाव के लारण भ्रष्टाचार की कई गुणा दृष्टि होती है। इसका विवेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय गुदाकोष और विश्व बैंक से निधि प्राप्त करने पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है जिन्होंने यह चेतावनी दी है कि अधिकसित देशों

⁷⁷ मानव अधिकार और जापान सरकार, सेत न्यूनिय बैंडीज एंड लूपन बड़दा' (2014), यहां उपलब्ध: <https://www.ihrb.org/megasportingevents/mse-resources> (पिछली गांव 18-12-2017 को देखा गया)।

⁷⁸ शेतिन एवं चैटिन्स और सेनाल्ड एवं बॉयरा, आर्थिक कानून 855 (एक्टेटेन ब्रेस, नाइजीरिया, ब्लूसोन, गोस्या, 19-82), जैविक लौं डिप्लोमा (8 दफ्तर) में संदर्भित है।

⁷⁹ एजाइंसर 1509 एसी 289 गवा प्रदेश राज्य चनाम श्री रम सिंह, एजाइंसर 2030 एसी 870 भी देखें।

को गांधी सहायता ऐसे भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए लिए जाने वाले अधिकार कदम के अधीन होंगे जो उन तक पहुंचने से अंतरराष्ट्रीय सहायता को निवारित करता है जिनके लिए यह कानून गया है। बड़े भ्रष्टाचार के कारण खोजी पत्रकारिता बही है जो खत्री समाज के लिए बहुमूल्य है। न्यायिक पुनर्नीलोकन का अगलब लेते हुए लोकरित दाद के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को उजागर करने की आवश्यकता भास्त में प्रायः देखने को मिलती है किंतु अन्य देशों में यह अज्ञात नहीं है।

4.40 रार्वाच्य न्यायालय ने पूर्वोक्त मामले में यह कहा कि ‘इसमें यह संकेत नहीं हो सकता है कि भ्रष्टाचार से संबंधित कार्यवाहियों में गंभीर मानव अधिकार पहलू अंतर्भूत है क्योंकि यदि सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को अवशिष्ट जारी रहने की अनुज्ञा दी जाएगी तो यह अंततः भारतीय राजतंत्र को नष्ट कर देगी।

4.41 इसी प्रकार, महाराष्ट्र राज्य, सी.वी.आई., भ्रष्टाचार विरोधी शाखा मुख्यकार्यक्रम के माध्यम से बनाम बालकृष्ण दत्तात्रेय कुमार¹⁰ वाले मामले में रार्वाच्य न्यायालय ने यह अभिनिवारित किया कि ‘भ्रष्टाचार न केवल दंडनीय अपराध है बल्कि मानव अधिकार को प्रत्यक्षातः उल्लंघन कर उसको क्षीण करता है और व्यवस्थित भ्रष्टाचार स्वयं मानव अधिकार उल्लंघन है क्योंकि यह व्यवस्थित आर्थिक अपराध बढ़ाता है।’

4.42 मानव अधिकार पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव को सुवृद्धमणीयम् स्वामी बनाम मनपोहन सिंह और एक अन्य¹¹ वाले मामले में उल्लेखनीय द्वारा आगे यह उजागर किया गया जिसमें यह मत व्यक्त किया गया कि भ्रष्टाचार न केवल सार्वजनिक शासन की अवधारणा, बल्कि विधि के नियम और मारत के लोकतंत्र की नीव को भी गंभीर खतरा है। न्यायालय ने आगे यह कहा कि यह निर्विवादित है कि भ्रष्टाचार के आरंभ से खतरः सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं और यह कि भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति ‘मानव अधिकार को निर्मल्य बनाता है, विकास को वायित करता है और न्याय, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व को कम कांक्षता है जो उद्देशिका के मूलभूत परिमाण हैं।’ सुवृद्धमणीयम् स्वामी बनाम निवेश, केंद्रीय अन्वेषण व्यूरो और एक अन्य¹² वाले एक अन्य मामले में रार्वाच्य न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि भ्रष्टाचार ‘राष्ट्र का दुश्मन’ है।

4.43 ओ.एच.सी.एच.आर. ने मानव अधिकार अंतिक्रमणों और भ्रष्टाचार के बीच घनिष्ठ संबंध को स्वीकार किया है¹³ और यह लल्लेख किया है कि ‘भ्रष्टाचार के विरुद्ध सायुक्त राष्ट्र कर्वेशन और अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कर्वेशन को लागू करने के लिए अंतर-सारकारी प्रयासों के बीच तालमेल बढ़ाने की शीघ्र आवश्यकता है।’

4.44 भ्रष्टाचार देश के आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गुख्य वाधा है। यह

¹⁰ (2012) 12 एससी 384; (2013) 2 एससीटी (सीआरआई) 784; (2013) 2 एससीटी (एल एड एस) 201.

¹¹ (2012) 3 एससीटी 64; (2012) 1 एससीटी (सीआरआई) 1341; (2012) 2 एससीटी (एल एड एस) 666.

¹² (2014) 8 एससीटी 682.

¹³ यह उपलब्ध है: [http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/](http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AntiCorruption.aspx) AntiCorruption.aspx (गिरजी 20 जनवरी 2017 को देखा गया), मानव अधिकारों के लिए मौजूदा स्टेटमेंट इंटरेंट स्टेटमेंट, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार (स्टेटमेंट मौजूदा यहां पर 1.3, 2017), यह उपलब्ध है: https://www.ihrb.org/uploads/reports/MSE_Platform%2C_Corruption_and_Human_Rights_in_the_Sports_Context%2C_Jan_2017.pdf (गिरजी 20 जनवरी 2017 को देखा गया)

ऐसी संरथाओं को कमज़ोर कर जिन पर आर्थिक वृद्धि निर्भर है, विकास को कमज़ोर बनाता है⁸⁴ यह भी सुझाव दिया गया है कि भ्रष्टाचार को कारबाह संवेदनहारों पर अतिरिक्त कर के रूप में नहीं देखा जा सकता⁸⁵ अधिकांश प्रकाशित कार्यों के बीच यह सामग्री है कि भ्रष्टाचार और जी.डी.पी. (कुल घरेलू उत्पाद) के बीच परस्पर संबंध नकारात्मक है⁸⁶ विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोण (आई.एम.एफ.) का यह अनुमान है कि भ्रष्टाचार का आर्थिक वृद्धि पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव है। भ्रष्टाचार विधि के नियम को विरुद्धित कर और संरथागत आधार जिन पर आर्थिक वृद्धि निर्भर है को कमज़ोर कर विकास को अवरुद्ध करता है⁸⁷ भ्रष्टाचार प्राइवेट नियेश को कमज़ोर कर और सरकार की संरचना को परिवर्तित कर विशेषकर अन्य के साथ-साथ शिक्षा जैसे आधारभूत/अवसंरचनात्मक शीर्ष पर व्यय के अंश को कम कर आर्थिक विकास को प्रभावित करता है⁸⁸

4.45 यदि जी.डी.पी. द्वारा गापित आर्थिक विकास के स्तर और संपूर्ण देश में ज्ञात भ्रष्टाचार स्तर के संबंध की परीक्षा की जाए तो सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि संबंध नकारात्मक है अर्थात् गरीब देश भ्रष्टाचार की ओर उन्नुख है। दूसरी ओर सभी देशों में ज्ञात भ्रष्टाचार स्तर और आर्थिक वृद्धि के बीच संबंध की परीक्षा करने पर यह प्रकट होता है कि उच्च स्तर भ्रष्टाचार वाले देशों में वृद्धि दर में काफी अंतर है⁸⁹ अर्थात् यहाँ कई उच्च भ्रष्ट देशों में जम आर्थिक वृद्धि दर है वहीं ऐसे भी देश हैं जिन्होंने व्याप्त सरकारी भ्रष्टाचार के अधीन तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त की है। इससे यह नता चलता है कि कुछ देशों में भ्रष्टाचार की उच्च घटनाओं के बावजूद उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त की है⁹⁰

4.46 भारत में भ्रष्टाचार स्तर और जी.डी.पी. वृद्धि दर के बीच राह-संबंध की परीक्षा करते हुए भारतीय रेटेट बैंक (एस.बी.आई.) की रिपोर्ट में यह जारीरित है कि वर्ष 2011 और 2016 के बीच पारदर्शिता अंतरराष्ट्रीय वैश्विक भ्रष्टाचार सूची में भारत के रैंक में 96 से घटकर 79 होकर, इसके जी.डी.पी. वृद्धि दर में आधा प्रतिशत बिंदु का सुधार हुआ है। भारत में भ्रष्टाचार स्तर की कगी से विदेशी निधि का बहाव हुआ है। आंकड़े यह दर्शित करते हैं कि पिछले 6 वर्षों में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012 में 21.9 चिलियन रु. वित्तीय वर्ष 2017 में 35.9 चिलियन के 64 प्रतिशत वृद्धि के द्वारा भारत

⁸⁴ आर. विसागार्ड, कंट्रोलिंग भ्रष्टाचार (कॉलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस, बैकले, री.ए. 1980), ईनिलो लुसीक, म्लेडन रेडियोडिय, एट अल., 'भ्रष्टाचार और जी.डी.पी. के स्तर के बीच कीशिलिटी' में उद्धृत, यहाँ उपलब्ध है। <https://www.tandfeonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2016.1169701> (अंतिम गार 01 01 2018 को देखा गया)।

⁸⁵ केंग एन्सी, ए. इलीफर, एट अल., 'किन्तु यह दर्तने की लागत इतनी महीनी क्यों है?' रमरक्कन इको रिव. 409-414 (1993), ईनिलो लुसीक में उद्धृत, म्लेडन रेडियोडिय, एट अल., पृष्ठौल टिप्पण 84.

⁸⁶ ईनिलो लुसीक, म्लेडन रेडियोडिय, एट अल., मूलोला टिप्पण 85.

⁸⁷ यह रूपरेखा है <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/index.cfm> (अंतिम गार 04-01-2018 को देखा गया), ईनिलो लुसीक, म्लेडन रेडियोडिय, एट अल., पृष्ठौल टिप्पण 85 में उद्धृत।

⁸⁸ पी. लीले, 'भ्रष्टाचार और विकास' लूटी लोक इको 881-712 (1995), ईनिलो लुसीक, म्लेडन रेडियोडिय, एट अल., में उद्धृत, पृष्ठौल टिप्पण 85.

⁸⁹ ईनिलो लुसीक, म्लेडन रेडियोडिय, एट अल., पृष्ठौल टिप्पण 85.

⁹⁰ इस घटना यो 'जीलिंग व लील' प्रानव ऐ. रु. में जाना जाता है, जहाँ सरकारी की प्रतिबंधित आर्थिक नीतियों ने भ्रष्टाचार के नालम से स्वर्ण किया जाता है, देखें, पृष्ठौल टिप्पण 85, विशेष स्वर से, एशियाई देशों के गानले में, इसे एशियाई विश्वामाला कह जाता है 'जहाँ यह देखा गया है कि यह एशियाई अटैलायस्मातों में प्रस्तुत सोलायां द्वारा गठित भ्रष्टाचार के उच्च स्तर हैं, लोकिन साथ भी ये उच्च सफल घरेलू उत्पाद यों वृद्धि दर्तने करते हैं। आग और यह देखें, पी. लीले, 'भ्रष्टाचार और विकास' मूलो का एफ स्लीक्स' 35 [3] इको लिट (1 99 7) के चैप्टरएनएल, ईनिलो लुसीक, म्लेडन रेडियोडिय, एट अल। में उद्धृत, पृष्ठौल टिप्पण 85; यह भी देखें, भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास पर मुद्रे पेपर बड़ी उपलब्ध हैं: <https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/Issue-Paper- Bhṛṣṭācār- और- आर्थिक- Gowth.pdf> (अंतिम गार 04-01-2018 को देखा गया)।

में शुद्ध एफ.डी.आई. बहाव से भारत के प्रति विदेशी नियोगकर्ता के विश्वास में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है ।⁹¹

4.47 उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय विधेयक⁹² चाले गामले में विशुद्धता: यह टिप्पणी की है कि 'भ्रष्टाचार और दान - ऐसी स्थिति में निकारा प्रक्रिया का अपहरण करते हैं और अंततोगला राष्ट्रीय प्रवृत्ति को पीछा करते हैं जिसका यह अधिग्राह्य है कि सामाजिक न्याय के संदर्भानिक धारणाओं में लोगों के विश्वास को धीरण करता है ।' इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि भ्रष्टाचार किसी भी रूप में यदि सार्वजनिक या प्राइवेट क्षेत्र में व्याप्त है तो विधेय के बिना धीरें-धीरे किंतु अनवरत नष्ट करता है ।

4.48 खेल फेडरेशनों का अधिकारों को कायम रखने का कर्तव्य न केवल मानव नैतिक या नियोगक्रम है बल्कि आवाहारिक और समीचीन भी है । विधिक बाध्यता कारबाहर और मानव अधिकारों पर यू.एन. मार्गदर्शी रिक्वारों के माध्यम से परिकल्पित किया गया है । मानव अधिकारों के महत्व पर बल देते हुए अंतरराष्ट्रीय निकाय ने विशुद्धता: नाणितिक प्राइवेट राज्याओं पर भी दायित्व अधिरोपित किया है । इस प्रकार, खेल फेडरेशन जैसे निकाय जो वरतुतः लोककृत्य का पालन कर रहे हैं, विवक्षा द्वारा इस परिधि के भीतर आते हैं । (बल दिया गया)

4.49 पूर्वोक्त को अप्रैल, 2016 में प्रकाशित फीफा पर प्रो. रामी की रिपोर्ट में भी मानवता प्रदान की गई है, जो फीफा विश्व कप सहित फीफा प्रचालनों को यू.एन. मार्गदर्शी रिक्वारों को स्वीकार करता है । रामी ने संशेष में फीफा और उसके आयोजनों और मानव अधिकारों पर उनके प्रभाव से जुड़े भ्रष्टाचार जोखिमों की चर्चा की :

रिवरत और भ्रष्टाचार न केवल प्राइवेट अभिलाष्य के लिए धन देने और लेने के बारे में हैं, जिनका आशय व्यापक सामाजिक प्रयोजनों के लिए किया गया है । यह उन मानव अधिकार संरक्षण सहित विधिक और संविदागत अपेक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए अंतर्वित पक्षकारों को भी समर्थ बनाता है । अतः, वित्तीय इनानदारी की कमी मानव अधिकार जोखिमों का आधारगृह बनता है ।⁹³

4.50 शीघ्र ही यह महसूस किया गया कि खेल बाजार सार्वजनिक रूपति, अतः, उनके शासन में निप्पक्षता सुनिश्चित करना लोकहित में अधिक रखतः प्रमाण होगा । बाजार में यथा रांभाय गूल्य को संवर्तित करना और उन वार्तों को सीमित करना जो आवश्यक नहीं है, गंत्र होना चाहिए । अंततः, खेल शासन की भूमिका ऐसी होनी चाहिए जो खिलाड़ियों, संगठित खिलाड़ियों, प्रशंसकों और सामान्यतः जनता को गूल्य प्रदान करता हो । इन सारी प्रक्रियों में राष्ट्रीय हित की व्यापक अवधारणा सन्निहित है ।⁹⁴

⁹¹ यहाँ उल्लेख है: <https://timesofindia.indiatimes.com/business/industry/lower-corruption-level-boasts-gdp-growth-says-sbi-report/articleshow/61028872.cms> (अंतिम दार 04-01-2018 को देखा गया)।

⁹² दृष्टिकोण 1979 एप्रिल 478.

⁹³ जेन जी रमी, 'खेल के लिए दुनिया के लिए फीफा और मानवाधिकार', यहाँ उपलब्ध है: https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/crl/files/Ruggie_humanrightsFIFA_reportApril2016.pdf (अंतिम दार 03-01-2018 को देखा गया)।

⁹⁴ नदन कामल, 'रोटरी और सोल्ट्स फेडरेशन, यहाँ उपलब्ध है: <http://www.sportstarlive.com/magazine/the-way-forward-for-sports-federations/article19715238.ccc> (पिछली दार 03-01-2018 को देखा गया)।

अध्याय 5

‘लोक प्राधिकारी’, ‘लोककृत्य’ और ‘सारभूत रूप से वित्त पोषित’ पदों का परिशीलन

1. लोक प्राधिकारी क. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

5.1 यह अवघारित करने के लिए कि क्या बी.सी.सी.आई. को विद्यमान विधिक संरचना के अधीन आरटी.आई. अधिनियम, 2005 के अधीन सम्मिलित किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि क्या बी.सी.सी.आई. को अधिनियम की घारा 2(j) के अधीन पद को समनुदेशित अर्थान्तर्गत ‘लोक प्राधिकारी’ माना जा सकता है।

5.2 घारा 2(j) ‘लोक प्राधिकारी’ पद को इस प्रकार परिभाषित करती है :

- (ज) ‘लोक प्राधिकारी’ से,-
 - (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन ;
 - (ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;
 - (ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;
 - (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत,—
 - (i) कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है ;
 - (ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है ।
(वल दिया गया है)

5.3 उपरोक्त घारा के परिशीलन से यह सावित होता है कि समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित और गैर सरकारी संगठन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः सारभूत रूप से वित्तपोषित आरटी.आई. अधिनियम, 2005 के अधीन ‘लोक प्राधिकारी’ के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं ।

5.4 भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र⁹⁵ वाले मामले में तच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि 'लोक प्राधिकारी' या लोकहित में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या ऐसा कार्य जो लोक तत्व उद्भूत करता है, के प्रत्येक कार्य लोकहित द्वारा मार्गदर्शित होने चाहिए।

5.5 एम. पी. वर्गीश बनाम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय⁹⁶ वाले मामले में केसल उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि 'लोक प्राधिकारी' की परिभाषा का संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' पद की परिभाषा से अधिक व्यापक अर्थ है। न्यायालय ने आगे यह मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' की परिभाषा का प्राथमिकतः न्यायालयों के माध्यम से मूल अधिकारों के पवेतन से संबंध है, जबकि आरटीआई, अधिनियम, 2005 संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन यथानान्य 'सूचना' के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए' प्रभावी विधायी अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए है।

5.6 धारा सिंह गर्ल्स हाई स्कूल इसके प्रबंधक, विरेन्द्र चौधरी के माध्यम से बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य⁹⁷ वाले मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब कभी प्राइवेट निकाय या स्वस्था या संगठन के क्रियाकलाप पर लोक प्राधिकारी के नियंत्रण और वित्त से संबंधित तनिक भी संबंध होता है तो यह आरटीआई, अधिनियम की धारा 2(ज) के उपबंधों के आधीन आएका।

5.7 आरटीआई, अधिनियम के उपबंधों का निर्वचन उसमें कथित उद्देश्यों और कारणों के अनुरूप और संगत किया जाना चाहिए और उनका व्यापक अर्थ निकाला जाना चाहिए जिससे यह रुनिश्चित किया जा सके कि किसी बैर्डमान व्यक्ति को अधिनियम के अधीन छूट न दी जाए और आम जनता से कोई बात न छिपाई जाए जो छुपाए जाने से किसी अवैध क्रियाकलाप को फायदा पहुंचाता हो।⁹⁸

5.8 विभिन्न मंचों से कई उद्घोषणाओं द्वारा निर्वचित अधिनियम की धारा 2(ज) में परिभाषित 'लोक प्राधिकारी' पद की व्याप्ति/अर्थ वर्तमान समय के लिए काफी व्यापक है। तदनुसार, इस प्रकार यह, आयोग कानूनी परिभाषा का स्पष्टीकरण करना आवश्यक नहीं समझता। इसलिए, इस रिपोर्ट पर कार्य करते हुए और अन्य अधिकारिताओं की सूचना विभिन्नों की परीक्षा करते हुए कोई भी व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापक परिभाषा है।

ख. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

5.9 अंतरराष्ट्रीय रूप से, 'लोक प्राधिकारी/निकाय' की अवधारणा को नीचे परिभाषा की सहायता से समझा जा सकता है।⁹⁹

⁹⁵ एआईआर 1995 एससी 1811.

⁹⁶ एआईआर 2007 केस 230.

⁹⁷ एआईआर 2008 लगी 92; प्रबंधन समिति, आजाद नेनोरियल यूला माध्यमिक विद्यालय, कोलौद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 2008 (एनओसी) 2641 (सभी) देखें, प्रबंधन समिति, इस्माइल गल्ले नेशनल इंटर्नेशनल, गेरह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 2009 रामी 236.

⁹⁸ देखें-

⁹⁹ राष्ट्रीय सुला और सूचना का अधिकार ('तत्वन सिद्धांत') (2013) पर ऑफिकल रिपोर्ट डाउनलोड [http://issat.dcaf.ch/download/22892/289132/Global%20Principles%20on%20National%20Security%20and%](http://issat.dcaf.ch/download/22892/289132/Global%20Principles%20on%20National%20Security%20and%20)

‘लोक प्राधिकारी’ के अंतर्गत राज्यपाल के सभी रत्नों पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक शाखाओं के भीतर सभी निकायों, सुख्ता सेवटर प्राधिकारी रहित संवैधानिक और कानूनी प्राधिकारी और गैर राज्य निकाय जिनका रवानित्व या नियंत्रण राज्यपाल होता है या जो सरकार के अधिकारों के रूप में रोका करते हैं, रामिलित हैं। ‘लोक प्राधिकारी’ के अंतर्गत ऐसी प्राइवेट या अन्य राज्य भी हैं जो लोक कृत्य या रोका प्रदान करते हैं या रास्ता रूप रोक निषि या फायदों का उपयोग करते हैं किंतु केवल उन कृत्यों के पालन, रोकाओं के प्रयोग या लोक निषि या फायदों के उपयोग के संबंध में है।

5.10 इसी प्रकार यूनाइटेड किंडम का मानव अधिकार अधिनियम, 1998 ‘लोक प्राधिकारी’ के अंतर्गत किसी ऐसे कठिपय व्यक्ति जिसके कृत्य लोक प्रकृति के हैं, को रामिलित करते हुए उपबंध करता है।¹⁰⁰

5.11 फिन्नीगन बनाम न्यूजीलैंड राज्यी फुटवाल यूनियन इंक¹⁰¹ वाले नामले में न्यायालय ने यह दाय दी, -

जहां तकनीकी रूप रो एक प्राइवेट और स्वेच्छिक खेल संगम, राजी यूनियन इस विनिश्चय के संबंध में ज्यर उल्लिखित कारणों से मुख्य राष्ट्रीय महत्व की स्थिति में है। अतः, इस विशिष्ट मामले में हम राकीर्णतम नानदंड के प्रश्न को लागू करने के इच्छुक नहीं हैं, जो प्राइवेट विधि क्षेत्र से निकाला जा सकता है। असल में नामले का लोक विधि मुद्दों से कुछ रादृश्य है। इस पर आधिकारित बल नहीं दिया गया है। हम यह अभिनिर्धारित नहीं करते कि इस पर चर्चा न करते हुए कि क्या विनिश्चय कानून शक्ति का प्रयोग है, यद्यपि, यह बहस की गई थी। हम मात्र यह कह रहे हैं कि यह विशेष क्षेत्र में आता है जहां न्यूजीलैंड के संदर्भ में लोक और प्राइवेट विधि के बीच ठोस सीगा रेखा वर्तुतः खाली नहीं जा सकती।

5.12 दक्षिणी अफ्रीका में, ‘लोक प्राधिकारी/शक्ति’ का निहितार्थ द्या है, जो चिरुआ बनाम ट्रांसनेट लिमिटेड और अन्य¹⁰² वाले नामले में न्यायालय द्वारा व्यक्त मताग्रिव्यक्तियों में देखा जा सकता है, -

यह अवधारित करने के लिए कि क्या शक्ति या कृत्य ‘लोक’ प्रकृति का है, काफी कठिन प्रयोग है। कोई सामान्य परिमाण या स्पष्ट कसीटी लागू नहीं की जा सकती। इसके बजाय, प्रश्न यह है जिसका उत्तर : (क) प्रयीडन या शक्ति का संबंध जो कर्ता के बास लोक संरक्षा ली उसकी हैसियत में है; (ख) जनता पर विनिश्चय का प्रभाव ; (ग) शक्ति का स्रोत और (घ) क्या विनिश्चय का प्रयोग लोकहित में किया जाना आवश्यक है। राहित सभी सुसंगत कारकों के संबंध में दिया जाना है। इन कारकों में रो कोई भी कारक आवश्यकतः अवधारणयोग्य नहीं है नलिक न्यायालय को संदर्भ में उनसे संबंधित महत्व पर विचार करते समय अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

20%the% 20%Right% 2010% 20Information% 20 (Tshwane% 20Principles)% 20-% 20June% 202013.pdf (अंटिम बार 20-12-2017 को देखा गया)।

¹⁰⁰ दाय 6 (3) (वी).

¹⁰¹ [1985] 2 एन्नेटएलआर 150.

¹⁰² [2007] जेसीसी 23.

6.13 अई की भी भी आर के अनुच्छेद 10 विषय 2 में लोक निकाय द्वारा धार्म शूद्रना तक पहुंच का अधिकार समर्पित है। ऐसी शूद्रना में इस प्रथा विषय मूल्यना भवित्वम् है, इसका योत पीर वर्षावाला भी बातेवाला पर ज्ञान विषय विकास लोक निकाय द्वारा धार्म अधिकार गणितित है। ऐसे निकायों के अधिकार में ज्ञान फ़िकाइया भी समर्पित है। एवं ऐसी ईकाइयों लोककृत्य का निर्वहन करती है।¹⁰¹

6.14 शूद्रना की अवधिता पर अधिनियम व्याख्या की विजि, 2003 का अनुच्छेद 3 'लोक गहना के रामबाल' को ऐसी 'प्राइवेट शूद्रना के रूप में परिणामित करता है जिनका माल बाजार और जो रामबाल, शैल, 1993, शैलजी, सामाजिक शूद्रना, परिवहन, संशुद्धिक शूद्रना और सामुदायिक सेवाओं के लोक में सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करते हैं, में प्रकाशिकार या प्रमुख भूमिका है। (बल दिया गया)

6.15 शूद्रना अवधिता अधिनियम, 2000 (एस.ओ.आई.) के अधीन, राज्य संघित को ऐसी किसी लोकों को अधिग्रहित करने की शक्ति है जो लोक प्राधिकारी के रूप में लोक प्रकृति के कृत्यों का करने वाला प्रतीत होता है। (बल दिया गया)¹⁰² इस शक्ति से, लोक प्रकृति का लोक शूद्र करने वाला कोई निकाय एस.ओ.आई. अधिनियम की परिधि के भीतर आ सकता है।¹⁰³

6.16 ऐसीसामें ये 'शूद्रना के अधिकार' को 'शूद्रना तक पहुंच के मानव अधिकार' के रूप में विवरित करते हुए प्राचीनता और लोक शूद्रना तक पहुंच का साधारण अधिनियम¹⁰⁴ 'व्यष्टियों और ऐसी नियम ईकाइयों जो सार्वजनिक सेवा प्राप्त करते हैं और उपयोग करते हैं और प्राधिकार के कार्य का प्रयोग करते हैं जो निलाकर व्यापक मानदंड अधिकारित करता है। उसका अनुच्छेद 81 रांबद्ध अधिकरण से 'अग्नि सरकारी कृत्य का पालन किया जाता है तो लोक नीति का स्तर, विनियम और सरकारी अंतर्गतता का स्तर और ज्ञान सारकार ने इसके शूद्रना में भाग लिया' जैसे कारकों पर विचार करने की अपेक्षा करता है। (बल दिया गया)

6.17 इस प्रकार, यह अल्लोकनीय है कि विभिन्न देशों ने विस्तारी परिमाणा का दिक्कत्य चुना है जिन्होंने ऐसे प्राइवेट निकायों को भी रामिलित किया है जो लोक गहन्य के कृत्यों का पालन करते हैं या अपने रांबद्ध शूद्रना के अधिकार/शूद्रना की स्वतंत्रता अधिनियमों के परिधि के भीतर अपने सरकारी द्वारा वित्त पोषित हैं।

ग. 'अंतर्गत' शब्द का निर्वहन :-

6.18 आर.ए.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) के अंडे (घ) में 'अंतर्गत' शब्द का प्रयोग किया गया है। निर्वहनात्मक परिषेद्य से यह स्वयंसिद्ध है कि जब किसी कानून में परिमाण अंडे 'अंगिप्रेत है' शब्द का प्रयोग करता है तो यह अर्थ निकलता है कि इसका अग्रिमाय विस्तारी है। यह 'नियम निष्ठ' परिमाण हो जाती है और उससे गिन अर्थ जो परिमाण में दी गई है, से

¹⁰¹ व्याख्या 1993 की धारा 34 (अप्रौद्योगिक), बैट. 18, शूद्रना विषय 44.

¹⁰² धारा 5, शूद्रना की शूद्रना अधिनियम 2000.

¹⁰³ कवीरपाल द्वारा '1992 की भी व्याख्या के लिए ज्ञान भी सहि कर दिया जीएसी 3 अधिनाय 106 (2007)

¹⁰⁴ अनुच्छेद 4.

अलग नहीं ही जा सकती¹⁰⁷ दूसरे शब्दों में जब परिणाम में ‘अंतर्गत’ शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह प्रतीत होता है कि परिणामिक पहले ही सूचीकृत गवर्नर वर्षा तक परिणाम के निर्विधि करने का आशय नहीं रखती बल्कि वह परिणाम को व्यापक और विस्तारी बनाने का आशय रखती है। अर्थात्, ‘अंतर्गत’ के साथ परिणामित पद उपर्युक्त अर्थ प्रतिक्रिया करते हैं किंतु इसकी व्याप्ति को इसके विषयों ने समाप्तिकरण करने के लिए बढ़ाया जा सकता जो इसके सामान्य अर्थ के भीतर आ सकते हैं या नहीं आ सकते।¹⁰⁸

5.19 एन. डी. पी. नमूदुरीपाद बनाम भारत सर्ट¹⁰⁹ वाले गामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘अंतर्गत’ शब्द का निर्विधि करते हुए यह गत व्यवस्था किया कि इसका मिन-मिन संदर्भ में जिन-मिन अर्थ है। न्यायालय ने आगे यह कहा कि वर्तमान यह नहीं है कि रामान्तरा अंतर्गत शब्द का उपयोग परिणाम संठ में किया जाता है, इसका उपयोग विवरण के रूप में किया जाता है, अर्थात् परिणाम को विस्तारी बनाने के लिए न कि निर्विधानात्मक रूप में। न्यायालय ने न्यायपुर्ति डॉ. पी. सिंह के द्वितीय ऑन इंटर्व्हेशन¹¹⁰ में उद्धृत किया जाने यह उल्लेख निया गया है कि जहाँ परिणामित शब्द इस प्रकार और इस प्रकार ‘समिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ परिणाम प्रथमदृष्ट्या विस्तारी है किंतु ‘अंतर्गत’ शब्द का तब प्रयोग किया जाता है जब शब्द या अधिव्यक्ति को परिणामित किया जाना हो, और ‘अभिप्रेत है और समिलित है’ के सामग्रुह भी अर्थ निकला जा सकता है जिस रिक्ति में यह अर्थ का व्यापक रूपस्तीकरण प्रदान करेगा जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्राह्य शब्द या अधिव्यक्ति से सहज किया जाना चाहिए।

5.20 प्रधानाचार्य, एम. डी. सनात धर्म गर्ल्स कालेज, अम्बाला शहर और एक अन्य बनाम राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा और एक अन्य¹¹¹ वाले गामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह गत व्यवस्था किया गया कि आरटीआई, अधिनियम की घास 2(ज)(घ) में ‘अंतर्गत’ शब्द के प्रयोग ने यह उपदर्शित किया कि ‘परिणाम निदर्शी है न कि विस्तारी; और यह कि ऐसी परिणाम को प्रथमदृष्ट्या विस्तारी माना जाना चाहिए’। न्यायालय ने आगे कहा कि आरटीआई, अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक ‘लोक प्राचिकारी’ के कार्यकरण में पारदर्शिता और जगावदेही संवर्धित करना है और यह लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है कि नागरिकों को सुचित किया जाए और सूचना की पारदर्शिता हो। अधिनियम के वृत्त नाम/उद्देशिका, जो अन्य वार्ता के साथ-साथ ‘सुचित नागरिक वर्ष’ को भारत के लोकतंत्र के कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण होने के रूप में बल देता है, निर्दिष्ट करते हुए न्यायालय ने आगे यह गत व्यवस्था किया कि वृत्त नाम रखने अधिनियम के उपबंधों के उदारतापूर्वक निर्वचन की आवश्यकता को उजागर करता है।

5.21 तमिलनाडु सङ्कर विकास कंपनी लिमिटेड बनाम तमिलनाडु सूचना आयोग¹¹² (टी.एन.

¹⁰⁷ टॉट एवर एजार इन गा. ही. गा. [(1991) 2 अग्नी 635-66 इलोन्गुडी 726-66 एलटी 110]* यह गो देखे, पा. कारिलिङम बनाम लैंसेचर ऑफ ऐनोलॉगी | 1988 एप्र (2) एसीटी 340 एजार्ड्स 1995 एसीटी 23 9 5]

¹⁰⁸ माला कृषि बैंक (मुंबई) लिमिटेड बनाम कृषि बैंक कर्मचारी बाद, [(2007) 4 एसीटी 1885]

¹⁰⁹ (2007) 4 एसीटी 502, श्रीएणएस के द्वारा प्रियोप बनाम टाई लैंड कॉम्पनी बर्सी गी देशी, साल्वाद, 1991 [3] एसीटी 817, श्रीआईटी लैंड बनाम जाज्जहल टोटल, 1972 एसीटी 165 (6), लैंड प्राप्ति एवं लैंड लाइन एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य, (1977) एसीटी 90, पालस ट्रिटिया लिमिटेड बनाम व्यापार कर के आयुक्त, 2006 (6) एसीटी 369.

¹¹⁰ जीवी शिट, कैरिकार वार्ता के विवर (10 जी सरकार, 2006)

¹¹¹ एजार्ड्स 2008 पी ५४ एप 101

¹¹² (2006) 6 बद्रा एलटे 737

आर.टी.सी. वाला मामले में न्यायालय ने ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया और यह उल्लेख किया कि 'अंतर्गत' शब्द यह व्यक्त करता है कि इसकी समीपता में आने वाले कठिपय शब्दों का उदारतापूर्वक निर्वचन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अधिनियमन और क्रियान्वयन के पीछे के उद्देश्य के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि व्यापक और प्रयोजन मूलक निर्वचन किया जाना चाहिए। निर्णव के सुरांगत भाग को यहां दोहराया जा रहा है :-

यदि हम धारा 2(ज) जिसे यहां ऊपर उद्धृत किया गया है, की परिभाषा पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी कंपनी धारा 2(ज)(क)(ख)(ग) या (घ) के उपर्यंथों के अधीन नहीं आती, किन्तु तत्पश्चात् धारा 2(ज)(घ) का परिभाषा खंड 'अंतर्गत' शब्द का प्रयोग करता है। वह सुझात है कि जब 'अंतर्गत' शब्द का प्रयोग निर्वचन खंड में किया जाता है तो इसका प्रयोग कानून में आने वाले शब्दों और पदों के बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः, सुरक्षातः आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2(ज)(घ)(i) में निर्दिष्ट परिभाषा का उदारतापूर्वक निर्वचन किया जाएगा और यहां शब्द जो निर्वचन के लिए हैं, वे 'स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित' शब्द हैं। आर.टी.आई. अधिनियम का वस्तुतः अधिनियमन नागरिकों के जानने के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। जानने के नागरिक के अधिकार का अर्थान्वयन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नागरिक की वाक् और अगिव्यवित की स्वतंत्रता जो एक मूल अधिकार है, से उद्भूत होने के रूप में किया गया है। इस प्रकार, ऐसा विधान जिसका अधिनियमन जानने के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है, जो आज के विश्व का एक आधारभूत मानव अधिकार है, का प्रयोजनमूलक और व्यापक निर्वचन किया जाना चाहिए। आर.टी.आई. अधिनियम में सूचना के अधिकार के प्रयोग को सुकर बनाने के उपचार का भी उपर्यंथ किया है और उपचार के कारण का भी उल्लेख अधिनियम की उद्देशिका में किया गया है। इस प्रकार हेठले वाले मामले के निवेश वो देखते हुए जिसका अनुसरण उच्चतम न्यायालय द्वारा बंगाल इनुनिटी (पूर्वोक्त) वाले मामले में किया गया है, अधिनियम के प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियम का प्रयोजनमूलक निर्वचन किया जाना चाहिए। इस प्रकार, ऐसा कोई निर्वचन जो आर.टी.आई. अधिनियम के प्रयोजन को निफल करता है, से परहेज करना चाहिए। अर्थान्वयन के उद्देश्य का अनुसरण करते हुए, यह न्यायालय धारा 2(ज)(घ)(i) के अधीन 'लोक प्राधिकारी' पद का निर्वचन करता है ताकि अपीलार्थी जैसे प्राधिकारी जो सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियक्ति हैं और सारभूत रूप से वित्तपोषित हैं, आर.टी.आई. अधिनियम की परिधि के भीतर आते हैं। निष्कर्ष निकालते हुए, यह न्यायालय आर.टी.आई. अधिनियम की उद्देशिका को स्वयं समरण करता है जो ऐसे अर्थान्वयन को आवश्यक बनाता है जो अप्स्टाचार के रांधारक प्रभाव के हमारे लोकतांत्रिक राजतंत्र को आशापूर्वक रखना और उसके क्रियाकलायों में पारदर्शिता लाएगा।

5.22 इस प्रकार, पूर्वोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि आगे यह अधिनियम की धारा 2(ज)(घ) में 'अंतर्गत' शब्द को निश्चीयी और व्यापक अर्थ निकाला जाना चाहिए और अधिनियम की उद्देशिका के अनुरूप उदारतापूर्वक निर्वचन किया जाना चाहिए।

घ. 'नियंत्रण' शब्द का निर्वचन

5.23 संज्ञा के रूप में 'नियंत्रण' शब्द को बैक ला डिक्शनरी (आठवां संस्करण) में 'व्यक्ति या सत्ता के प्रबंधन और नीतियों को निदेश देने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शक्ति या मतदान प्रतिभूति के स्थानित्व के माध्यन से, संवेद या अन्यथा द्वारा हो ; प्रत्यक्ष या पर्यवेक्षण द्वारा प्रबंध करने की शक्ति या प्राधिकार' के रूप में परिभाषित किया गया है। क्रिया के रूप में 'नियंत्रण' को 'शक्ति का प्रयोग करने या उसे प्रभावित करने, 'विनियमित करने या शासित करने' के रूप में परिभाषित किया गया है।

5.24 मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी¹¹³ में, संज्ञा के रूप में 'नियंत्रण' को, 'उस बारे में विनियोग करने की शक्ति कि कैसे किसी का प्रबंधन किया जाता है या कार्य किया जाता है ; किसी व्यक्ति या किसी की कार्रवाई को निदेश देने की शक्ता, ऐसी कार्रवाई, जोका, या दिवि जो किसी बात की गणना या वृद्धि को सीमित करती है', परिभाषित किया गया है। क्रिया के रूप में 'नियंत्रण' को, '(किसी व्यक्ति या पशु) के व्यवहार को निदेश देने ; (किसी व्यक्ति या पशु) को ऐसा करने के लिए कारित करने जैसा आप चाहते हैं ; (किसी बाह) पर नियंत्रण रखने ; (किसी बात) की कार्रवाई या कृत्य को निदेश देने ; (किसी बात) को कत्तिपय रीति से कार्य या कृत्य कराने' के रूप में परिभाषित किया गया है।

5.25 प्रसार भारती बनाम अमरजीत सिंह¹¹⁴ वाले नामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि नियंत्रण पद को यद्यपि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के आलोक में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु उच्च न्यायालय को व्यापक शक्ति प्रदान करने वाला अनिनिर्धारित किया गया है। न्यायालय ने वेंक आफ न्यू साउथ वेल्स बनाम कॉमनवेल्थ¹¹⁵ वाले नामले को निर्दिष्ट किया जिसमें यह कहा गया था, 'नियंत्रण' शब्द ऐसे व्यापक और संदिग्ध आशय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है जिसका अभिप्राय 'निरोध' से कुछ कमज़ोर विनियम के कुछ समतुल्य लिया जाना चाहिए।'

5.26 थूफ़ि, 'नियंत्रण' शब्द को आर.टी.आई. अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए इसके निर्वचन में अनिश्चितता है। अतः, यह अवधारित करने के लिए कि क्या वी.सी.सी.आई., सरकार द्वारा 'नियंत्रित' निकाय है, आर.टी.आई. अधिनियम की परिधि के भीतर इस शब्द की व्याप्ति को सर्वप्रथम समझना आवश्यक है।

5.27 टी.एन.आर.डी.सी. वाले नामले में न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालते हुए, निदेशक बोर्ड पर नियंत्रण के अनुसार कंपनी पर नियंत्रण पर विचार किया कि जहाँ कंपनी के निदेश का बोर्ड का गठन समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित है, वहाँ कंपनी भी समुचित सरकार द्वारा 'नियंत्रित' है।

¹¹³ अंग्रेज़ी संस्करण, यहाँ उपलब्ध: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/control> (प्रियंका नार 28-12-2017 को देखा गया)

¹¹⁴ [2007] 9 एससीरी 539, वरिधन नंगाल राज्य नवान नृपेन्द्र नव्य बागची, उजाइआर 1 9 68 एसटी 447; मदन गोड़न चौधरी बनाम बिहार राज्य, (1 999) 3 एससीरी 3 9 6; 1 989 एससीरी (एलएडएस) 700 बैचनाम जी, बागदे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1 999) 7 एससीरी 739; 1 969 एससीरी (एलएडएस) 1385 राजस्थान के लिए न्यायपालिका उच्च न्यायालय बनान नेश चंद पातीयाल, (1998) 3 एससीरी 72; 1 99 8 एससीरी (एलएडएस) 786 एजाइआर 1990 एससी 1079,

¹¹⁵ (1948) 76 सीएलआर 1.

5.28 इसी प्रकार नगर युवक शिक्षण संस्था बनाम महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग¹¹⁶ (नगर युवक वाला मामला) वाले मामले में, न्यायालय द्वारा नियंत्रण को याचियों के प्रबंध पर नियंत्रण रखने के काढ़े के रूप में देखा ।

5.29 पंजाब राव देशमुख शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड (आ.) बनाम राज्य सूचना आयुक्त, विदर्भ क्षेत्र, नागपुर¹¹⁷ (पंजाब राव वाला मामला) वाले मामले में, बम्बई उच्च न्यायालय ने ‘नियंत्रण’ की कराईटी के लिए अनुच्छेद 12 की परीक्षा की और यह कहा कि यह लोक प्राधिकारी को भी लागू होगा, जिसका यह अर्थ है कि नियंत्रण गहन और व्यापक होना चाहिए ।

5.30 तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रेल कल्याण संगठन बनाम डी. एम. गौतम¹¹⁸ वाले मामले में, यह अधिनिधारित किया कि गहन और व्यापक की अनुच्छेद 12 की कराईटी यह अवधारित करने के लिए सुरक्षित नहीं होगी कि क्या आरटीआई, अधिनियम के संदर्भ में नियंत्रण उपस्थित या अनुपस्थित है ।

5.31 पूर्वोत्तर मत को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगे कृषक भारती सहकारी लिमिटेड बनाम रमेश चंद्र वापा¹¹⁹ (कृषक भारती वाला मामला) वाले मामले में, यह मत व्यक्त किया कि यह प्रकट है कि अनुच्छेद 12 के अधीन ‘राज्य’ शब्द से संबंधित राभी विनिश्चयों में विकरित कराईटी ‘गहन और व्यापक’ नियंत्रण की है जबकि आरटीआई, अधिनियम के संदर्भ में ‘नियंत्रित’ शब्द के संदर्भ में कोई ऐसा अर्हक विशेषण नहीं है ।

5.32 थलापालम सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य¹²⁰ (थलापालम वाला मामला) वाले मामले में, इस मुद्दे पर विचार करते हुए रार्बेच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ‘नियंत्रित’ पद का अर्थ जो आरटीआई, अधिनियम की धारा 2(ज)(घ) के अधीन ‘नियंत्रणाधीन’ और ‘सारभूत रूप से प्रतिषोधित’ शब्दों के बीच आता है, का संकेत समुचित सरकार द्वारा प्रयुक्त सारखान प्रकृति के नियंत्रण की ओर जाता है । न्यायालय ने आगे यह जोड़ा कि समुचित सरकार द्वारा आक्षेपित निकाय का नियंत्रण मात्र पर्याप्तीय या विनियागक नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसी मात्रा में होना चाहिए जो प्रबंध और निकाय के क्रियाकलाप पर सारखान नियंत्रण की कोटि में आता हो ।

5.33 थलापालम वाले मामले में, रार्बेच्च न्यायालय द्वारा उपबंधित पूर्वोत्तर मार्गदर्शन अर्थात् यह कि नियंत्रण सारखान होना चाहिए, इस रिपोर्ट के निम्नलिखित भाग में बेहतर समझा जा सकता है, जहां सारखान शब्द की विवेद्य की चबू विस्तार रो की गई है । इस विद्यु पर इतना ही कहना पर्याप्त है कि ‘नियंत्रण’ शब्द का सांगजरव्यपूर्ण अर्थान्वयन किया जाना चाहिए जो आरटीआई, अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन के अनुरूप हो । इस प्रकार, ऐसे अर्थान्वयन का जो पूर्वगामी का समर्थन करता है जबकि ऐसा जो ऐसे प्रयोजन को विफल करता है, तिरस्कृत किए जाने की आवश्यकता है ।

¹¹⁶ एआईआर 2013 बोम 1.

¹¹⁷ एआईआर 2009 बोम 75.

¹¹⁸ (2010) 169 टीएसटी 508.

¹¹⁹ (2010) 118 हीआरजे 176.

¹²⁰ (2013) 16 एससीसी 82.

2. लोककृत्य

क. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

5.34 यहां, यह उल्लेखनीय है कि अजय हारिया वाले गांगले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनियांसित किया कि यदि नियम लोक गहन के द्वितीय पालन कर रहा है जो सरकारी कृत्य से गहन रूप से संबंधित है तो इसे राज्य के अधिकारण गह परिकरण के रूप में घोषित किया जा सकता है। यथापूर्वोक्त रौप यह है कि लोककृत्य ऐसे कृत्य हैं जो जनता के लिए गहनपूर्ण हैं, जनता को गहनपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और उन कृत्यों का पालन करने वाले निकाय को जनता द्वारा राज्य के विस्तार या अंग के रूप में देखा जा सकता है।

5.35 ब्लैक ला डिक्शनरी (आठवाँ रांखरण) 'लोककृत्य शिद्धांत' के बारे में यह समिलित करते हुए उल्लेख करता है कि प्राइवेट व्यक्ति के कार्य राज्य कार्य गहित करते हैं यदि प्राइवेट व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जो पारंपरिकतः राज्य के लिए आवश्यित है।

5.36 उपरोक्त डिक्शनरी 'सरकारी कृत्य शिद्धांत' या 'लोककृत्य तर्कण' के बारे में ऐसे सिद्धांत के रूप में उल्लेख करता है जिसके द्वारा प्राइवेट आचरण को राज्य कार्याई के रूप में घोषित किया जाता है, विशेषकर सम्यक प्रक्रिया और समान संरक्षण प्रयोजनों के लिए जब प्राइवेट पक्ष लोककृत्य का प्रयोग कर रहा है।

5.37 विन्नी लिमिटेड बनाय थी, सदाशिवन¹²¹ वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि ऐसे प्राइवेट निकाय भी हैं जो लोककृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं। न्यायालय ने आगे यह कहा कि 'लोककृत्य' और 'प्राइवेटकृत्य' के बीच रेखा खीचना कठिन है जब वे विशुद्धतः प्राइवेट प्राधिकारी द्वारा किए जा रहे हैं। 'कोई निकाय तभी लोककृत्य का पालन कर रहा है जब यह जनता या जनता के किसी वर्ग के कुछ सामूहिक फायदा प्राप्त करने की ईप्सा करता है और जनता या जनता के उस वर्ग द्वारा ऐसा करने का प्राधिकार रखने के रूप में स्थीकार किया जाता है (बल दिया गया है)। अतः, निकाय लोककृत्य का प्रयोग करते हैं जब वे लोकहित के सामाजिक या आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप या भाग लेते हैं। लोककृत्य को राज्य के अनन्य क्षेत्र के भीतर होने की आवश्यकता नहीं है। लैशत, त्वयिनियामक संगठन और अन्य नाम मात्र की प्राइवेट संस्था (जैसे विश्वविद्यालय, स्टॉक एक्सचेंज, लॉयड आफ लंदन, चर्च) भी वरतुतः कुछ तरह के लोककृत्य का पालन करते हैं.... इस प्रकार के गैर सरकारी निकाय अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने में ठीक उसी तरह समर्थ हैं जैसे सरकार हैं।'¹²²

5.38 जी, बस्सी रेड्डी बनाम अंतरराष्ट्रीय क्राप रिसर्च इंस्टीच्यूट और एक अन्य¹²³ वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि यद्यपि, यह परिगमित करना आसान नहीं है कि लोककृत्य या लोककर्त्य क्या है, किन्तु यह युक्तियुक्ततः कहा जा सकता है कि ऐसे कृत्य राज्य द्वारा अपनी संप्रगु क्षमता में किए गए उन कार्यों के रामतुल्य हैं।

5.39 अंदीमुक्त सद्गुरु श्रीमुक्त जीवन दास खागी स्वर्ण जयंती महोत्सव स्मारक न्यास

¹²¹ (2005) 6 एसटीसी 657.

¹²² डी लिम, गुलफ और लोगो, प्रशासनिक कार्याई (पांचवां रांखरण) की न्यायिक समीक्षा बड़ी में विविध है।

¹²³ एगाइट 2003 एसटी 1764.

बनाम थी, आर. रुदानी¹²⁴ वाले मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :

अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को परमाधिकार रिट की प्रकृति की रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। यह इंग्लिश विधि से विपर्यन रखता है। अनुच्छेद 226 के अधीन रिट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को जारी किया जा सकता है। इस संदर्भ में, प्रयुक्त प्राधिकारी पद का अनुच्छेद 12 के पद के रामान उदारतापूर्ण अर्थ निकाला जाना चाहिए जो केवल अनुच्छेद 32 के अधीन मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए ही सुसंगत है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों और गैर मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अतः, अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त ‘कोई व्यक्ति या प्राधिकारी’ शब्द को केवल राज्य के कानूनी प्राधिकारी या परिकरण तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। वे लोककृत्य का पालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को आवरित करते हैं। संबद्ध निकाय का रूप बहुत अधिक सुसंगत नहीं है (बल दिया गया)। निकाय पर अधिरोपित कर्तव्य की प्रकृति अधिक सुसंगत है। प्रभावित पक्ष को व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निभाये जाने वाले सकारात्मक बाध्यता के आलोक में कर्तव्य का निर्धारण किया जाना चाहिए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किस साधन से कर्तव्य अधिरोपित किया गया है। यदि सकारात्मक बाध्यता विधिमान्य है तो परमादेश से इनकार नहीं किया जा सकता।

ख. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

5.40 ‘लोककृत्य’ पद को साफ-साफ समझाने के लिए विदेशी अधिकारिताओं को देखने पर हम यह पाते हैं कि पापलर हाऊसिंग एंड रिजेनेरेशन कम्युनिटी एसोसिएशन लिमिटेड बनाम डोनोघ¹²⁵ वाले मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति लार्ड बुल्फ ने लोककृत्य पद का उदारतापूर्ण निर्वचन करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि प्राइवेट कार्य को अन्यथा लोककृत्य बनाने के लिए ‘ऐसा लक्षण या लक्षणों का संयोजन होना चाहिए जो कार्य पर लोक प्रकृति या स्टाम्प अधिरोपित करने वाला हो’। ऐसे लोक लक्षणों में कार्य करने के लिए कानूनी प्राधिकार : कृत्य के प्रयोग में लोक निकाय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला नियंत्रण की मात्रा ; और कैसे प्रशंसन गत कार्य गहन रूप से लोक निकाय के कर्तव्यों से गुथ गया है, भी सम्मिलित होना चाहिए।

5.41 एस्टन कैन्टलो एंड बिल्मकोट विद विल्सले पैरोचियल चर्च काउंसिल बनाम वाल बैंक¹²⁶ वाले मामले में हाऊस आफ लार्ड ने लोककृत्य विश्लेषण का उपयोग करने के महत्व को मान्यता प्रदान की। लार्ड निकोल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोककृत्य की परिभाषा के संबंध में ‘कोई एकल सार्वभौमिक उपयोजन की कसीटी नहीं हो सकती’। तथापि, आगे यह जोड़ा गया कि दावाकर्ताओं के लिए सुसंगत कारक उस विस्तार तक जहाँ तक कृत्य का वित्तपोषण सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है, कानूनी शक्तियों का प्रयोग, कृत्य के पालन में केंद्रीय सरकार या स्थानीय प्राधिकार की भूमिका या लोक सेवा का प्रदान किया जाना सम्मिलित है।

5.42 अतः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकप्रिय विश्वास के प्रतिकूल, लोक प्राधिकारी और लोककृत्य पदों का प्रभावी रूप से उपयोग लोक निकायों के प्रतिनिर्देश में किया जा

¹²⁴ एजाइंस्ट 1989 एसी 1807.

¹²⁵ [2002] मृ. 48.

¹²⁶ [2004] 1 एसी 546.

सकता है जो अपने कृत्यों की प्रकृति के आधार पर साज्य द्वारा धारित प्रलग की प्रकृति अभिग्राह करते हैं।

3. सारभूत रूप से वित्तपोषित

5.43 आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2(ज) के पढ़ने से यह स्थापित होता है कि स्वानित्याधीन, नियंत्रणाधीन या सारभूत रूप से वित्तपोषित निकाय और समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारभूत रूप से वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन उक्त धारा में दी गई परिनामा की परिधि के भीतर लोक प्राप्तिकारी हैं।

अतः, यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि निकाय/ईकाई समुचित सरकार द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है तो यदि यह भारत के संविधान या लानून के अधीन गठित नहीं है और गैर सरकारी संगठन/प्राइवेट निकाय है तो यह आर.टी.आई. अधिनियम, 2006 की परिधि के भीतर आएगी।

5.44 इस सोच को पुष्ट करने के लिए, सारभूत रूप से वित्तपोषित पद के अर्थ और व्यापि को समझना अनिवार्य है। चूंकि इस पद को आर.टी.आई. अधिनियम में विधायिका द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है इसलिए सार्थक अर्थ निकालने के लिए अन्य शब्दों का परिशीलन किया जाना अनेक्षित है।

5.45 आर्थिक दृष्टिकोण से, पश्चिम प्राइवेट भागीदारी (पी.पी.पी.) के बारे में चर्चा करते हुए एशिया पेसिफिक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्या (गृ.एन.ई.एस.सी.ए.पी.) में यह उल्लेख है कि प्राइवेट ईकाई की ओर से सरकार द्वारा किया गया भू-अजेंट और कर प्रोत्साहन को सरकारी समर्थन उपाय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।¹²⁷

5.46 इसी प्रकार, विश्व बैंक ने पी.पी.पी. को वित्तपोषण हेतु सरकारी समर्थन की चर्चा करते हुए यह उल्लेख किया कि सरकार परियोजना के लिए प्रत्यक्ष समर्थन उपलब्ध कराने का विनिश्चय करे अर्थात् सहायिकी/अनुदान, इकियटी विनियेश और/या ऋण के माध्यम से (बल दिया गया)। वित्तपोषित समर्थन में निम्नलिखित रूप में परियोजना को वित्तीय सरकारी समर्थन अंतर्वलित करता है :¹²⁸

प्रत्यक्ष समर्थन - नगद या भाल रूप में (अर्थात् निर्माण लागत कम कर भूमि उपापाकर आस्थियां उपलब्ध कराकर दोली लागत की प्रतिरुद्धि या गुरुत्व अनुदान समर्थन कर) ;

फीस, लागत और अन्य रांदाय को छूट प्रदान कर जो अन्यथा परियोजना कंपनी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के ईकाई को संबंध फरना होगा (अर्थात् कर छूटटी प्राप्तिकृत करना या कर दायित्व की छूट) ;

ऋण के रूप में परियोजना का वित्तपोषण करना (विचला ऋण सहित) या इकियटी विनियेश (या क्षेत्र अंतराल वित्तपोषण के रूप में)।

5.47 फीस या संदाय को छूट प्रदान करने के निवधन में सरकारी वित्तीय सहायता देने के

¹²⁷ गहरा उपलब्ध है http://www.unescap.org/lidw/ppp/ppp_primer/351_types_of_government_support_and_incentives.html (अंतिम बार 26-12-2017 को देखा गया)

¹²⁸ यहा उपलब्ध है http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/financing/government-support-subsidies_fnf1 (अंतिम बार 26-12-2017 को देखा गया).

संवाहण के रूप में नगरणालिका जैसे रणनीय निकाय की सीमाओं को भीतर किंकेट एथोरिएशनों के भी दृष्टित हैं जिन्हे अन्यथा उत्तराधीय संपति कर पर कर घूट के पायदे दिए जा रहे हैं।

5.48 फ्लार बनाम शिमलिंग¹²⁹ वाले गामले में, निकाया और नंदक हित निर्वाचन अधिनियम, 1923 की घास 10(1) के उपलब्धों का निर्वाचन करते हुए हज़ार आफ लाई ने यह अभिनिर्वाचित किया। ‘सारभूत रूप से’ ‘तैर सारभूत रूप से’ जैसा सामान नहीं है अर्थात् न्यूनीकरण शिक्षांत से दबना पर्याप्त नहीं है। ‘सारभूत रूप से’ शब्द का शब्दिक अर्थ ठोस, अतिप्राकाल आदि है।

5.49 व्युत्पत्ति की दृष्टि से, ब्लौक ला डिवशनरी (छत्ती रांसकरण) में, ‘सारभूत रूप से’ शब्द को ‘वारस्तविक मूल्य या गहत्व ; पर्याप्त गूल्य ; मूल्यवान, रास के तत्व ; वारस्तविक रूप से विद्यमान ; वारस्तविक ; मिथ्या या सामक नहीं ; वत्त्वनिक नहीं ; ठोस ; यथार्थ, कुछ श्रेयस्कर जिसे कुछ गूल्यहीन या गाज़ गहत्वहीन से विभेदित किया जा सकता है, सामग्री के समतुल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। ‘सारभूत रूप से’ शब्द को ‘आवश्यकतः ; सारणान अहंता के विना ; मुख्य में ; सार में ; तात्परिक रूप से ; के तार्थ में परिभाषित किया गया है।’

5.50 लघिकर रूप से, संस्कृत आकर्षफोर्ड इंग्लिश डिवशनरी (छत्ती रांसकरण) में ‘सारभूत’ शब्द से ‘काफी या पर्याप्त आकार, आकरण्योग्य, कठापी वज्ञ, ठोस कीमत या मूल्य वाला, अधिक गहत्व का ; ठोस ; महत्वपूर्ण, श्रेयस्कर, वल या प्रभाव रखने वाला कार्य, उपाय आदि प्रभावी ; सर्वाग्रीण’ अर्थ निकाला गया है। ‘सारभूत रूप से’ शब्द के अर्थ को ‘सारतः ; सारणान वरतु या ज्ञता के रूप में ; अनिवार्यतः जंतरभूत रूप से’ के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः, यह कहा जा सकता है कि ‘सारभूत’ शब्द ‘प्रभावशाली’ या ‘वहुमत’ के समतुल्य नहीं है। यह ‘सामग्री’ या ‘महत्वपूर्ण’ या ‘पर्याप्त मूल्य का’ के निकटतम है। ‘सारभूत रूप से’ ‘तत्वतः’ से निकटतम है। दोनों शब्द संदर्भ के आधार पर शिन-भिन्न मात्रा को द्योतित कर सकते हैं (वल दिया गया)।¹³⁰

5.51 अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् न्यायमूर्ति पी. बी. सादेत, भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार की परिपि के भीतर प्राइवेट निकायों को लाने के महत्व को कम आंकते हुए यह सब व्यक्त की।¹³¹ :

प्राइवेट निकाय, विशेषकर जहां उनके डिजाकलाए आग जनता के गूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं, ऐसे सूचना प्रकाट करने की अपेक्षा की जानी चाहिए। दूसरापी निजीकरण के इस काल में विजली बोर्ड और बैंकों जैसी संस्थाओं को विधि की व्याप्ति से बाहर नहीं निकाला जा सकता।

5.52 हिंदू शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम राज्य सूचना आयोग और अन्य¹³² (हिंदू शहरी सहकारी बैंक वाला गामला) वाले गामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ‘सारभूत’ शब्द को आर.टी.आई. अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है और

¹²⁹ (1948) 1 लोगी ईडार 1, 11 (एचएल)

¹³⁰ कृष्ण गामला में वर्षी में 200 में ‘पर्याप्त’ शब्द का अर्थ

¹³¹ अनुल्या नोगलतकृष्णन, ‘पर्याप्त सूचना’, फ्रंटलाइन (2003) यहां उपलब्ध है: <http://www.frontline.in/static/html/012001/stories/20030117100227100000.htm> (अधिग्रहण तिथि 02-04-2018 द्वारा फ्रंटलाइन)

¹³² अर्टिस्टलाइन (2011) 2 वी एंड एच 64.

इस प्रकार कोई शीघ्रता या नियंत्रण अर्थ नहीं है। विधान के प्रयोजन के लिए, इसका अर्थान्वयन इसके साधारण और प्राकृतिक भाव में आरटीआई, अधिनियम के अधीन लक्ष्यों, मूलभूत प्रयोजनों और भ्रष्टाचार नियंत्रण और जवाबदेही के संबंधन के लिए पारदर्शिता लाने के ईंप्रियत उद्देश्यों के राहें में किया जाना चाहिए।

5.53 थलप्पालम वाले भागले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भत्ता व्यक्त किया था कि धारा 2(ज)(प)(i) और (ii) में 'सारभूत रूप से वित्तपोषित' पद वित्तपोषण की मात्रा की ओर उपदर्शित करता है जो वारस्तविक, विद्यमान, सकारात्मक और सारभूत विस्तार तक वारस्तविक, संयमित नहीं, साधारण, सहनयोग्य आदि होना चाहिए। न्यायालय ने आगे यह कहा कि :

नात्र सहायिकी, अनुदान, छूट, विशेषाधिकार आदि के उपलब्ध कराने जैसे को सारभूत विस्तार तक वित्तपोषित करने वाला नहीं कहा जा सकता जब तक अभिलेख से सावित न होता हो कि वित्तपोषण निकाय को कितना सारभूत है जिसके द्वारा व्यावहारिक रूप से ऐसे वित्तपोषण से वह चलाया जा रहा है और ऐसा वित्तपोषण न होने पर उसका अरितत्व खतरे में पड़ जाएगा। राज्य जमा गारंटी स्लीम, नावार्ड आदि से सहायता स्कीम जैसे सहकारी क्षेत्र के देहतारी और कल्याण के लिए सामान्यतः कई स्कीमों भी निकाल सकती हैं, किंतु उन सुविधाओं या सहायता को अधिनियम की धारा 2(ज)(घ)(i) के अधीन लोक प्राधिकारी की परिधि के भीतर निकाय को लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'सारभूत रूप से वित्तपोषित' के रूप में नहीं कहा जा सकता। किंतु ऐसे भी दृष्टांत हैं जहाँ समुचित सरकार से 95% अनुदान प्राप्त कर रही प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं धारा 2(ज)(प) (i) के अधीन लोक प्राधिकारी की परिभाषा का जवाब देती हैं।

5.54 यह भी भत्ता व्यक्त किया गया कि यद्यपि, इस प्रकार 'गैर सरकारी संगठन' पद आरटीआई, अधिनियम में परिभाषित नहीं है, किंतु कालांतर में इसने अपना अर्थ अर्जित कर लिया है और उस संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। यद्यपि, गैर सरकारी संगठन जो राज्य के स्वामित्वाधीन नहीं हैं न ही नियंत्रणाधीन है, समुचित सरकार से सारभूत वित्तपोषण प्राप्त करते हैं, यह भी आरटीआई, अधिनियम की धारा 2(ज)(घ) (ii) की परिभाषा के भीतर आएगा।

5.55 दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन बनाम वीरिस भलिक और अन्य¹³³ वाले मामले में, यह अभिनियारित किया कि :

..... सारभूत वित्तपोषण का क्या अर्थ है, सार्वनामिक लागू होने के लिए कठोर फार्मूला के भीतर नियमनिष्ठ नहीं किया जा सकता। आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक मामले को उसके निजी तथ्यों के आधार पर परीक्षा करनी होगी। वित्तपोषण की वह प्रतिशतता 'बहुमत' वित्तपोषण नहीं है या यह कि निकाय एक अखाती निकाय है और महत्वपूर्ण नहीं है।

सामान्यतः, यह कि संस्था या संगठन नियंत्रित नहीं है और रखायत है असंगत है; वस्तुतः गैर सरकारी संगठन की अवधारणा का यह भी अर्थ है कि वह अपनी स्थापना या प्रबंधन में किसी भी तरह के सरकारी नियंत्रण से रखतंत्र है। यह कि संगठन लोक कर्तव्य का पालन नहीं करता या गहत्वपूर्ण रूप से पालन नहीं करता भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, जहाँ

¹³³ आई.एल.आर. (2010) 4 डेज 1.

तक कि वित्तपोषण के उद्देश्य को आग जनता के एक गर्म की आवश्यकता को पूरा करने या व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त नहीं किया जा रहा है। बस्तुतः, ऐसे वित्तपोषण के विरोध तक रामठन सरकारी नीति को पूरा करने की योजना के लिए औजार या यान हो सकता है। इस दृष्टिकोण से, किसी सीमा के बिना अधिनियमन की व्याप्ति के बारे में है जब तक लोक वित्तपोषण किया जा रहा है।

5.56 नगर युवक वाले मामले में, बन्धुई उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि 'सारभूत रूप से वित्तपोषित' पद का संसद् द्वारा ऐसी संस्थाओं के प्रति संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से बास्तवार प्रयोग किया गया है जो समुचित सरकार द्वारा निविधों के छोटे या कम अभिदाय से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्तपोषित हैं।

5.57 पापुलेशन सर्विस इंटरनेशनल बनाम राजेश धीमान¹³⁴ वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह विनिश्चित करते समय कि क्या याची संगठन (पी.एस.आई.) आर.टी.आई. अधिनियम के भीतर 'लोक प्राधिकारी' होगा, यह मत व्यक्त किया कि 'यदि आत्मतिक निर्बंधनों में विचार किया जाए तो लोक निधि के अपने कोष से सरकार द्वारा 11 से 16 करोड़ के बीच दिए गए अभिदाय को महत्वहीन नहीं माना जा सकता'। ऐसा अगिदाय पी.एस.आई. को सरकार द्वारा 'सारभूत रूप से वित्तपोषित' बनाएगा। न्यायालय ने आगे यह मत व्यक्त किया 'यदि वित्तपोषित राजस्व का एक करोड़ या 10% से अधिक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारकर से आता है तो निश्चित रूप से यह सारभूत वित्तपोषण की अहंता को पूरा करेगा।'

5.58 विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय बनाम सहायक आयकर आयुक्त¹³⁵ वाले नामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्टतया व्यक्त किए गए इस मत पर कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) ने आने वाले 'पूर्णतः या सारभूत रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित' पद को वार्षिक अनुदान तक सीमित नहीं किया जा सकता और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि का मूल्य भी सम्मिलित होगा, सी. आई. टी. बनाम भारतीय प्रबंध संस्थान¹³⁶ वाले मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय का अवलंब लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कर्नाटक उच्च न्यायालय के मत को निर्दिष्ट किया जिसने यह अभिनिर्धारित किया था कि वार्षिक अनुदान के अलावा उपलब्ध कराई गई भूमि का नूल्य, भवन और अन्य अवसंरचना और संस्था को चलाने में उपगत व्यय को यह विनिश्चित करते रानय एक साथ लिया जाएगा कि क्या संस्था सरकार द्वारा पूर्णतः या सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

5.59 कृषक भारती वाले मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 'वित्तपोषित' शब्द 'सारभूत रूप से' शब्द द्वारा विशेषित है जो यह उपवर्णित करता है कि वित्तपोषण की कुछ मात्रा है। अतः ऐसे निकायों के लिए सरकार द्वारा केवल वित्तपोषित होना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें 'सारभूत रूप से वित्तपोषित' होना चाहिए। सामान्य शब्दों में यह साचित किया जाना चाहिए कि सरकार द्वारा

¹³⁴ डल्लूपी (री) 3422/2012: 2013 एससीसी शोन्काइन टेज 3659.

¹³⁵ [2016] 72 एसटीसी 259.

¹³⁶ [2014] 226 ट्रास्टन 301 (काश).

निकाय का वित्तपोषण नगन्य नहीं है। 'सारभूत' शब्द निश्चय ही 'अधिकांश' वित्त पोषण का अर्थ नहीं निकालता। 10 करोड़ के चार्पिंक बजट में, 20 लाख स्माइली राशि प्रमुख या अधिकांश वित्तपोषण गठित नहीं करता किंतु निश्चय ही वह सारभूत रकम है। ऐसे संगठन के लिए 10 लाख रुपए की आरंभिक निधि सारभूत हो सकती है। यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मात्र प्रतिशतता-गार वित्त पोषण उस ईकाई के कुल वित्त का अधिकांश भाग गठित नहीं करता, का यह अर्थ नहीं होगा कि वित्तपोषण सारभूत नहीं है। सारभूत शब्द के दो भिन्न-भिन्न अर्थ का प्रतिनिर्देश किया जाए।

5.60 आगे, सी. आई. टी. बनाम पार्ले प्लारिटेक लिमिटेड¹²⁷ वाले मामले में, बम्बई उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि 'सारभूत' पद का अर्थ 50% से अधिक नहीं होता और वह शर्तों और निवेदनों के आधार पर 10% या 20% हो सकता है। यदि विभायिका के विवेक में 50% से अधिक कोई प्रतिशतता है तो उसे इस प्रकार उपबंध करना होगा।

5.61. सी. आई. टी. बनाम देशिया विद्याशाला समिति, शिमोगा¹²⁸ वाले मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि 34.33% तक का सरकारी अनुदान सारवान वित्तपोषण की कोटि में आता है और परिणामतः आवकर अधिनियम, 1961 की घारा 10(23ग) (iii) कक्ष) के अधीन छूट अनुद्देश है।

5.62 द हिंदू शहरी सहकारी बैंक ताले मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लोकहित के व्यापक संदर्भ में, ऐसी निधि जिसका लेन-देन सरकार करती है, लोक निधि है। वह जनता का है। न्यायालय ने आगे कहा -

उस दशा में, जहाँ कहीं लोकनिधि उपलब्ध कराई जाती है, 'सारभूत रूप से वित्तपोषित' शब्द का संभवतः निर्वचन अंकगणीतीय, गणीतीय और प्रतिशतता के संकीर्ण और सीमित निवेदनों में नहीं किया जा सकता। जहाँ कहीं लोकनिधि उपलब्ध कराई जाती है, 'सारभूत' शब्द का अर्थान्वयन 'नगण्य' शब्द के प्रतिकूल में किया जाना चाहिए और जहाँ वित्तपोषण अल्प भाग होने के कारण उपेक्षित किए जाने के लिए नगण्य नहीं है, वहाँ मेरे अनुसार, यह लोकनिधि से आने वाला सारभूत रूप से वित्तपोषण की कोटि में आएगा। अतः, जो कुछ फायदा शेवर पूँजी अभिदाय या सहायिकी, भूमि या कोई अन्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फीस, शुल्क, कर आदि के गिन-गिन धनीय उपबंधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम में जैसा यहाँ ऊपर उपदर्शित है, याथी संख्या को फायदा प्राप्त होता है, इस बाबत आई.टी.आई. अधिनियम के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दो गई निधियों द्वारा सारभूत वित्तपोषण की कोटि में आएगा।

5.63 मुनीष कुमार सेठ बनाम लोक सूचना अधिकारी¹²⁹ वाले मामले में, पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (पी.एस.सी.डी.आर.सी.) द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि 'प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः समुचित सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित' शब्द राज्य राजकोष रो न केवल प्रत्यक्ष निधि बल्कि अप्रत्यक्ष धनीय फायदा जो

¹²⁷ 322 आईटीआर 53 (दोस).

¹²⁸ दिनांकित 02.08.2011 की 2008 आईटीए राज्या 1133.

¹²⁹ 2012 (3) आरसीआर (सिपिल) 660.

सरकारी कार्रवाई द्वारा सुलभ कराया जाए, अपनी परिधि के भीतर लाने के लिए काफी पर्याप्त है। पी.एस.सी.डी.आर.सी. ने आगे यह कहा कि धारा 2(ज) के उपलब्ध (घ) में आने वाले 'निधि' शब्द का निर्वचन न केवल सरकार से गैर सरकारी संगठन को प्रत्यक्ष नकद बहाव तक वल्कि वित्तीय रियायत या फायदा या सहायिकी या उसकी छूट जो अन्यथा किसी विधि या उद्ग्रहण के अधीन सरकार को देय थी जैसे अप्रत्यक्ष 'निधि' भी सम्मिलित करने के लिए किया जाना चाहिए। 'निधि' शब्द का डिक्षनरी अर्थ निकालने पर, यह न केवल प्राप्त या संग्रहीत धन वल्कि बचाए गए धन को भी सम्मिलित करता है (बल दिया गया)। कंग्रेज डिक्षनरी आनलाइन 'निधि' शब्द को : विशिष्ट प्रयोजन के लिए बचाए गए, संग्रहीत या उपलब्ध कराई गई रकम ; किसी बात पर आवश्यक धन या खर्च के लिए उपलब्ध धन ; किसी बात की बड़ी मात्रा, के रूप में परिभाषित करता है। अतः, यदि कोई प्राइवेट संगठन ऐसे संदाय को बचाकर जो अन्यथा किसी विधि, नियम या विनियन के अधीन सरकार को शोष्य था, बचाता है तो यह उस संगठन के वित्तीय फायदे की कोटि में आएगा।

5.64 मदर डेरी फ्रूट एंड वेजीटेबुल प्राइवेट लिमिटेड बनाम हातिम अली और अन्य¹⁴⁰ वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह उल्लेख करना सुसंगत है कि 'सारवान रूप से वित्तपोषित' शब्द के पूर्व 'प्रत्यक्षतः' या 'अप्रत्यक्षतः' शब्द जुड़ा है। इस प्रकार समुचित सरकार द्वारा दी गई अप्रत्यक्ष वित्त को भी यह अवधारित करते समय विचार किया जाना चाहिए कि क्या निलाय को सनुचित सरकार द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया गया है। यह कर्तृती लागू की जानी चाहिए कि क्या केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियाँ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रश्नगत निकाय के लिए तात्त्विक या पर्याप्त नहर्व की हैं।

5.65 आर. के. जैन और अन्य बनाम भारतीय बैंक एसोसिएशन (आई.बी.ए)¹⁴¹ वाले मामले में, सी.आई.सी. ने शिखा रिंग बनाम भारतीय ट्यूबरकलोसिस एसोसिएशन¹⁴² वाले मामले में, व्यक्त किए गए अपने पूर्व स्तर को इस प्रकार निर्दिष्ट किया :

वित्तपोषण के सारभूत होने के प्रश्न पर विचार करते समय, लोकहित के पहलू की अनदेखी निधियों नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसी निधि लोकनिधि है जिसका लेन-देन सरकार करती है। वह निधि जनता की है। उस दशा में, जहां कहीं लोकनिधि उपलब्ध कराई जाती है, 'सारभूत रूप से वित्तपोषित' शब्द का संभवतः निर्वयन अंकगणीतीय, गणीतीय और प्रतिशतता के संकीर्ण और सीमित निर्वयनों में नहीं किया जा सकता। जहां कहीं लोकनिधि उपलब्ध कराई जाती है, 'सारभूत' शब्द का अर्थान्वयन 'नगण्य' शब्द के प्रतिलूप में किया जाना चाहिए और जहां वित्तपोषण अल्प भाग होने के कारण उपेक्षित किए जाने के लिए नगण्य नहीं है, वहां मेरे अनुसार यह लोकनिधि से आने वाला सारभूत रूप से वित्तपोषण ली कोटि में आएगा। अतः, जो कुछ फायदा शेयर पूँजी अभिदाय या सहायिकी, भूमि या कोई अन्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फीस, शुल्क, कर आदि के शिन-शिन घनीय उपवंधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जैसा यहां ऊपर उपदर्शित है, याची संस्था को फायदा प्राप्त होता है, इस बाबत

¹⁴⁰ एआईआर 2015 विलैन 132.

¹⁴¹ कौण्लेट संघरा सीआईसी / एमी / सी / 2015/030044 और सीआईसी / रजएच / सी / 2016/080123। निर्वय हिंदा। 13-11-2017.

¹⁴² काइल नवर: सीआईसी / एमी / सी / 2010/00127। विनाकित 29 / 1/2011।

आई.टी.आई. अधिनियम के प्रयोजन के लिए सामूहित राजकार हासा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई निवियों द्वारा सारभूत वित्तपोषण की कोटि में आएगा।

5.66 सी.आई.सी., ने इस गामले में यह अभिनिर्धारित किया कि 43% सार्वजनिक शेअर संसाधन, कर रियायत, प्रवार निये, वित्तपोषण के बिना 20 शहरों में आवास आर.टी.आई., को पूर्णतः राजकार और सार्वजनिक शेअर के बैंकों पर जीविता और कार्यक्रम के लिए नियंत्र बनाता है।¹⁴²

5.67 दसवारी बनाम पी.आई.ओ., विलिंग्टन जिमखाना बलब¹⁴³ वाले गामले में, सी.आई.सी., ने यह मत द्वारा किया कि यह तथ्य कि जिमखाना बलब, उठी प्रतिवर्ग 220/- रु. के नगण्य पट्टे पर उदाकमंदलम के शैलानी शहर के मुख्य शेअर में 67 एकड़ माप वाले शेअर के हजारों रुपये मूल्य वाली भूमि के अनन्य कब्जे का उपयोग कर रहा है, यह सावित करने के लिए पर्याप्त है कि जिमखाना बलब, उठी प्रत्यक्षतः और सारभूत रूप से राजकार हासा वित्तपोषित है अतः, वह अपने वित्ताकलापों के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह है। परिणामतः, फलब को आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2(ज) के अधीन लोक निकाय और लोक प्राधिकारी अभिनिर्धारित किया गया है।

5.68 गारतीय नेशनल स्टॉक एक्वेज लिमिटेड बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य¹⁴⁴ वाले गामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रतिशतता की तुलना में कुल बजट के निर्वाचन में वित्तपोषण गहतपूर्ण नहीं है और यह आवश्यक नहीं है कि यह ‘अधिकांश’ वित्तपोषण हो। ‘सारभूत वित्तपोषण’ का क्या अर्थ होगा, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नियमनिष्ठ फार्मूला नहीं निकाला जा सकता और मामला दर गामला आधार पर न्यायनिर्णीत किया जाना चाहिए।

5.69 इसी तरह गंजू एस., कुमार बनाम संरकृति रक्खल¹⁴⁵ वाले गामले में, ‘सारभूत रूप से वित्तपोषित’ पद की व्याप्ति का पुनर्विलोकन करते हुए सी.आई.सी., ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह आवश्यक नहीं है कि अनुदान ‘रातंत या वर्तमान’ हो।

5.70 श्री रुभाप चंद्र अग्रवाल और श्री अनील वैरवात बनाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस/अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और अन्य¹⁴⁶ वाले गामले में, सी.आई. सी., ने यह अभिनिर्धारित किया कि आई.एन.सी./ए.आई.सी.सी., बी.जे.पी., सी.पी.आई. (एम.), सी.पी.आई., एन.सी.पी. और बी.एस.पी. जैसे राजनीतिक दल केंद्रीय राजकार हासा सारभूत रूप से वित्तपोषित हैं अतः, आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2(ज) के अधीन लोक प्राधिकारी हैं। आयोग का यह तर्क था कि उनकी आय का 30% जो अन्यथा आयकर के माध्यम से संदर्भ किया जाता, केंद्रीय राजकार हासा उनके पक्ष में छूट दिया गया। आयोग ने आगे यह कहा कि यह अविवादित है कि यह सारभूत वित्तपोषण है यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी, राज्य मुख्यालय और/या जिला रक्तर के मुख्य स्थान पर भूमि और भवन का रियायतपूर्ण आवंटन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तपोषण के नाथ्यम से पर्याप्त स्कंद की कोटि में आता है।

¹⁴² आर.टी.आई. बनाम लिटिएन बैन एसोसिएशन (एलरीए), शिक्षक राज्य राज्य रोडाईसी / एसी / सी / 2015/000344 और सीआईसी / एसएच / सी / 2016/000123। नियंत्र दिन: 13-11-2017।

¹⁴³ सीआईसी / रक्खल / ए / 2014/003684। नियंत्र दिन: 04-12-2017।

¹⁴⁴ (2010) 110 एसलीएल 464 (दिल)।

¹⁴⁵ श्री आईसी / ओके / सी / 2006/000129।

¹⁴⁶ 2013 (3) भारतीय (रिपोर्ट) 403।

अध्याय 6

वी.सी.सी.आई. की विधिक प्रास्थिति का विश्लेषण

6.1 पूर्वगमी अध्यायों की चर्चा के आलोक में, वी.सी.सी.आई. की विधिक प्रास्थिति की अब परीक्षा की जाती है।

6.2 संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन वी.सी.सी.आई. की विधिक प्रास्थिति से संबंधित प्रश्न विभिन्न मामलों अर्थात् मोहिन्दर अमरनाथ और अन्य बनाम वी.सी.सी.आई.¹⁴⁸ (मोहिन्दर अमरनाथ वाला मामला), अजय जडेजा बनाम भारत संघ और अन्य¹⁴⁹ (अजय जडेजा वाला मामला) और राहुल मेहरा और एक अन्य बनाम भारत संघ¹⁵⁰ (राहुल मेहरा वाला मामला), में दिल्ली उच्च न्यायालय के रामक उठाया गया।

6.3 मोहिन्दर अमरनाथ वाले मामले में, वी.सी.सी.आई. को अधिकारों और कर्तव्यों की संविदात्मक प्रकृति पर विचार करते हुए, राज्य का परिकरण न होने के रूप में अभिनिर्धारित किया गया। तथापि, अजय जडेजा वाले मामले में, न्यायालय ने वी.सी.सी.आई. द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और अतिक्रमित अधिकारों के प्रश्न पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि वी.सी.सी.आई. द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्रकृति लोक प्रकृति के होने के कारण अनुच्छेद 226 के अधीन रिट रांधार्य है। न्यायालय ने ऐसर इडिल्या कानूनी निगम और अन्य बनाम यूनाइटेड लेवर यूनियन और अन्य¹⁵¹ वाले मामले के निर्णय को निर्दिष्ट किया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के अधीन आने वाले आदाशक मानदंड के रूप में प्राइवेट निकाय द्वारा किए जाने वाले कृत्यों की लोक प्रकृति पर बल दिया था। न्यायालय ने इसे भी मान्यता प्रदान की कि यद्यपि, मामला विशुद्धता: प्राइवेट विधि के अधीन रांविदा से उद्भूत होता है, रिट लागू होगा यदि रांविदा से लोक कर्तव्य उद्भूत होता है या यदि उसके अधीन कार्रवाई में मूल अधिकारों का अतिक्रमण अंतर्वलित है।

6.4 राहुल मेहरा वाले मामले में, यह रपष्ट किया गया कि अजय जडेजा द्वारा रिट वाचिका के वापस लिए जाने के कारण, उसका पारित आदेश भी वातिल हो गया। तथापि, यह पुष्ट किया गया कि वी.सी.सी.आई. के विशुद्ध रिट वाचिका, क्रिकेट के खेल को विनियमित और नियंत्रित करने में वी.सी.सी.आई. द्वारा पालन किए गए कृत्यों की एकाधिकार प्रकृति के कारण रांधार्य है। न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त 'कोई व्यक्ति या प्राविकारी' के अंतर्गत लोककृत्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति या निकाय आएगा।

6.5 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और एक अन्य बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब और अन्य¹⁵² (नेताजी क्रिकेट क्लब वाला मामला) वाले मामले में, रार्वाच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त कतिपय मत वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं जिन्हें यहां दौहराया जा रहा है:

¹⁴⁸ सीड्यूलनेन 632/891 23-06-1989 दो तथा किया गया।

¹⁴⁹ (2002) 95 ठीकाने 14.

¹⁵⁰ (2004) 76 ठीकाने 155 (ठीकी)

¹⁵¹ (1997) 9 एससीसी 377; 1997 एससीसी (एल एड एस) 1344.

¹⁵² एआईआर 2005 एससी 502; (2005) 4 एससीसी 741, पारा 80-82.

बोर्ड तमिलनाडु रोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है। यह जापन संगम और अनुच्छेद संगम के निवाहनानुराग क्रिकेट खेल के विनियमन के संबंध में एकाधिकार हैसियत का उपयोग करता है (बल दिया गया)। यह क्रिकेट खेल को नियंत्रित करता है और उसके लिए विधि अधिकथित करता है। अन्य बातों के साथ-साथ, वह कर छूट के माध्यम से और नामग्राम गासिक किराये पर स्टेडियम के उपयोग के अधिकार का उपयोग करता है। यह न केवल दर्शकों को टिकट बेचकर बल्कि खेल को टेलीविजन पर सजीव फिल्म प्रदर्शित करने और प्रसारित करने के अधिकार को भी बेचकर भारी राजरव पैदा करता है (बल दिया गया)। साधारणतः, इसके पूर्ण सदस्य भारतीय विश्वविद्यालय संगम, रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड के अलावा राज्य संगम हैं। आई.सी.सी. के सदस्य के रूप में यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यापक लोककृत्यों का प्रयोग करता है। यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों, अम्पायरों और कर्मचारियों के चयन करने का प्राधिकार रखता है (बल दिया गया)। बोर्ड के नियम स्पष्टतः यह प्रदर्शित करते हैं कि इसकी मान्यता के बिना देश के भीतर या बाहर कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट आयोजित नहीं हो सकती। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के खेल पर इसका गहन, व्यापक और पूर्ण नियंत्रण है (बल दिया गया)। विधि में, किसी प्रकार का यह विवाद नहीं हो सकता है कि उसके हास प्रयोग की जाने वाली व्यापक शक्ति को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड अपने सभी क्रियाकलायों में 'ऋणुता' और 'सद्गाव' के सिद्धांत का पालन करने के लिए बाध्य है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसे करोड़ों व्यक्तियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना है, इसका यह कर्तव्य है कि वह युवित्युक्ततः कार्य करे। वह मनगानेपन, रानकपन या मनमौजीपन से कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि बोर्ड क्रिकेट व्यवसाय को नियंत्रित करता है, इसलिए, लोकहित और क्रिकेट खेल के कल्याण को भी ध्यान में रखते हुए, इसकी कार्रवाई को उच्चतर मानकों हास निर्णीत किए जाने की आपेक्षा है। अतः, यह पूर्णतः वांछनीय है कि क्रिकेट खेल को नियंत्रित करने वाले प्रभारी निकाय को समाज के उद्देश्यों को पूर्णतः अनदेखी कर नुकदामें में लिपा होना चाहिए।

क्या बी.सी.सी.आई. को अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत 'राज्य' होना चाहिए।

6.6 जी टेलीफिल्म लिमिटेड बनाम भारत संघ¹⁵³ (जी टेलीफिल्म वाला मामला) वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय के संविधान न्यायपीठ के समक्ष यह नुदा उठा कि क्या बी.सी.सी.आई. अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' है और परिणामतः, संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन बी.सी.सी.आई. के विरुद्ध रिट याचिका संघार्य है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :

यह स्पष्ट है कि स्थापित तथ्यों से संचयी रूप से सावित नहीं होता कि बोर्ड वित्तीय, कार्यकृतीय और प्रशासनिक रूप से सरकार के नियंत्रणाधीन या प्रभुत्वाधीन है। इस प्रकार, थोड़ा नियंत्रण जो सरकार का बोर्ड पर होना कहा जा सकता है, व्यापक प्रकृति का नहीं है। ऐसा नियंत्रण विशुद्धतः विनियागक है और कुछ नहीं।

6.7 चंद्र मोहन खन्ना बनाम राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्¹⁵⁴ और सोम

¹⁵³ एआईआर 2005 एससी 2677; (2005) 4 एसनीसी 54 9। यह भी देखें, ए.सी.सी.मुख्य बनाम भालीय क्रिकेट नियामक मंडल और एनआर, (2011) 6 एसनीसी 617.

¹⁵⁴ एआईआर 1992 एससी 76.

प्रकाश ऐखी बनाम भारत संघ¹⁵⁵ वाले मामलों को निर्दिष्ट करते हुए न्यायालय ने यह कहा :

1. बोर्ड कानून द्वारा रुजित नहीं है।
2. बोर्ड के शेयरपूँजी का कोई भाग सरकार द्वारा घासित नहीं है।
3. व्यवहारतः बोर्ड के पूरे या संपूर्ण व्यय को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।
4. बोर्ड क्रिकेट के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्तिका उपग्रेड करता है किंतु ऐसी प्राप्तिका राज्य प्रबन्ध या राज्य संरक्षित नहीं है।
5. गहन और व्यापक राज्य नियंत्रण का अस्तित्व नहीं है। बोर्ड के सभी कृत्य राज्य कृत्य नहीं हैं और न ही वे गहनतः सरकारी कृत्यों से संबंधित हैं।
6. बोर्ड का सृजन सरकार के स्वामित्वाधीन नियम के अन्तरण द्वारा नहीं हुआ है। यह एक स्वायत्त निकाय है।

6.8 अतः बी.सी.सी.आई. को संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' होना अभिनिर्धारित नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यह सतर्क किया कि राजस्थान राज्य विजली वाले मामले और सुखदेव सिंह वाले मामले में व्याप्त रिति अब लागू नहीं हैं क्योंकि इस वीच भारत सरकार ली सामाजिक आर्द्धिक नीति में परिवर्तन हो गया है अतः न्यायिक निर्वयन द्वारा अनुच्छेद 12 के अधीन 'अन्य प्राधिकारी' की व्याप्ति को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जी टेलीफिल्म वाले मामले का अल्पमत

6.9 जी टेलीफिल्म वाले मामले में अल्पमत न्यायमूर्ति एस.एन. बरियाहा और रमेश की ओर से न्यायमूर्ति सिन्हा द्वारा व्यक्त किया गया है और यहां इसका विशेष उल्लेख किया जाना नहीं पूर्ण है। यह कहा गया कि हमारा संविधान एक रातत दरतावेज है और इस प्रकार उदारतापूर्वक निर्वचन किए जाने की अपेक्षा करता है। अतः बोर्ड द्वारा क्रिकेट खेल के अन्य नियंत्रण और प्रबंधन तथा उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली व्यापक शक्ति के संबंध में अनुच्छेद 12 का निर्वचन किया जाना नई रोच की मांग है।¹⁵⁶

6.10 अधिकांश न्यायाधीशों ने निश्चयपूर्वक यह कहा कि प्रदीप कुमार विश्वास वाला निर्णय संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थान्तर्गत आवद्धकारी पूर्ण निर्णय नहीं है। यह इस कारण था, क्योंकि प्रश्न जो प्रदीप कुमार विश्वास वाले मामले में उठाया गया था, यह था कि व्या सभाजीत तिवारी वाले मामले का निर्णय राहीं दिया गया था या नहीं। चूंकि प्रदीप कुमार विश्वास वाले मामले का विनिश्चय सी.एस.आई.आर. के क्रियाकलाप के नुकाबले सभाजीत तिवारी वाले मामले में अधिकांश कर्तृतिवारी की चारों ओर घुमतः रहा इसलिए तर्ककाधार उन प्रश्नों की बाबत ही रुगझा जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह कहा कि वर्तमान मामले में उदाए गए प्रश्न "न तो पक्षपोषित किए गए थे न ही वहां कोई आवश्यकता थी"¹⁵⁷

¹⁵⁵ एआईआर 1981 एप्रील 212.

¹⁵⁶ पृष्ठ 55, नोट : जी टेलीफिल्म मामले के अनुक्रम के सभी गदेश के सबसे एसीसी उद्दरण के हैं।

¹⁵⁷ पात्स 257 और 258.

6.11 आगे यह कहा गया कि :

मुख्य तौर पर ऐसी तीन शिन्न अवधारणाएं हैं जो ऐसे प्रश्न के अवधारण के लिए विद्यमान हैं जो 'अन्य प्राधिकारी' पद के भीतर आते हैं :

(i) संविधान के अनुच्छेद 298 के निवंधनानुरार राज्य द्वारा अपने व्यापार क्रियाकलाप चलाने के लिए सूजित निगम और सोसाइटी जिनके लिए पूँजी, अवसंरचना, आरंभिक निवेश और वित्तीय सहायता आदि राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और वह उस पर विनियम और नियंत्रण का भी प्रयोग करता है ।

(ii) अनुसंधान और विकासात्मक कार्य करने के लिए सूजित निकाय जो अन्यथा सरकारी कृत्य हैं किंतु वे संप्रभु कृत्य के भाग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ।

(iii) कोई प्राइवेट निकाय लोक कर्तव्य वा निर्वहन करने या लोक प्रकृति की सकारात्मक बाध्यता के लिए अनुज्ञात है और इसके अतिरिक्त विनियमक और नियंत्रक कृत्य और ऐसे क्रियाकलाप जो अन्यथा सरकार का कार्य है, करने के लिए अनुज्ञात है ।¹⁵⁸

6.12 न्यायाधीशों (अल्पमत) ने आगे यह मत व्यक्त किया कि कोई भी शिन्न-मिन्न निकायों के निर्णय के लिए एक ही मापदंड यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं रख सकता है कि क्या उनमें से कोई विधि की अपेक्षाओं को पूरा करता है और वरन्तु यह देखने के लिए कि क्या आवश्यक है कि संबद्ध निकाय के क्या कृत्य हैं ।¹⁵⁹

6.13 देशी और विदेशी दोनों विधिशास्त्र के परिशीलन के पश्चात् विद्वान् न्यायाधीशों ने कठिपय कर्तौटियां अधिकथित की जो इस जटिल प्रश्न को सुलझाने में सहायक हो सकती हैं¹⁶⁰ :

(i) कब निकाय लोक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और लोक कर्तव्य का पालन करता है ।

(ii) कब यह नानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए आवद्ध है ।

(iii) जब यह नागरिक के वृत्ति या पेशे को विनियमित करता है जो किसी कानून या अपने निजी नियम के अधीन अन्यथा मूल अधिकार है ।

(iv) जब यह आम जनता और विशेषकर क्रिकेट खेल के दर्शकों को उपलब्ध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में अंतर्विष्ट नागरिक के अधिकार को विनियमित करता है ।

(v) जब यह तथ्यतः या विधितः एकाधिकार का प्रयोग करता है ।

(vi) जब राज्य, अपनी विधायी शवित को उसके पक्ष में बाहरी स्रोतों से लाग प्राप्त करता है ।

(vii) जब वह लोक प्रकृति की सकारात्मक बाध्यता का प्रयोग करता है ।

¹⁵⁸ देख 70.

¹⁵⁹ देख 71 और 73.

¹⁶⁰ देख 172.

6.14 तदुपरि, आगे बढ़ते हुए यह कहा गया कि प्रदीप कुमार विश्वास वाले मामले में यथा अधिकाधिक सरकार द्वारा पारंपरिक नियंत्रण की कराई थी - पितीय, कार्यकरणीय और प्रशासनिक, तभी लागू होगी जब निकाय विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा सृजित, किन्तु कंपनी अधिनियम के अधीन निर्गमित या रोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं। ये कराईयां बी.सी.सी.आई. जैसे मामलों में लागू नहीं हो सकते जहां यह कई वर्ष पूर्व प्राइवेट निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने की अनुज्ञा दिए जाने के कारण यह भारतीय क्रिकेट का मूल निकाय हो गया है। बी.सी.सी.आई. की महत्वा और कृत्यों की गुरुत्वा ने राष्ट्रीय व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए इसे एकात्मवादी प्रास्तिति प्रदान की। बी.सी.सी.आई. नागरिकों के उनके वाक् अधिकार या आजीविका अधिकार विषयक मूल अधिकारों से युक्त हैं और खिलाड़ियों, अम्पायरों और क्रिकेट के खेल से जुड़े अन्य लोगों के रजिस्ट्रीकरण जैसे कई मामलों में अंतिम निर्णय रखता है जो देश में बहुत विख्यात है।

6.15 एक एसोसिएशन और दूसरे एसोसिएशन या भिन्न-भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले या राज्य की प्रास्तिति रखने वाले भिन्न-भिन्न संगठनों के बीच प्रतिसंर्थी क्रिकेट का आयोजक होने और इसके लिए उप-विधि बनाने के कारण बी.सी.सी.आई. खोल संबंधी क्रियाकलापों पर तथ्यतः विधान बना रहा है। तथ्यतः, यह संविधान की सारांशी अनुसूची की सूची 2 ली प्राप्तिः 33 के अनुसार राज्य का कृत्य है। इसके अतिरिक्त, बी.सी.सी.आई. केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय फेडरेशन के रूप में राज्य रांगण का उपमोग करता है। इसके कारण भिन्न कराई लागू किया जाना आवश्यक और न्यायोचित है।¹⁶¹

6.16 इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि जी टेलीफिल्म वाले मामले में अल्पमत निर्णय ने कुछ बहुत रोचक विद्व उजागर किए जो यहां चर्चा के लिए बहुत प्रासांगिक हैं।

6.17 अब, उपरोक्त चर्चा के संयोजन से कुछ निर्दिष्यादित मुद्दों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :

(1) कोई भी व्यक्ति बी.सी.सी.आई., को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य द्वारा तथ्यतः अनुज्ञात ईकाई के रूप में पाता है। बी.सी.सी.आई. भारतीय टीम का चयन करता है और चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय रंग पहनते हैं।¹⁶²

(2) आई.सी.सी., बी.री.सी.आई., को भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले शासकीय निकाय के रूप में मान्यता प्रदान करता है।

(3) न तो सरकार और न ही बी.सी.सी.आई. ने कभी पूर्वोक्त प्रास्तिति को चुनौती देने, चर्चा करने या परिवर्तन करने की ईस्पा की।

(4) बी.सी.सी.आई. व्यवहारतः भारत में क्रिकेट खेल को नियंत्रित करने और दिनियमित करने में एकाधिकारवादी प्रास्तिति का उपमोग करता है। बी.सी.सी.आई. क्रिकेट से संबंधित नीति विवरना और व्यापक रूप से देश को प्रभावित करने वाले इसके क्रियान्वयन को नियंत्रित

¹⁶¹ ४८-१७३

¹⁶² देखें, रिपोर्ट के लिए अनुंय - बी.सी.सी.आई. के एगओर.

करता है जो तत्पतः राज्य का कृत्य है।¹⁶³

(5) बी.सी.सी.आई. और इसकी कार्रवाई/क्रियाकलाप प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः नागरिकों, खिलाड़ियों और अन्य कृत्यकारियों के मूल अधिकारों को प्रगावित करते हैं।

6.18 उपरोक्त विदु 'राज्य की तरह' शक्ति धारित करने वाले 'राज्य की तरह' ईकाई के रामान जैसे प्रतीत होते हैं। इन तथ्यों के आलोक में, किसी को यह विश्वास दिलाना कठिन है कि बी.सी.सी.आई. अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' की परिणाम के भीतर नहीं आता।

6.19 तथापि, तत्कालीन व्याख्या के सिद्धांत से यह प्रकट होता है कि 'किसी कानून या दरतावेज का सबसे अच्छा अर्थ वह है जो उन लोगों द्वारा दिया गया है जो इसे अधिनियमित किया या इस पर हरताक्षर किया है और यह कि समकालीन द्वारा या काफी लंबी परंपरा द्वारा दिए गए सार्वजनिक अर्थ को भी राहीं लगाया जाना चाहिए, यदि भाषा का जनप्रिय या शाब्दिक अर्थ हो सकता जो बहुत भिन्न है'।¹⁶⁴ इस नियम को कई मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू किया गया है। तथापि, न्यायालय ने यह सतर्क किया कि ऐसे नियम को त्याग देना चाहिए जहां कानून की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है।¹⁶⁵

6.20 बारंवार बोर्ड के महत्वपूर्ण पद को नियंत्रित कर इस पर शासी दलों की नियंत्रित करने की इच्छा से बी.सी.सी.आई. के राजनीतिक महत्व को भी उजागर किया गया है। वर्षों से कई अवसरों पर जैसा यह उल्लेख किया गया है कि बी.सी.सी.आई. के अध्यक्ष का पद तत्कालीन शासन करने वाले राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा ग्रहण किया जाता है। उदाहरणार्थ श्री एन. पी. के. राल्ड, अनुग्रामी राजनीतिज्ञ और आई.एन.सी., के केंद्रीय मंत्री वर्ष 1982 से 1995 तक बी.सी.सी.आई. के अध्यक्ष थे; श्री माघव राव जीवाजी राव सिंधिया, राजनीतिज्ञ और आई.एन.सी. के गंत्री 1990 से 1993 तक पद धारित किए हुए थे; श्री रणवीर सिंह महेन्द्र आई.एन. सी. के राजनीतिज्ञ वर्ष 2004-2005 के बीच; श्री शरद पवार राष्ट्रीय कांग्रेस दल के राजनीतिज्ञ और यू.पी.ए. 1 सरकार के कैबिनेट मंत्री 2005 से 2008 तक और हाल ही में, अनुराग ठाकुर बी.जे.पी. के सारांश 2016 से 2017 तक बी.सी.सी.आई. के अध्यक्ष थे।

बी.सी.सी.आई. - 'लोककृत्य' का पालन ?

6.21 सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालय और केंद्रीय और राज्य स्तर के अन्य न्याय निर्णायक निकायों के निर्णयों/दिनिश्चयों पद विचार करने से इस प्रश्न का उत्तर सकाशात्मक होता है। विभिन्न मामलों में सुर्योदातः यह मत व्यक्त किया गया है कि बी.सी.सी.आई. क्रिकेट क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्तिका का उपयोग करता है जो केंद्रीय सरकार और आई.सी.सी., क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त है।¹⁶⁶ एन.एस.एफ. के रूप में विशुद्धतः इसे मान्यता

¹⁶³ -वही-

¹⁶⁴ लोक लौं लौं डिव्हेनशी (प्र टेलन.)

¹⁶⁵ देखें, नेशन नेशु गुजरात वनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड एआईआर 1979 एसटी 1049, के.पी. चौधरी बी.आईटीओ. एआईआर 1981 एसटी 1922; इडियन मेटल्स एंड फेरी एलोयल लिमिटेड, गोदावरी वनाम फेन्ड्रीय उत्पाद गुलजार एआईआर 1991 एसटी 1028; एन.सुरेश वनाम गुनिगाम ऑफ इंडिया, एआईआर 1992 एसटी 564; M.B. जोशी वनाम चार्टिंग गुलाब पांडे, एआईआर 1993 एसटी 267.

¹⁶⁶ देखें, नेशन नेशु गुजरात वनाम फेन्ड्रीय लिमिटेड केरा, विहार वनाम के ग्रिलेट एसोसिएशन (एपरल कॉर्स), गुजरात चंद्र अंगाल वनाम में सीआईसी का निपांग, 2017.

प्राप्त कर आरटीआई, अधिनियम के अधीन बी.सी.सी.आई, को जवाबदेह और तद्दारा लोक प्राधिकारी बनाने के भारत सरकार के आशय को लोकसभा में युवा और खेल मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से काफी स्पष्ट होता है ।

6.22 न्यायमूर्ति सिन्हा ने जी टेलीपिल्स वाले गामले में लोक कृत्यों की व्याप्ति पर चर्चा करते हुए, लारेंस एच. द्राइव द्वारा लिखी अमेरिकन रांपैधानिक विधि को निर्दिष्ट किया जहां ऐसे कृत्यों को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया गया है¹⁶⁷ :

लोककृत्य मामले - जब राज्य - एक प्राइवेट कार्सवाई - मानो, गली के किनारे पर हरी वर्ती पथ शावियों को पार करने की अनुज्ञा देता है, यदि वे ऐसा चाहें - तो कार्सवाई स्थानः किसी भी अर्थ में 'लोक प्राधिकारी' के अधीन ली गई कार्सवाई नहीं बना सकती जो संविधान को लागू बनाता है । ऐसा कौन सा प्राधिकार है जो संविधान के प्रभाव को प्राइवेट हाथों रखकर दायित्व निर्धारित करने के विनिश्चय की प्रकृति को तत्पतः परिवर्तित करेगा । तथापि, यह उत्तेष्ठ किया गया कि किसी समय विभिन्न प्रवर्ग के दायित्व विद्यमान हो सकते हैं जो 'पब्लिक' या 'सरकारी' हैं किंतु उनका पालन राज्य प्राधिकार के अनुसरण में प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है यद्यपि, यह आदशक नहीं कि राज्य निदेश की सहमति हो, यह संघात्मक रांपैधानिक नानकों के अधीन है जो वैसे ही दायित्व का निर्वहन करने वाले लोक कर्मचारियों के लागू हैं । उदाहरणार्थे गली पार करने का विनिश्चय जब पुलिस अधिकारी यह कहता है कि आप द्वारा किया गया कृत्य ऐसा लोककृत्य नहीं हो सकता ; किंतु प्राधिकृत रूप से यह विनिश्चय करना कि कौन पार करने के लिए रवतंत्र है और किसे रोका जाना चाहिए, एक लोककृत्य है, चाहे राज्य विधि के अधीन कार्य करने के लिए संपांग गया व्यक्ति वह कृत्य पालन करने के लिए पुलिस वर्दी पहने हैं या नहीं और राज्य राजरव से वेतन दिया जा रहा है या नहीं या सिविलियन कपड़े पहने हैं और स्वैच्छिक क्रासिंग संरक्षक के रूप में सेवा कर रहा है... ।

6.23 भारत में क्रिकेट के विनियमन की बाबत, यह सही है कि ऐसा कोई केंद्रीय या राज्य विधान विद्यमान नहीं है । बी.सी.सी.आई. खेल को विनियमित करने की भूमिका निश्चाता है, उस आशय की टिक्की बनाता है जो राज्य द्वारा अनुशासित हैं । न्यायमूर्ति सिन्हा ने आगे यह मत व्यक्त किया कि कई लोककृत्य विधायिका द्वारा अधिकथन किए जाने के बजाए न्यायालयों द्वारा विहित किए गए हैं और कुछ को स्वैच्छिक रूप से माना गया कहा जा सकता है । कुछ कानूनी लोक कर्तव्य इस अर्थ में 'आवरण के विहित पैटर्न' हैं कि वे युक्तियुक्ताः कार्य करने के कर्तव्य के रूप में माने जाते हैं जिससे कि इन मामलों के चिरभोग वरतुतः न्यायालयों द्वारा उपबंधित किए गए हैं न कि उनके द्वारा नात्र मान्यता प्राप्त हैं' ।¹⁶⁸

6.24 इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बी. सी.सी. आई. द्वारा प्रयुक्त शवित्री की एकाधिकारवादी प्रकृति, सरकार द्वारा दी गई तथ्यात्मक मान्यता, खिलाड़ियों, उम्मायरों और सामान्य नागरिक के मूल अधिकारों पर बोर्ड की कार्सवाई/विनिश्चय का प्रभाव रे यह प्रकट होता है कि बी.सी.सी.आई. द्वारा किए जाने वाले कृत्यों की प्रकृति और लक्षण लोककृत्य जैसे हैं ।

¹⁶⁷ लॉरेंस एच. जनजाति, अमेरिजी रांपैधानिक कानून, 1705 (फारेडेन प्रेस इंक, 1978).

¹⁶⁸ बी.टेलीपिल्स लेस, पृष्ठ 144.

बी.सी.सी.आई. - राष्ट्रीय खेल फेडरेशन

6.25 27 मार्च, 2012 को उत्तर गए जलार्ओकित प्रश्न सं. 2097 के उत्तर में युवा और खेल मंत्री श्री अजय माधवन ने लोकसभा में यह कहा कि सरकार ने 31मई, 2010 में यह मोषित किया है कि दस लाख या अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले सभी राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों (एन.एस.एफ.) को आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2(ज) के अधीन 'लोक प्राधिकारी' माना जाएगा (बल दिया गया)।¹⁶⁹ इस प्रकार आर.टी.आई. अधिनियम मानित लोक प्राधिकारी होते हुए, ऐसे सभी एनएसएफ को लागू है।¹⁷⁰ नाननीय मंत्री बहोदर्य ने आगे यह कहा कि जहाँ बी.सी.सी.आई. का संबंध है, भारत सरकार इसे एनएसएफ मान रही है और भारत में कराए जाने वाले आयोजनों और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के उसके प्रस्तावों का अनुमोदन कर रही है (बल दिया गया)। मंत्री जी के उत्तर से रपब्लिक यह दर्शित होता है कि भारत सरकार बी.सी.सी.आई. को एनएसएफ मान रही है और इसलिए इसे आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2(ज) के नियंत्रणानुसार लोक प्राधिकारी भी माना जाना चाहिए।

6.26 आगे तत्कालीन युवा और खेल राज्य मंत्री श्री दिजय गोयल द्वारा लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 142 के 27 जुलाई, 2016 के उत्तर का भी प्रतिनिवेश किया जा सकता है। इस उत्तर में नाननीय मंत्री जी ने विभिन्न खेल विषयों के संबंधित के लिए एनएसएफ की गहत्तपूर्ण भूमिका को रपब्लिक करते हुए विभिन्न एनएसएफ द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलापों और कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया : 'ऐशा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन, खिलाड़ियों/ दलों का चयन, विदेश के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने और प्रशिक्षण के लिए उन्हें भेजना, विख्यात भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षण/कोधिंग का आयोजन.....'। और यह भी ध्यान दिया जाए कि क्रिकेट के संबंध में, बी.सी.सी.आई. भारत की ओर से अनन्यतः इन क्रियाकलापों का पालन करती है/नियाती है, तद्द्वारा क्रिकेट के लिए एनएसएफ के रूप में क्रियान्वयन और कार्यकरण करती है।

बी.सी.सी.आई. - सरकार द्वारा 'सारभूत रूप से वित्तपोषित'

6.27 यह कहना उचित हो सकता है कि केंद्रीय सरकार बी.सी.सी.आई. को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है किंतु यह भी अभिलेख पर है कि वह अन्य के साथ-साथ आयलर सीमा-शुल्क आदि में रियायत, अधिकतम रियायत दर पर भूमि प्रदान करने वैसे अन्य ढंग और रीति से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

6.28 यह अभिलेख पर है कि राज्य सरकारों ने भी क्रिकेट एसोसिएशनों के लिए कई स्थानों पर रियायत दर पर भूमि प्रदान की है (उदाहरणार्थ : हिनाचल प्रदेश राज्य ने एक रुपए प्रतिमास के 99 वर्ष के पट्टे पर हिनाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को लगभग 50 हजार वर्ग मीटर की भूमि

¹⁶⁹ यह उपलब्ध : <http://164.100.47.194/Lok Sabha/Questions/QResult15.aspx?qref=117915&lsno=15> (अंतिम वार 16.02.2018 गो देया गया)। यह भी देखें, सुनाप चंद्र अध्यालय विभाग वीडियो, खेल विभाग, सीआईसी / रलएस / सी / 2017/0000566 16-08-2017 को निर्माय दिया। (सुनाप चंद्र अध्यालय गोपनी, 2017); अनुलग्नक-II-

¹⁷⁰ युवा गोपनी और खेल विभालय, देहल विभाग का पत्र संख्या 36-2 / 2010-एलपी -2, दिनांक 30 मार्च, 2010 'राष्ट्रीय प्राधिकरण सभी दो संसदीय प्राधिकरण के रूप में पांचित करना', अनुलग्नक III.

आवंटित की) ¹⁷¹ और संचयी रूप से, वी.सी.सी.आई. ने हजारों करोड़ रुपए के कर छूट का उपयोग किया। संक्षेप में वर्ष 1997-2007 के बीच कुल कर छूट रुपए 21,683, 237,489/- (इक्कीस विलियन छह सौ तिरासी मिलियन दो सौ सताईस हजार चार सौ नवासी) ¹⁷²। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007-2008 से आगे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन वी.सी.सी.आई. का पूर्त न्याय के रूप में रजिस्ट्रीकरण वापस ले लिया गया।

6.29 अब, ‘सारभूत रूप से वित्तपोषित’ पद के आर्थिक अभिप्राय की परिशीलन और सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालय, सी.आई.सी. और अन्य न्यायनिर्णयक मंच के निर्णयों की गहन परीक्षा के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस पद का तत्वतः अभिप्राय ‘अधिकांश वित्त/वित्तपोषण नहीं निकलता। ‘सारभूत’ क्या है का न्यायनिर्णय मामला दर भानला आधार पर करना होगा और नियमनिष्ठ फार्मूला लागू करने के प्रयास के बजाए संदर्भ में देखना होगा।

6.30 यह भी आवश्यक नहीं है कि वित्तपोषण केवल प्रत्यक्ष अनुदान, वित्तपोषण आदि के रूप में हो जैसाकि अनेक मामलों में न्यायालयों और सी.आई.सी. द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, कि छूट/सहायिकी/रियायत, थोड़ी पट्टा रकम पर धन उपलब्ध कराना, वे सभी सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष वित्तपोषण की कौटि में आते हैं जो ऐसे आक्षेपित निकाय को ‘लोक प्राधिकारी’ ठहराते हैं।

यदि सरकार धन की काफी रकम (कर या अन्य उदाहरण के रूप में) को त्याग देती है जो अन्यथा राष्ट्रीय/राज्य राजकोष में जमा किया जाता और लोकधन गठित करता, तो यह सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष ‘सारभूत रूप से वित्तपोषण’ की अर्हता प्राप्त करता। और इसका यह अर्थ निकलता है कि ऐसा प्राप्त करने वाला निकाय/ईकाई ‘लोक प्राधिकारी’ होगी, यद्यपि, यह एक प्राइवेट, गैर-कानूनी या गैर-सरकारी निकाय हो, तद्द्वारा ऐसे निकाय को घिलफुल आरटी.आई. अधिनियम की परिधि के भीतर लाता है।

6.31 यहां यह उल्लेख करना त्रेयज्ञर है कि केंद्रीय और राज्य सरकार का आयोजनों के समय और अन्यथा भी नियमित रूप से वी.सी.सी.आई. द्वारा अपने अवसंरचना के उपयोग के लिए अनुशास दिया जाना ‘सारभूत रूप से वित्तपोषण’ के समान है। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे राजराज की रकम जो सरकार द्वारा अनुकूलतः ऐसी अवसंरचना को किसी तृतीय पक्षाकार को संदाय आधार पर उपलब्ध कराकर सुजित कर सकती, इस वित्तपोषण के रूप को विशिष्टराया ‘सारभूत’ बनाती है।

6.32 आगे, केंद्रीय और राज्य सरकारों ने विवक्षितः क्रिकेट के खेल में वी.सी.सी.आई. को एकाधिकार रखने की अनुमति देकर, कई अन्य स्रोतों से निधि उगाहने/संसाधन जुटाने के लिए वी.सी.सी.आई. को प्राधिकृत कर, निधियां और संसाधन जो अन्यथा राष्ट्रीय/राज्य राजकोष में जमा किए जाते, भी ‘सारभूत रूप से वित्तपोषण’ की कौटि में आता है।

6.33 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ये प्रारब्धान किया जा सकता है कि वी.सी.सी.आई. ने कई दशकों से वस्तुतः सरकार रो ‘सारभूत रूप से वित्तपोषण’ प्राप्त किया।

¹⁷¹ यह उपलब्ध है: <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/anjurag-thakur-former-himachal-cms-son-turned-hpca-into-a-company-after-benefiting-from-state-large-sesse/> (लेखों / 31431494.cms (अंजिंग शर 05-01-2018 को देखा गया)

¹⁷² देखें, अनुज्ञनका II.

अध्याय 7

निष्कर्ष और सिफारिशें

7.1 निर्वचन, आवद्धकारी पूर्व निर्णय, अनुग्रहकारी मूल्य रखने वाले निर्णय/विनिश्चय, अर्थान्वयन नियम और न्यायपिद् लेखों के विभिन्न उपकरणों की राहायता से तैयार इस रिपोर्ट के पूर्वगामी अध्यायों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वी.सी.सी.आई. को संविधान के अनुच्छेद 12 के अशोन्तर्गत 'राज्य' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। वी.सी.सी.आई. के कार्यकरण के विश्लेषण से भी यह दर्शित होता है कि सरकार का इसके क्रियाकलापों और कार्यकरण पर नियंत्रण है। जैसाकि जी ऐलीफिल्म द्वारे गान्धी गें यह तर्क दिया गया कि वी.सी.सी.आई. भारत की पिंडेशी नीति के अनुरूप होते हुए रंगपोद नीति के उनकी प्रथा के कारण साउश अफ्रीका के एक खिलाड़ी को मान्यता प्रदान नहीं पिल्ला और यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट खेल तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रांगबंदों को ध्यान में रखते हुए सरकारी अनुगोदन के अधीन थे। 'राज्य' के अंग के रूप में वी.सी.सी.आई. की पूर्वगामी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे 'राज्य' अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए।

7.2 पूर्वगामी अध्यायों में विस्तृत निर्णयज विधि भी 'नियंत्रण' की भूमिका पर प्रकाश दालते हैं कि सरकार से आरटीआई. अधिनियम की धारा 2(ज) के अधीन एक निकाय रखने की अपेक्षा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता जा सकता है कि ऐसा नियंत्रण महत्ता में काफी कठ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन अपेक्षित है। इस प्रकार अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' से कम स्तर का 'लोक प्राधिकारी' होने की भूमिका यह बहस मैदा करती है कि वी.सी.सी.आई. को आरटीआई. सत्ता के अधीन लाया जाना चाहिए।

7.3 तथापि, यदि वी.सी.सी.आई. को प्राइवेट निकाय के रूप में बने रहने दिया जाए किंतु इसके कृत्यों की लोक प्रकृति के साथ जुड़े इसके एकाधिकारवादी लक्षणों के कारण और सारगूत रूप से वित्तपोषण जो यह चर्चों से (कर छूट, भूमि अनुदान आदि के रूप में) समुचित सरकार से प्राप्त कर रही है, यह विद्यमान विधिक अवसरोंचना के भीतर लोक प्राधिकारी के रूप में समझी जाए और आरटीआई. अधिनियम की परिधि के भीतर लाया जाए।

7.4 उपरोक्त के अलावा, कठिपिण्ठ अन्य सुसंगत कारक हैं जिन पर आयोग की सिफारिशों के पूर्व विचार किया जाना चाहिए जो इस प्रकार हैं :

- भारतीय टीग के खिलाड़ियों (वी.सी.सी.आई. द्वारा यथा चयनित) की वर्दी में राष्ट्रीय रंग होता है और उनके हेल्पोर पर अशोक चक्र प्रदर्शित होता है।¹⁷³
- वी.सी.सी.आई. यद्यपि एनएसएफ नहीं है, अर्जुन अवार्ड आदि के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों का नामांकन करता है।¹⁷⁴
- संसद् और राज्य विधायिका ने क्रिकेट खेल को शासित करने के लिए विधान न अधिनियमित करने का चुनाव किया जिससे यह प्रतिविम्बित होता है कि वी.सी.सी.आई. को

¹⁷³ जी टेलीफिल्म कैसा, पृष्ठ 236.

¹⁷⁴ आईटी भारत 5 और 248.

दिए गए मुद्दों पर मौन मान्यता है।¹⁷⁵ हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्ट किया कि बी.सी.सी.आई. देश में क्रिकेट खेलों के आयोजन करने के लिए वर्तुल एकाधिकार रखने वाली राष्ट्रीय स्तर की 'अनुमोदित' निकाय है।¹⁷⁶

7.5 पूर्ववर्ती चर्चा के आलोक में, आयोग निम्नलिखित सिफारिश करता है :

(1) क्रिकेट खेल के विनियमन में एकाधिकारी के रूप में बी.सी.सी.आई. द्वारा निभाई गई भूमिका का विचार न किए जाने का परिणाम यह हुआ कि बोर्ड अपारदर्शिता और गैर जवाबदेही के बातावरण के प्रोत्ताहन से जनता की सावधान के राजार के अधीन आ गया। पूर्व में संभवतः आम जनता के मरिसेक में यह छाप पड़ी कि भ्रष्टाचार और अनाचार के अन्य रूपों ने भारत में खेले जाने वाले सर्वोचित विषयात् खेलों में से एक खेल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। बी.सी.सी.आई. संविधान के भाग 3 के अधीन प्रत्याभूत पण्धारियों के मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाली 'राज्य जैसी' शक्तियों का प्रयोग करता है। यह सिफारिश की जाती है कि बी.सी.सी.आई. को संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य के अभिकरण या परिकरण के रूप में माना जाए और तद्द्वारा इसे अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता के अधीन बनाया जाए।

(2) मानव अधिकार पवित्रतम है और मानव व्यक्तित्व से जन्मजात रूप से जुड़े हैं। ये अधिकार निरंतर विकसित हो रहे हैं और इनका सम्मान न केवल राज्य बल्कि प्राइवेट निकाय/ईकाइयों द्वारा भी किया जाता है और उनके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकता है। अतः, बी.सी.सी.आई. को सभी परिस्थितियों में पण्धारियों के आधार भूत मानव अधिकारों के किसी अतिक्रमण में के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

(3) बी.सी.सी.आई. वर्तुल: राष्ट्रीय खेल फेडरेशन (एनएसएफ) के रूप में कार्य करता है। इसके अपने संगम ज्ञापन में यह उल्लेख है कि बोर्ड का उद्देश्य और प्रयोजन भारत में क्रिकेट खेल का नियंत्रण करना, गुणता में सुधार करना, नीतियां अधिकथित करना और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीम का चयन करना है। तथापि, लोकसभा में किए गए कथन के अनुसार, केंद्रीय सरकार पहले ही बी.सी.सी.आई. को राष्ट्रीय खेल फेडरेशन मान रही है, अतः, यह सिफारिश की जाती है कि किसी शंका को दूर करने के लिए, मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध एनएसएफ की सूची में इसका स्पष्टतः उल्लेख किया जाए। यह व्यक्त उल्लेख स्वतः बी.सी.सी.आई. को आर.टी.आई. अधिनियम की परिधि के भीतर लाएगा। युवा और खेल मंत्रालय की अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017¹⁷⁷ में एनएसएफ के रूप में सूचीबद्ध अन्य खेल निकायों को आर.टी.आई. अधिनियम के उपर्यंघ लागू होते हैं। इस वेबसाइट में विनिर्दिष्ट एनएसएफ को संबोधित आर.टी.आई. अनुरोध करने के संबंध में सूचना (मुख्य लोक सूचना अधिकारी), सी.पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारी

¹⁷⁵ आईटी पैरा 242.

¹⁷⁶ देखें, भारतीय लैप VI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एड ऑर; 2017 (9) एसटीएल 400.

¹⁷⁷ यहाँ उपलब्ध है: https://yas.nic.in/sites/default/files/English_Annual%20Report_2016-17-min.pdf (प्रिली बार 13/02/2018 को देखा गया)। यह भी देखें, सुप्रा नोट 160, अनुलग्नक II.

का ताल्लेख है।¹⁷⁶

एप्पोक्त तथ्यों के आलोक में, जूँकि अन्य सभी सेल निकाय जो एनएसएफ के रूप में रहतीनह हैं, आरटीआई, अधिनियम के अधीन आते हैं, इसलिए, यह कल्पनासीत है कि वी.सी.सी.आई. करों एक अग्रवाद रखे।

(५) इसके अधिरित, रिपब्लिक नी जाती है कि आरटीआई, अधिनियम को वी.सी.सी.आई. को इसके साथी सदस्य प्रिन्टेट ऐसोसिएशन रॉपटक के साथ लागू बनाया जाए, वश्ते ये इस रिपोर्ट में यथाविवरित वी.सी.सी.आई. को लागू मानदंड को पूरा करते हों।

आयोग तदनुसार रिपब्लिक करता है।

₹०/-
(न्यायमूर्ति वी.एस.चौहान)

अव्याधि

₹०/-
(न्यायमूर्ति रवि आर. त्रिपाठी)
सदस्य

₹०/-
(सुरेश चंद्र)
सदस्य (पदेन)

₹०/-
(प्रो. (डा.) एस. शिव कुमार)
सदस्य

₹०/-
(डा. संजय रिहू)
सदस्य-सचिव

₹०/-
(डा. जी. नारायण राजु)
सदस्य (पदेन)

¹⁷⁶ यह जपलवा: <https://yas.nic.in/sites/default/files/File907.pdf> (मिस्टरी गर 13-02-2018 को जेता गया); यह जी नेहे, युआ नं ८०, अनुसन्धान II,

मामलों की सूची

घरेलू मामले

1.	ए.सी. मुथैया बनाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और अन्य, (2011) 6 एससीसी 617. [सर्वोच्च न्यायालय]
2.	एयर इंडिया वैधानिक निगम और अन्य बनाम संयुक्त श्रम संघ और अन्य, (1997) 9 एससीसी 377. [सर्वोच्च न्यायालय]
3.	अजय हसीया बनाम खालिद गुजीव सहवरादी, एआईआर 1981 एससी 487 [सर्वोच्च न्यायालय]
4.	अजय जडेजा बनाम भारत संघ और अन्य, (2002) 95 डीएलटी 14 [दिल्ली उच्च न्यायालय]
5.	एंडी मुक्ता सदगुरु श्री मुक्ता जीवनदास स्वामी रुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक दूरस बनाम वी.आर. रुदानी, एआईआर 1989 एससी 1607. [सर्वोच्च न्यायालय]
6.	बंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा, एआईआर 1978 एससी 548 [सर्वोच्च न्यायालय]
7.	बेनेट कोलमन एंड कं बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1973 एससी 106. [सर्वोच्च न्यायालय]
8.	भारत कारपोरेशन बैंक (मुंबई) लिमिटेड बनाम कारपोरेशन बैंक कर्मचारी संघ, (2007) 4 एससीसी 685. [सर्वोच्च न्यायालय]
9.	बिन्नी लिमिटेड बनाम वी. सदाशिवन, (2005) 6 एससीसी 657. [सर्वोच्च न्यायालय]
10.	क्रिकेट के लिए कंट्रोल बोर्ड बनाम क्रिकेट एसोसिएशन आफ बिहार और अन्य (2015) 3 एससीसी 251. [सर्वोच्च न्यायालय]
11.	बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, इंडिया और अन्य बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब और अन्य, एआईआर 2005 एससी 592. [सर्वोच्च न्यायालय]
12.	सी.आई.टी. ए.पी. बनाम ताजमहल होटल, एआईआर 1972 एससी 168; [सर्वोच्च न्यायालय]
13.	धंदर गोहन खन्ना बनाम राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषद अनुसंधान और प्रशिक्षण, एआईआर 1992 एससी 76. [सर्वोच्च न्यायालय]
14.	सीआईटी बनाम देशिया विद्यालय समिति शिमोगा, आईटीए संख्या 2008 का 1133 तारीख 2.8.2011 [कर्नाटक उच्च न्यायालय]
15.	सीआईटी बनाम भारतीय इबंधन संस्थान, 2014 एससीसी (2014) 226 टैक्समन 301 (कार) [कर्नाटक उच्च न्यायालय]
16.	सीआईटी बनाम परली प्लास्टिक्स लिमिटेड, 322 आईटीआर 63 (योम.) [बॉन्डे उच्च न्यायालय]

17.	प्रवंधन समिति, आज्ञाद मेमोरियल पूर्वा मार्गारिक विद्यालय, कोलीरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2008 (एनओसी) 2641 (सर्वी.) [इलाहाबाद उच्च न्यायालय]
18.	दरवारी बनाम पीआईओ, विलिंगटन जिमखाना क्लब, सी आईसी / एसएच / ए / 2014 / 0006.84 [केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 04.12.2017 को निर्णय लिया]
19.	प्रवंधक के माध्यम से धारा सिंह गल्स हाई स्कूल, वीरेंद्र औरंग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, ए.आई.आर 2008 सर्वी 92. [इलाहाबाद उच्च न्यायालय]
20.	दिनेश त्रिवेदी, एमपी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (1997) 4 एससीसी 306. [सर्वोच्च न्यायालय]
21.	फैडरल वैक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस, ए.आई.आर 2003 एससी 4325 [सर्वोच्च न्यायालय]
22.	जी धासी रेडी बनाम अंतर्राष्ट्रीय फराल अनुसंधान संस्थान, ए.आई.आर. 2003 एससी 1764. [सर्वोच्च न्यायालय]
23.	गहाप्रदेशक, किसान राहकारी चिनी मिल्स लिमिटेड, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश बनाम सतरुगान निधान, (2003) 8 एससीसी 639 [सर्वोच्च न्यायालय]
24.	राजस्थान बनाम न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय बनाम रमेश चंद पालीवाल, ए.आई.आर 1998 एससी 1079. [सर्वोच्च न्यायालय]
25.	इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनाम वीरिश मलिक एंड ऑर, आईएलआर (2010) 4 डेल 1. [दिल्ली उच्च न्यायालय]
26.	भारतीय रेलवे कल्याण रामगढ़न बनाम डीएम गीतम, (2010) 16 9 डीएलटी 508. [दिल्ली उच्च न्यायालय]
27.	जिजा घोष और एन.आर. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य ए.आई.आर 2016 एससी 2393. [सर्वोच्च न्यायालय]
28.	के. शमनाशन बनाम तामिलनाडु राज्य, ए.आई.आर 1985 एससी 660. [सर्वोच्च न्यायालय]
29.	कृष्ण भारती सहकारी लिमिटेड बनाम रमेश चंद्र दावा, (2010) 118 डीआरजे 176. [दिल्ली उच्च न्यायालय]
30.	एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, एयर 1995 एससी 1811. [सर्वोच्च न्यायालय]
31.	एमपी, दग्गीस बनाम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, ए.आई.आर 2007 केर 230. [केरल उच्च न्यायालय]
32.	मदन मोहन लौधरी बनाम विहार राज्य, (1999) 3 एससीसी 396. [सर्वोच्च न्यायालय]
33.	मोहिदर अग्रसनाथ एंड ऑआरएस, बनाम वीसीसीआई, रीडल्यू.एनओ 632/89। [23.08.1989 को तय किया गया, दिल्ली उच्च न्यायालय]

34.	मदर डेयरी फलो और सब्जी प्राइवेट लिमिटेड बनाम हैटिम अली और अन्य, एआईआर 2015 दिल्ली 132 [दिल्ली उच्च न्यायालय]।
35.	गुनीश कुमार सेठ बनाम लोक सूचना अधिकारी, 2012 (3) आरसीआर (सिविल) 660. [पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग]।
36.	एन.डी.पी. नन्दुदरीपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2007) 4 एससीसी 502. [सर्वोच्च न्यायालय]।
37.	नगर युवक शिक्षा संस्थान बनाम महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग, एआईआर 2010 बोम. 1. [बॉम्बे उच्च न्यायालय]।
38.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सेंट्रल सूचना आयोग और संगठन, (2010) 100 एससीएल 464 (हेल) [दिल्ली उच्च न्यायालय]।
39.	पी. कासिलिंगम बनाम पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, एआईआर 1995 एससी 1395। [सर्वोच्च न्यायालय]।
40.	पंजाबराव देशमुख शहरी लहकारी बैंक लिमिटेड (डॉ) बनाम राज्य सूचना आयुक्त, विदर्भ कोत्र, नागपुर, एआईआर 200 बोग. 75. [बॉम्बे उच्च न्यायालय]।
41.	पीपुल्स यूनियन फॉर सिपिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) और एनआर. बनान संघ भारत, एआईआर 2003 एससी 2363. [सर्वोच्च न्यायालय]।
42.	पीपुल्स यूनियन फॉर सिपिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) और एनआर. बनाम संघ भारत, एआईआर 2004 एससी 1442. [सर्वोच्च न्यायालय]।
43.	पांडेस इंडिया लिमिटेड बनाम व्यापार कर के आयुक्त, 2008 (8) एससीसी 369. [सर्वोच्च न्यायालय]।
44.	जनसंख्या सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय बनाय राजेश धीमन, डब्ल्यूपी (री) 3422/2012। [16.09.2013 को फैसला किया, दिल्ली उच्च न्यायालय]।
45.	प्रदीप कुमार विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल जीविज्ञान, (2002) 5 एससीसी 111. [सर्वोच्च न्यायालय]।
46.	प्रगा दूल्स कॉर्पोरेशन बनाम सी.वी. इमानुअल, एआईआर 1969 एससी 1306। [सर्वोच्च न्यायालय]।
47.	प्रसार भारती बनाम अमरजीत सिंह, (2007) 9 एससीसी 539. [सर्वोच्च न्यायालय]।
48.	प्रिसिवल, एगडी रानातन घर्म गल्स कॉलेज, अंबाला सिटी और एक अन्य बनाम राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा और एनआर. एआईआर 2008 पी एड एच 101. [पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय]।
49.	आर.के. जैन एंड ओर्स बनाम इंडियन बैंक एरोसिएशन (एलबीए), शिकायत संख्या सीआईसी / एमपी / री / 2015/000044 और सीआईसी / एसएच / ली / 2016 / 000,123. [13.11.2017 को फैसला किया, केंद्रीय सूचना आयोग]।

50.	चाहुल मेहरा और एनआर. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2004) 78 लीआरजे 155 (दीबी), [दिल्ली उच्च न्यायालय]।
51.	राजस्थान राज्य विजली बोर्ड, जयपुर बनाम मोहन लाल, एआईआर 1967 एससी 1857, [सर्वोच्च न्यायालय]।
52.	सुभाष दयाशम शेठी बनाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे प्राधिकरण भारत, एआईआर 1979 एससी 1628, [सर्वोच्च न्यायालय]।
53.	पीएफएक्स के क्षेत्रीय निदेशक बनाम हाई लैंड कॉफी बकरी, सालदाह, 1991 (3) एससीसी 617, [सर्वोच्च न्यायालय]।
54.	रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम भारतीय के मालिक एक्सप्रेस, एआईआर 1989 एससी 190, [सर्वोच्च न्यायालय]।
55.	एसपी गुप्ता बनाम भारतीय संघ, एआईआर 1982 एससी 149, [सर्वोच्च न्यायालय]।
56.	सचिवीत तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1975 एससी 1329, [सर्वोच्च न्यायालय]।
57.	सचिव, राज्य एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और ओआरएस. बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और अन्य, एआईआर 1995 एससी 1236, [सर्वोच्च न्यायालय]।
58.	श्री सुरिदर शिंह वर्सी बनाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन भारत (बीसीसीआई), केस संख्या 6/2010, [08.02.2013 को हय किया गया, भारत का प्रतिरक्षित आयोग]।
59.	शिखा शिंह बनाम ट्यूबरकुलोरिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फाइल नंबर: सीआईसी / एली / सी / 2010/001271 [29.1.2011 को निर्णय लिया, केंद्रीय सूचना आयोग]
60.	श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल और श्री अनिल दैरवाल बनाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस / अखिल भारतीय कांग्रेस कनेटी और अन्य, 2013 (3) आरसीआर (सिविल) 400, [केंद्रीय सूचना आयोग]।
61.	सोम प्रकाश रेखा बनाम भारतीय संघ, एआईआर 1981 एससी 212, [सर्वोच्च न्यायालय]।
62.	दक्षिण गुजरात छत टाइलें एसोसिएशन बनाम बनाती है। गुजरात राज्य, (1977) एससी 90, [सर्वोच्च न्यायालय]।
63.	उत्तर प्रदेश राज्य राज नारायण और ओआरएस, एआईआर 1975 एससी 865, [सर्वोच्च न्यायालय]।
64.	पश्चिम बंगाल बनाम नृपेन्द्र नाथ याग्दी, एआईआर 1966 एससी 447, [सर्वोच्च न्यायालय]।
65.	सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम पीआईओ, खेल विभाग,

	सीआईसी/रास/सी/2012/000,565. [16.06.2017 को निर्णय लिया, केन्द्रीय सूचना आयोग]।
66.	सुखदेव सिंह बनाम भगतम सरदार सिंह रघुवंशी, एप्र 1975 एससी 1331. [सर्वोच्च न्यायालय]।
67.	तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम तमिलनाडु सूचना आयोग, (2008) 6 मैड एलजे 737. [मद्रास उच्च न्यायालय]।
68.	थालम्लमम सेवा कारपोरेशन बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, 2014 (1) ऑलरनआर 451; (2013) 16 एससीसी 82. [सर्वोच्च न्यायालय]।
69.	हिंदू शहरी राहगारी बैंक लिमिटेड बनाम राज्य सूचना आयोग और संगठन, (2011) 2 पी एंड एच 84. [पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय]
70.	भारत संघ और बनाम बोर्ड ऑफ लंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और अन्य 2017 (9) रकेल 400 [सर्वोच्च न्यायालय]।
71.	विश्वेष्वरा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बनाम सहायक आयकर आयुक्त, (2016) 12 एससीसी 258. [सर्वोच्च न्यायालय]।
72.	बोगिनाथ डी बागदे बनाम नहाराड़ राज्य, (1999) 7 एससीसी 739. [सर्वोच्च न्यायालय]।
73.	जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 2005 एससी 2677; (2005) 4 एससीसी 64 9. [सर्वोच्च न्यायालय]।

विदेशी मामले

1.	अब्देलहगिद बेनहादज और अली बेनहाज बनाम अल्जीरिया, यूएन डाक, सीसीपीआर/ सी/90/ठी/1173/2003. [मानवाधिकार समिति]।
2.	बिलराले पैराचियल चर्च के साथ एस्टन बैन्टलो और विल्मकोटे कार्तसिल बनाम वालवैंक, [2003] यूकेएचएल 37. [लॉर्ड्स हाउस]।
3.	बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स बनाम राष्ट्रमंडल, (1948) 76 सीएलआर 1. [ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय]।
4.	चिराग बनाम ट्रांसनेट लिमिटेड और अन्य, [2007] जेएसीसी 23. [दक्षिण अफ्रीका का उच्च न्यायालय, पूर्वी केप स्थानीय प्रभाग, अटेंटा]।
5.	कॉरटेलो-रोवटर्स बनाम यूनाइटेड किंगडम, 247-सी ग्रूप, सीटी, एचआर (सर. ए) (1993). [मानव अधिकार का यूरोपीय न्यायालय]।
6.	फिनिगन बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय फुटबॉल यूनियन इंक, [1985] 2 एनजेडएलआर 15 9. [अपील न्यायालय न्यूजीलैंड]।

7.	फ्रांज नहलिक वनाम ऑस्ट्रिया, संवार संख्या 608/1995, यूएन डॉक, सीसीपीआर / सी/57/डी/608/1995 (1996). [मानव अधिकार समिति]।
8.	गफ वनाम गफ, (1891) 2 क्यूबी 665. [कीन बेंच]।
9.	पाल्सर वनाम ग्रिम्लिंग, (1948) 1 राम्भी ईआर 1, 11 (एचएल). [हाऊस आफ लॉडर्स]।
10.	पोप्लर हाउसिंग एंड शीजनरेशन कम्पनी एसोसिएशन लिमिटेड वनाम डोनोग, [2002] क्यू.वी. 48. [कियन बेंच]।
11.	स्टोर्क वनाम जर्मनी, 2005-वी यूरो, सीटी, एचआर [मानव अधिकार का यूरोपीय न्यायालय]।
12.	सिचेव वनाम यूक्रेन, ऐप, संख्या 473/02 (2005) (अप्रतिबंधित)। [मानव अधिकार का यूरोपीय न्यायालय]।
13.	ताई हुन पार्क वनाम कोरिया गणराज्य, यूएन डॉक, सीसीपीआर/सी/64/डी/628/1995. [मानवाधिकार समिति]।
14.	विलियम एडुआडो डेलगाडो पेज वनाम कोलंबिया, यू एन डॉक, सीसीपीआर/सी/39/डी/195/1985 (1990). [मानवाधिकार समिति]।
15.	बोज वनाम पोर्टल, 2005 -IV यूरो, सीटी, एचआर [मानव अधिकार का यूरोपीय न्यायालय]।

संक्षेपाक्षरों की सूची

1. ए.पी.	- अधिक प्रदेश
2. ए.आई.सी.सी.	- अखिल भारतीय कॉमेट्स कमेटी
3. ए.आई.आर	- आल इंडिया रिपोर्टर
4. आल.	- इलाहाबाद
5. एएनआर	- एक अन्य
6. वी.सी.सी.आई.	- भारतीय फ़िल्मेट कंट्रोल बोर्ड
7. वी.जे.पी.	- भारतीय जनता पार्टी
8. चौग.	- बन्धे
9. वी.एस.पी.	- बहुधन समाजवादी पार्टी
10. ती.ए.आर.	- नागर विनानन अपेक्षा
11. सी.टी.आई.	- केंद्रीय अवैधता व्यूसे
12. सी.आई.सी.	- केंद्रीय सूचना आयोग
13. सी.आई.टी.	- आयकर आयुक्ति
14. योग.	- सहकारी
15. सी.पी.आई.	- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
16. सी.पी.आई.(दम	- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
17. सी.टी.	- न्यायालय
18. डेल.	- मिल्ली
19. सी.जी.सी.ए.	- नागर विनानन महानिवेशालय
20. डॉक.	- दस्तावेज़
21. ईरीएचआर.	- यूरोपियन मानव अधिकार न्यायालय
22. ईसीओएसओसी.	- आर्थिक ठौर राजनीकी एशियन
23. ईडीएन.	- संस्करण
24. ईयूआर.	- यूरोपियन
25. एफडीआई.	- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
26. एफआईएफए.	- अंतरराष्ट्रीय फुटबाल कंफ्रेशन एसोसिएशन
27. एफओआई.	- रूबना रवतंत्रता
28. जोडीपी.	- कुल घरेलू उत्पाद
29. एचसी.	- उच्च न्यायालय
30. एघएल.	- हाऊस ऑफ लार्ड्स

31. एचआर. - मानव अधिकार
32. आईटीए. - भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन
33. आईबीआईडी. - हब्रेव (वर्तमान प्रादृष्टिक ले शीघ्र पूर्ववर्ती प्रादृष्टिक में नज़ीर को निर्विष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और उही पृष्ठ/स्थान निर्विष्ट किया जा रहा है)
34. आईसीसी. - अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
35. आईसीसीपीआर. - अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रशंसिता
36. आईडी. - नहीं (का प्रयोग किया जाता है यदि नहीं वही है किन्तु निर्देश का पृष्ठ या स्थान बिना है)
37. आईएफसी. - औद्योगिक वित्त निगम
38. आईएचआरटी. - मानव अधिकार और कारबाहर संरक्षण
39. आईएमएफ. - अंतर्राष्ट्रीय नुक्रा कोष
40. आईएनसी. - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
41. आईएनआर. - भारतीय रववा
42. जोआरएनएल. - जनल
43. कोईआर. - केचल
44. एल. रेव. - ला रिलू
45. एलआईसी. - जीवन बीना निगम
46. एलजे. - ला जनल
47. एग.टी. - संसद् संवाद
48. एगरडी. - गद्वारा
49. एनसीपी. - राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
50. एनसीआरडब्ल्यूसी. - संविधान के लाईकरण के मुनीक्षण का राष्ट्रीय आयोग
51. एनजीओ. - गैर-सरकारी संगठन
52. एनएचआरसी. - राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
53. एनएरएफ. - राष्ट्रीय खेल केंद्रेशन
54. ओएवसीएचआर. - मानव अधिकार उच्च आयुक्त का कार्यालय
55. ओएनजीरी. - रेल और प्राकृति गैस आयोग
56. ओआरएस. - अन्य
57. पी एंड एच - पंजाब और हरियाणा
58. पीआईओ. - लोक सूचना अधिकारी
59. पीपीपी. - पर्लिक प्राइवेट भारीदारी
60. पीयूसीएल. - पीयूल्स युनियन कार सिविल लिबरीज

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 61. | व्यू बी. | - क्लीन बैच |
| 62. | आरटीआई. | - सूखना कर अधिकारी |
| 63. | एसबीआई. | - भारतीय स्टेट बैंक |
| 64. | एससी. | - उच्चतम न्यायालय |
| 65. | एससीरी | - रुपीम कोटे बैंकोरा |
| 66. | एसडीची. | - पोषणीय विलास लद्द |
| 67. | सुपर. | - पूर्ण पाद टिप्पण को निर्दिष्ट लक्ष्य के लिए प्रयुक्त |
| 68. | यूडीएचआर. | - राज्यभौमिक मानव अधिकार घोषणा |
| 69. | यू.के. | - युनाइटेड फिनलूम |
| 70. | यू.एन. | - संयुक्त चाष्ट्र |
| 71. | यूएनईएसरीएपी. | - एशिया और पैसिफिक में संयुक्त चाष्ट्र आर्थि और सामाजिक आयोग |
| 72. | यूएनएनसीआर. | - संयुक्त चाष्ट्र मानव अधिकार समिति |
| 73. | यूपीए. | - युनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाइंस |
| 74. | यी. | - बनाम |

1. बी.सी.सी.आई. का संगम ज्ञापन

1. एसोसिएशन का नाम 'भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड' है और इसके पश्चात् इसे 'बी.सी.सी.आई.' निर्दिष्ट किया जाएगा।

2. बी.सी.सी.आई. के उद्देश्य और प्रयोजन इस प्रकार है :

(क) भारत में क्रिकेट खेल की गुणता और मानदंड का नियंत्रण करना और सुधार करना, नीतियाँ, रोडमैप, और मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकारित करना और क्रिकेट खेल से संबंधित सभी मामलों में नियम और विनियम बनाना (और रांशोधन या परिवर्तन करना) (बल दिया गया), यह मानवता प्रदान करते हुए कि प्राथमिक पण्डारी भारत में खिलाड़ी और क्रिकेट प्रेमी हैं और यह कि जवाबदेही, पादर्शिता और खेल की प्रतिष्ठा गुरुत्व मूल्य है;

(ख) क्रिकेट खेल के संदर्भ में अनौठिक और अनुचित व्यवहारों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करना ; और उस प्रयोजन के लिए कोचिंग स्कीम आयोजित करना, कोचिंग एकेडमी स्थापित करना, दूनामेट आयोजित करना, खेल प्रदर्शित करना, टेस्ट मैच, ओलीआई, 20-20 और कोई अन्य मैच प्रदर्शित करना और सभी अन्य आवश्यक उपाय करना ;

(ग) क्रिकेट खेल और इसके सुशासन और प्रशासन में खोल भायना और व्यवसायीय का प्रयास करना ; खिलाड़ियों, टीम कर्मचारियों, अम्पायरों और प्रशासकों में पारदर्शित और नैतिक मानदंड भरना ; और डोपिंग, आयु कपट, लैंगिक प्रपीडण और असमानता और टिनेद के सभी अन्य रूपों पर रोक लगाना ;

(घ) राज्य, क्षेत्रीय या अन्य क्रिकेट एसोसिएशनों की विवरना और अंतर राज्य और अन्य दूनामेटों के आयोजनों को प्रोत्साहित करना ; मानवता प्रदान करने के लिए ऐसे मानक अधिकारित करना जो सदस्य एसोसिएशनों के अवसंरचना, कार्यकरण और प्रक्रिया में एकत्रिता प्राप्त करते हैं ;

(ङ) व्यवस्था बनाना, नियंत्रण करना, विनियमित करना और यह आवश्यक हो, ऐसी दीमों के दौरों के लिए वित्त प्रदान करना जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् या अन्यत्र कहीं दौरा करने वाले देशों में क्रिकेट शासी निकाय के संयोजन में सदस्य हैं (बल दिया गया) ;

(छ) टेस्ट मैच, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच, 20-20 मैच और भारत या विदेश में किसी अन्य रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीम का चयन करना, जैसा

समय-समय पर वी.सी.सी.आई. द्वारा विनिश्चय किया जाए (बल दिया गया) य

(ज) विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्रों और अन्य में क्रिकेट की खेल भावना और क्रिकेट खेल को आदर्शों का पोषण करना और इसके बारे में उन्हें शिखित करना ।

(झ) अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् में और क्रिकेट खेल से जुड़े सम्मलिंगों और सेमिनारों में भी भारत का प्रतिनिधि नियुक्त करना ;

(ञ) भारतीय टीम के लिए प्रबंधक और/या अन्य टीम कर्मचारियों की नियुक्ति करना ;

(ट) सी.ई.ओ., वृत्तिक प्रबंधक, संपरीक्षक, कार्यपालक सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक सचिव, प्रबंधक, लिपिक, टीम सहायक कर्मचारी, खिलाड़ी और अन्य सेवा कार्मिक कर्मचारी को नियोजित करना और नियुक्त करना ; और वेतन, मजदूरी, ग्रेचुटी, पेशन, मानदेय, अनुदान संदाय, और/या भविष्य निधि के माध्यम से उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पारितोषिक प्रदान करना और ऐसे कर्मचारियों/कार्मिकों को हटाना या बर्खास्त करना ;

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि क्रिकेट मैदानों के टीकट युक्तियुक्त दर पर जनता के सदस्यों को मैदान के पहले अग्रिम रूप से व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और अनुग्रह के रूप में इसके वितरण को रोकना और छात्रों को अनुदान या नाममात्र दर पर रीट उपलब्ध कराना ;

(ड) क्रिकेट मैदान की रूप रेखा तैयार करना और सदस्यों, खिलाड़ियों और महिलाओं और दिव्यांगों सहित खेल प्रेमियों को सुविधा और कायदा पहुंचाने के लिए पब्लियन, कैटीन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट गियर और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना ;

(इ) वी.सी.सी.आई. के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर समितियां गठित करना और अपने कृत्यों और कर्तव्यों को ऐसी समितियों को समीक्षा या प्रत्यायोजित करना ;

(ए) वी.सी.सी.आई. के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त न्यासियों में वी.सी.सी.आई. की स्थावर संपत्ति और निधि विहित करना ;

(त) वी.सी.सी.आई. की सभी या किसी संपत्ति को बेचना, प्रबंध करना, बंधक रखना, पट्टे पर रखना, विनिमय या व्ययन या अन्यथा लेन-देन करना ;

(थ) वी.सी.सी.आई. के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के लिए स्थावर और जंगम संपत्ति और आस्ति-मूर्त और अगूर्त अर्जित करना या क्रय करना और उससे पूँजी और आय तथा विक्रय या अंतरण के आगम का उपयोग करना ;

(द) निधि एकत्र करना और जहां कहीं आवश्यक हो प्रतिभू सहित या रहित उधार लेना और किसी प्रतिभूति का क्रय करना, उन्मोचन करना या भुगतान करना ;

(d) कोई अन्य क्रियाकलाप करना, जो बी.सी.सी.आई. द्वारा उपरोक्त के संबंध में शुभिधापूर्वक लियान्वित किए जाने के लिए राष्ट्रम् प्रतीत होता है या नूल्य बढ़ाने के लिए प्रत्याहातः या अप्रत्याहातः बी.सी.सी.आई. के किन्हीं संपत्ति, आस्ति और अधिकारों से लाभ योग्य बनाना या बेहतर आय/राजस्व सुजित करना ;

(n) निम्नलिखित द्वारा खिलाड़ियों का संबंधन, संरक्षण और सहायता प्रदान करना जो खेल के प्राथमिक अभिकर्ता हैं :

(i) बी.सी.सी.आई. द्वारा वित्तोषण कर खिलाड़ियों के रागम् का सृजन करना;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर तैयार किए जाने के पूर्व खिलाड़ियों के प्रति संबोधनशील होना जिससे कि विश्वाम और पुनः प्राप्ति के लिए पर्याप्त समय मिल सके ;

(iii) विशेषकर लंबे दौरों के लिए उपाय करना जिससे कि खिलाड़ियों के भावनात्मक हित और कुटुम्ब बंधन बज़ूत रहें ;

(iv) टीम सहायक स्टाफ में आहंक फिजियोथेरेपिस्ट, मानसिक दशा कोच/सलाहकार और पोषणविद् अनिवार्य रूप से होने चाहिए ;

(v) लाजिस्टिक और प्रवंध पक्ष से एकल बिंदु रांपर्ल होना चाहिए जिससे कि खिलाड़ी पूर्णतः खेल पर केंद्रित कर सकें ;

(vi) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्यक् अहित अभिकर्ताओं को रजिस्टर किया जाना चाहिए जिससे कि खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व में पर्यवेक्षण और पारदर्शिता हो ;

(vii) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने पर अंतर्राष्ट्रीय मानक का समुचित पारितोषिक प्रदान किया जाए और हनेशा यह बाद रखा जाए कि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की कलब या प्रॉफेशनल पर पूर्विकता हो ;

(p) ऐसी रकम को निम्नलिखित के लिए अनुदान/दान देना :

(i) ऐसे कारणों के लिए जो क्रिकेट खेल के संबंधन के लिए बी.सी.सी.आई. द्वारा ठीक रामङ्गा जाए ;

(ii) परोपकारी निधि रकीन या अन्य कायदा रकीम लागू कर खिलाड़ियों या उनके पति-पत्नियों और बच्चों को फायदा पहुंचाना जैसा बी.सी.सी.आई. अपने निवार्गों और विनियमों के अधीन ठीक समझे ;

(iii) किसी अन्य लाभितरी को कायदा, जिन्होने क्रिकेट की सेवा की है या उनके पति-पत्नी और बच्चों को भी जैसा बी.सी.सी.आई. ठीक समझे ;

(iv) व्यवितरण कौशल के विकास के लिए क्रिकेट से गिन खेलों के खिलाड़ियों को पारितोषिक प्रदान करना ; और

(v) किरी पूर्ति हेतु के लिए दान देना ;

(फ) क्रिकेट खिलाड़ियों या ऐसे व्यक्तियों या स्टेज गैच के फायदों के लिए निधि आरंभ करना या प्रायोजित करना और/या अगिदाय करना, जिन्होंने क्रिकेट खेल में रोवाएं प्रदान की हैं या उनके परिवारों के लिए, या खेल के संवर्धन या विकास के लिए दान देना और पब्लिक पूर्ति और राहत निधियों की सहायता के लिए गैच आयोजित करना ;

(ब) क्रिकेट के माध्यम से शरीरिक शिक्षा प्रदान करना ;

(ग) बी.सी.सी.आई. के संबंध में सदस्यों और संस्थाओं और उनके धीर क्रियाकलापों का समन्वय करना ;

(म) सभी खिलाड़ियों के उनके खेल आंकड़ों के साथ केंद्रीय भंडार और डाटायेस सृजित करना और बनाए रखना ;

(य) व्यावरायिकता की स्कीम लागू करना और इसके क्रियान्वयन के लिए ;

(कक) खिलाड़ियों, सहायक कार्मिकों और क्रिकेट से जुड़े अन्य ईकाइयों को निष्पक्ष और पारदर्शी शिकायत प्रतितोष तंत्र उपलब्ध कराना ;

(खख) सामान्यतः ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना जो बी.सी.सी.आई. को, बी.सी.सी.आई. के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए सुविधाजनक और/या तर्कसंगत प्रतीत हो ।

3. तथापि, बी.सी.सी.आई. द्वारा अर्जित आय, निधि और संपत्ति का उपयोग और प्रयोग जैसा विचारित या अन्यथा सहायता और सहायिकी के लिए उपरोक्त वर्णित है, संपूर्ण भारत में क्रिकेट या किसी अन्य खेल के संवर्धन, प्रोत्साहन, अग्रसरण और विकास तथा सामान्यतः सहायता के लिए एकमात्र बी.सी.सी.आई. के उद्देश्यों के संवर्धन के लिए किया जाएगा ।

4. बी.सी.सी.आई. का तब तक विघटन नहीं किया जाएगा जब तक विघटन उपरिथित और मत देने के हकदार सदस्यों के तीन चौथाई वहमत द्वारा प्रयोजन के लिए बुलाई गई बी.सी.सी.आई. के आम बैठक में पारित संकल्प द्वारा विनिश्चित नहीं किया जाता । ऐसी बैठक की गणपूर्ति ऐसे सदस्यों की दो तिहाई होगी जिन्हें मत देने का अधिकार होगा । बी.सी.सी.आई. के विघटन की दशा में यदि सभी त्रैण और दायित्वों के समाधान के पश्चात् किसी प्रकार की कोई संपत्ति शेष रह जाएगी तो यह बी.सी.सी.आई. के समरूप उद्देश्य रखने वाले और लाभ के लिए न चलने वाली किसी अन्य संस्था या संस्थान को दी जाएगी या अंतरित की जाएगी ।

लोकसभा में अतारंकित प्रश्न सं. 2097 पर माननीय युवा और खेल राज्य मंत्री का उत्तर

27.3.2012 को उत्तरित अतारंकित सं. 2097

आर.टी.आई. के अधीन खेल फेडरेशन

सीमा उपाध्याय, सुशीला रारोज़, उषा वर्मा, ओमप्रकाश यादव, महेश्वर हजारी - क्या युवा और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) सहित विभिन्न खेल एसोसिएशनों/फेडरेशनों को सूचना का अधिकार अधिनियम की परिधि के भीतर लाने का प्रस्ताव करती है जिससे कि उनके कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके बारे बताएं और उस पर इन फेडरेशनों और बी.सी.सी.आई. के जवाब बताएं ;

(ग) इस बावत आब तक सरकार द्वारा की गई प्रगति ;

(घ) क्या बी.सी.सी.आई. आयकर सीमा-शुल्क आदि की विभिन्न रियायत और स्टेडियम के लिए रियायत दर पर भूमि प्राप्त करता है ; और

(ङ) यदि हाँ, पिछले तीन वर्षों और लागू वर्ष के दौरान इसके बारे दें ?

उत्तर

युवा और खेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभारी) (श्री अजय माथन)

(क) से (ग) बी.सी.सी.आई. सहित राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर.टी.आई.) की परिधि के भीतर लाने की आवश्यकता की आवाज समय-समय पर उठाई जाती रही है। तदनुसार सरकार ने अप्रैल, 2010 में दस लाख रुपया या अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले सभी एनएसएफ को आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) के अधीन लोक प्राधिकारी घोषित किया गया। राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों को लोक प्राधिकारी मानते हुए, विशेषकर देश में राष्ट्रीय टीम के चयन और खेल के नियंत्रण और विनियम का उनके द्वारा किए जाने वाले राज्य जैसे कृत्य को ध्यान में रखते हुए, मुख्य न्यायालय विनिर्णय हैं जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भी अधीन लाते हैं। उपरोक्त के अलावा, सरकार ने बी.सी.सी.आई. सहित राष्ट्रीय खेल को प्रस्तावित प्रारूप राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक में खिलाड़ियों से संबंधित व्यक्तिगत/गोपनीय सूचना को संरक्षित करने के अपर्जन खंड के उपबंध के साथ, आर.टी.आई. अधिनियम के अधीन लाने का प्रस्ताव किया है।

(घ) और (ङ) विशिष्टतया, जहाँ तक बी.सी.सी.आई. का संबंध है, भारत सरकार बी.सी.सी.आई. को राष्ट्रीय खेल फेडरेशन मान रही है और भारत में आयोजन करवाने और

विदेश में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारीदारी के लिए बी.सी.सी.आई. के प्रस्ताव का अनुमोदन कर रही है। केंद्रीय सरकार बी.सी.सी.आई. कोई प्रत्यधि वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। पिछले केंद्रीय सरकार बी.सी.सी.आई. को आयकर, सीमाशुल्क आदि में रियायत प्रदान कर रही है। राज्यों सरकारों ने भी कई स्थानों पर क्रिकेट एसोसिएशनों को भूमि उपलब्ध कराई है।

पारा 80(v) 92(viii)(ग) के अनुसार और कंपनी के रूप में पूर्ववर्ती वर्ष में निर्धारिती द्वारा संदर्भ रखने वाले छठे होगा जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन या भारत में स्थापित किसी अन्य एसोसिएशन या संस्थान को दान के रूप में, (i) खेल और खेल-कूद की अवसरत्तरण के पिकन्स, (ii) खेल और खेल-कूद की प्रायोजिता के लिए इस बाबत राजपत्र में सूचना द्वारा पिहित गार्डीनों रिदांतों को ध्यान में रखते हुए, जैसा केंद्रीय सरकार विहित करे। उपरोक्त अधिनियम के अधीन पात्र होने के लिए बी.सी.सी.आई. पूर्त संस्था के रूप में धारा 17(क) के साथ पठित धारा 12(क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत था और कर छूटों का फायदा उठा रहा था। राजस्व विभाग ने यह सूचित किया है कि अधिनियम की धारा 12(क) के अधीन बी.सी.सी.आई. को दिया गया रजिस्ट्रीकरण 1 जून, 2006 से दिसंबर, 2009 में चापस ले लिया गया। इस प्रकार बी.सी.सी.आई. ने नीते दिए गए बीरे के अनुसार 30 जून, 2006 तक पूर्त संगठन के रूप में कर छूट का फायदा उठाया:

क्रम संख्या	वार्षिक वर्ष	छूट की रकम
1.	1997-1998	रु. 11,01,44,329/-
2.	1998-1999	रु. 18,18,20,87,740/-
3.	1999-2000	रु. 8,37,14,734/-
4.	2000-2001	रु. 36,01,22,999/-
5.	2001-2002	रु. 42,98,07,762/-
6.	2002-2003	रु. 31,46,41,089/-
7.	2003-2004	रु. 26,28,78,110/-
8.	2004-2005	रु. 33,46,89,451/-
9.	2005-2006	रु. 32,99,98,557/-
10.	2006-2007	रु. 127,51,52,718/-

आगे, वित्त मंत्रालय (राजराज विभाग) ने यह सूचित किया है कि अधिसूचना सं. 07/11-सीमाशुल्क तारीख 7 फरवरी, 2011 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् विश्व कप 2011 के आयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों और लागू वर्ष में विनिर्दिष्ट खेल, चिकित्सा, फोटोग्राफी, प्ररारण और कार्यालय उपकरण के अस्थायी आयात के लिए छूट के रिवाय बी.सी.सी.आई. को सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और रोवा कर की कोई विनिर्दिष्ट छूट नहीं दी गई है।

उपांग - III

युवा और खेल मंत्रालय, खेल विभाग के पत्र सं. एफ.नं. 36-2/2010-एस.पी.-2 तारीख 30 मार्च, 2010 'राष्ट्रीय खेल फैडरेशनों को लोक प्राधिकारी के रूप में घोषित किया जाना'

पत्र सं. 36-2/2010-एस.पी.-II

भारत सरकार

युवा कार्य और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

नई दिल्ली 30 मार्च, 2010

रोका में

अध्यक्ष/महासचिव/राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल फैडरेशनों के महासचिव

विषय : राष्ट्रीय खेल फैडरेशनों को लोक प्राधिकारी घोषित किया जाना।

श्रीमान जी/महोदया,

केंद्रीय सूचना आयोग से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन लोक प्राधिकारी के रूप में युवा कार्य और खेल मंत्रालय के परिषिक के अधीन आने वाले राष्ट्रीय और सरकारी संगठनों/अन्य रांगठनों की पहचान करने, अधिरूपित करने और लोक प्राधिकारी के रूप में नियंत्रण देने के लिए नियेश प्राप्त होने पर मंत्रालय ने आरटीआई अधिनियम के विभिन्न शर्तों की उपयोज्यता की जांच करने के लिए राष्ट्रीय खेल फैडरेशनों की बाबत कार्य आरंभ किया और यह उल्लेख किया कि :-

(i) राष्ट्रीय खेल फैडरेशन (एन.एस.एफ.) कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार युवा कार्य और खेल मंत्रालय की परिषिक के भीतर आते हैं।

(ii) मंत्रालय प्रत्येक खेल में एक राष्ट्रीय स्तर के खेल फैडरेशन को उनके खेल के विकास और संवर्धन के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान करता है।

(iii) ये फैडरेशन देश में अपने खेल के समग्र प्रबंधन, नियेश, नियंत्रण, विनियम, संवर्धन और विकास के लिए पूर्णतः उत्तरदायी और जवाबदेह हैं।

(iv) उनसे अपने खेल के विकास के लिए संवर्धन योजना और क्रियाकलाप विकरित करने के लिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण से सहयोग करने की प्रत्याशा है।

(v) वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फैडरेशनों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऐसासिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

(vi) वे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय लीगों की भागीदारी के लिए नोडल निकाय बन प्रयोजन पूरा करते हैं।

(vii) वे देश में सज्जा और जिला ईकाइयों के सहयोग के लिए उत्तरदायी हैं।

(viii) वे राज्यकार रो प्रशेष ध्यान और प्रशेषाधिकार प्राप्त करते हैं जो अन्याय अन्य रामउनों को अनुपस्थित है।

(ix) वे राष्ट्रीय नैणियनशिप के आयोजन और भारत में तथा विशेष में दूनामेट में खिलाफियों के प्रशिक्षण और भागीदारी उपचारण, कोच और अन्य सुविधाएं सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यकार रो निधि प्राप्त करते हैं।

(x) राज्यकार राष्ट्रीय लीगों की तीव्रारी सहित उनके खेल के संबंधन और विकास के लिए उनके बजाए के मुख्य भाग का अनुदान देती है।

(xi) सरकार ऐसा प्रयोजन और शैक्षि विहित करती है जिसमें ऐसे निधि का उपयोग किया जाए और फेडरेशन इस प्रकार प्राप्त निधि और प्रशेषाधिकार के लिए राज्यकार के प्रति उत्तरदायी है।

2. राज्यकार उपरोक्त राष्ट्रीय सुरक्षा तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय खेल फेडरेशन ‘सज्जा’ का कृत्य कर रहे हैं और अपने कार्य के खलन के लिए सरकार के निधि पर निर्भर हैं अतः वे सरकार द्वारा ‘सारभूत रूप से वित्तपोषित’ हैं।

3. जातः दस लाख या इससे अधिक का अनुदान पाने वाले राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों को आरटीआई., 2005 की धारा 2(ज) के अधीन लोक प्राधिकारी के रूप में घोषित किए जाने का विनिश्चय किया गया है।

4. इस उपबंध के अधीन आने वाले राष्ट्रीय एनएसएफ रो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अनुसार तत्काल केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपील प्राधिकारी अभिहित करने और गंभीरता को उनके बारे रूचित करने का अनुरोध करने किया जाता है।

5. उनसे आगे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी के रूप में अपने राष्ट्रीय एनएसएफ रो सूचना के सूचीबद्ध करने और ऐसी शैक्षि में बनाए रखने की उनकी वापसी को पूरा करने का अनुरोध किया जाता है जिससे कि इस अधिनियम के अधीन सूचना का अधिकार को राकर बनाया जा सके और रवप्रेरणा रो फेडरेशन से रांचित सूचना का प्रकटन/प्रकाशन निम्नलिखित सहित किया जा सके :-

(i) संगठन, कृत्य और कर्तव्यों की प्रशिक्षण।

(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

(iii) उनके द्वारा प्राप्ति या उनके नियंत्रणशील या कूलों के निर्वहन के लिए उनके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, गैनुअल और अग्रिमलेख।

(iv) ऐसी किसी ठहराव की प्रशिक्षियां जो उनकी नीति की विवरण या उनके

क्रियान्वयन के संबंध में जनता के सदस्य के परामर्श या प्रतिनिधित्व से विद्यमान हैं।

(v) सभी सुरांगत तथ्य जो नीतियों की विरद्धा या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा के लिए महत्वपूर्ण हैं जो जनता को प्रभावित करते हैं।

(vi) उनके भाव या सलाह के प्रयोजन के लिए जो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर गठित बोर्ड, परिषद्, समिति और अन्य निकाय के कथन कि क्या इन बोर्ड, परिषद्, समिति और अन्य निकाय की बैठकें आम जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यदृत जनता की पहुंच में हैं।

(vii) अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका सूची

(viii) विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासवार पारितोषिक।

(ix) योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संदितरण की रिपोर्ट की विशिष्टियाँ को उद्दृत करते हुए फेडरेशन का बजट आवंटन।

(x) रियायत, अनुज्ञा या प्राधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की विशिष्टियाँ।

(xi) पुस्ताकलय या पड़न कक्ष का कार्य समय यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए है, सहित सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ।

(xii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए।

और इसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष इस सूचना को अद्यतन करें।

6. उपरोक्त बताए गए व्यारों को इस मंत्रालय को 15 अप्रैल, 2010 तक भेजा जाए और अपनी बैवराइट पर भी उपलब्ध कराया जाए। उपरोक्त अनुदेशों का अनुपालन सभी राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों के लिए राष्ट्रीय खेल फेडरेशन की सहायता के स्तरीय के अधीन सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए आज्ञापक है।

7. इसे अति तत्काल माना जाए।

80/-

(दोपक काछल)

निदेशक

प्रति :

अध्यक्ष/महासचिव, भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन

मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग

सभी राज्य के सचिव

एम.वाई.ए.एस. और एस.ए.आई. के सभी अधिकारी

बैगसाइट पर लोड करने के लिए तकनीकी निदेशक (एनआईसी)

प्रति निम्नलिखित को सूचना के लिए -

एम.याई.ए.एस. के पी.एस.

सचिव (खेल) के पी.एस.

सचिव (युवा) के पी.एस.

संयुक्त राष्ट्र (खेल) के पी.एस.

संयुक्त सचिव (युवा कार्य) के पी.एस.